नवंबर, 2022
I.S.S.N. : 2457-0494

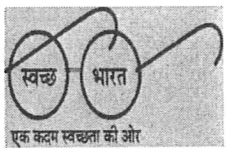

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह
श्री जाहन्वी शेखर शर्मा
श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

ISSN-2457-0494

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 195/-

वार्षिक : ₹ 2,100/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

नवंबर, 2022 अंक - 11

प्रधान संपादक
कमला कान्त

संपादक
अविनाश शुक्ला

विधि साहित्य
प्रकाशन

[2022] 4 उम. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001. दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

इस अंक के माध्यम से आपके अवलोकनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **सुब्रमण्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** [2022] 4 उम. नि. प. 153 वाले मामले में तारीख 13 अक्तूबर, 2022 को पारित निर्णय प्रस्तुत किया गया है । इस मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त का विचारण भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 303, 379, 120ख और 201 के अधीन किया गया । इस मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त ने अभिकथित रूप से सह-अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र करके मृतका की हत्या कारित की थी । विचारण न्यायालय ने एक अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति पर हत्या में प्रयुक्त आयुध और मृतका का शव और उसके आभूषण इत्यादि बरामद किए जाने के आधार पर पारिस्थितिक साक्ष्य पर विश्वास न करते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । इस दोषमुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई । उच्च न्यायालय ने अपील में एक अभियुक्त की दोषमुक्ति की पुष्टि करते हुए अन्य सह-अभियुक्त सहित अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दिया । इस दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी-अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जहां अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर साक्षियों के साक्ष्य से यह दर्शित होता हो कि अभियोजन द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति में हत्या में प्रयुक्त आयुध की बरामदगी को सिद्ध नहीं किया गया हो और परिस्थितियों की श्रृंखला इस प्रकार से टूटी हुई हो कि हत्या के आशय

जैसी परिस्थिति पर विचार किया जाना संभव न हो और उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष न निकाला गया हो कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रकटत: गलत, त्रुटिपूर्ण और अमान्य है, तो ऐसी स्थिति में दोषमुक्ति के निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं ठहराया जा सकता और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होती है और न्यायालय को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति की संपुष्टि होती हो और न्यायिकेतर संस्वीकृति करने वाले साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता को कसौटी पर पूरी तरह से परखने के पश्चात् विश्वास प्रेरित होता हो, तो इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है किंतु जहां न्यायिकेतर संस्वीकृति संदिग्ध परिस्थितियों द्वारा घिरी हुई हो, तो इसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है और महत्व समाप्त हो जाता है तथा इसके आधार पर दोषसिद्ध किया जाना जोखिमपूर्ण होगा ।

इस अंक में योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2004 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

नवंबर, 2022

निर्णय-सूची

पृष्ठ संख्या

एस. कलीस्वर्ण **बनाम** राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, पोल्लाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु 237

जॉन एंथनीसामी **उर्फ** जॉन **बनाम** राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, पोल्लाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु (देखिए – पृष्ठ सं. 237)

भूरी बाई **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य 307

रवि कुमार **बनाम** राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली राज्य (देखिए – पृष्ठ सं. 256)

राहुल **बनाम** दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय और एक अन्य 256

विनोद **उर्फ** छोटू **बनाम** राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली राज्य का गृह मंत्रालय (देखिए – पृष्ठ सं. 256)

सुब्रमण्य **बनाम** कर्नाटक राज्य 153

संसद् के अधिनयम

योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 1 - 28

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 439(2) – जमानत के रद्दकरण के बारे में उच्च न्यायालय की शक्ति – अपीलार्थी को सेशन न्यायालय द्वारा पहले ही प्रदान की गई जमानत को उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्त के जमानत आवेदन पर विचार करते हुए स्वप्रेरणा से रद्द किया जाना – संधार्यता – न्यायालय द्वारा जमानत को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए और जमानत प्रदान करने से पूर्व अभियुक्त की ओर से की गई मात्र अनुभूत अनुशासनहीनता के आधार पर रद्दकरण का आदेश नहीं किया जाना चाहिए तथा जब तक किसी अकस्मात् घटना पर आधारित प्रबल मामला सिद्ध न किया जाए, जमानत प्रदान करने वाले आदेश में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और जहां अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन न हो कि अभियुक्त द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है या उस पर अधिरोपित शर्तों का किसी रीति में अतिक्रमण किया गया है, वहां जमानत प्रदान करने वाले आदेश को अपास्त करना उचित नहीं कहा जा सकता ।

भूरी बाई बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 307

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 120ख, 147, 364, 302/120(ख)/149, 201 और धारा 396 – आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, हत्या, साक्ष्य का विलोपन और हत्या सहित डकैती – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से षड्यंत्र रचकर एक

पृष्ठ संख्या

कार की डकैती और उसके ड्राइवर का अपहरण करके उसकी हत्या किया जाना और शव को एक गड्ढे में दफन कर देना – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – संधार्यता – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों में से एक अभियुक्त द्वारा एक पत्र के माध्यम से की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति को हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा करके साबित न किया गया हो, अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने के बारे में साक्षियों के कथन अभिकथित घटना के छह माह पश्चात् अभिलिखित किए गए हों और अत्यधिक समय अंतराल को देखते हुए पुलिस द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त करने के लिए शनाख्त परेड आयोजित न की गई हो, मृतक को अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखे जाने की बात भी संदेहास्पद हो, शव का कंकाल घटना की तारीख से लगभग पांच माह पश्चात् पाया गया हो और इसकी शनाख्त खोपड़ी का सुपरइम्पोजिशन परीक्षण करके की गई हो जिसे अचूक परीक्षण नहीं कहा जा सकता, वहां अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला को विश्वसनीय, स्पष्ट, सटीक और संगत साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में असफल रहने पर अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

एस. कलीस्वर्ण बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, पोल्लाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु** 237

– धारा 302, 379, 120ख और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8, 27 और 30] – हत्या – अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अभिकथित

पृष्ठ संख्या

रूप से सह-अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र करके मृतका की हत्या किया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के अपराध कारित करने के हेतु, एक अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति, अभियुक्त-अपीलार्थी के बताने पर हत्या में प्रयुक्त आयुध, मृतका के शव का पता चलने और उसके आभूषणों की बरामदगी के साक्ष्य पर विश्वास न करते हुए उन्हें दोषमुक्त किया जाना – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त की दोषमुक्ति की पुष्टि करते हुए एक सह-अभियुक्त सहित अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – जहां अभिलेख पर सामग्री और साक्षियों के साक्ष्य से यह दर्शित होता हो कि अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति, आक्रामक आयुध के पता चलने आदि को सिद्ध नहीं किया गया और परिस्थितियों की श्रृंखला इस प्रकार टूटी हुई हो कि हेतु जैसी अन्य परिस्थिति पर विचार करना आवश्यक न हो तथा उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष न हो कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष प्रकट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और दृश्यमान रूप से अमान्य है, वहां दोषमुक्ति के निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं कहा जा सकता और अभियुक्त को दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

सुब्रमण्य बनाम **कर्नाटक राज्य** 153

– धारा 365, 367, 376(2)(छ), 302, 201 और 34 – व्यपहरण, बलात्संग और हत्या – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से एक लड़की का व्यपहरण, उसके साथ बलात्संग और बाद में उसकी हत्या करके शव

पृष्ठ संख्या

को खेत में फेंक दिया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध और मृत्यु दंडादेश दिया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – साक्षियों में से किसी साक्षी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त न करने, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान अभियुक्तों की शनाख्त के लिए कोई शनाख्त परेड आयोजित नहीं किए जाने, जिन परिस्थितियों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अपराध करने में प्रयुक्त कार अभिगृहीत की गई उससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी में गंभीर संदेह उत्पन्न होने, पुलिस के समक्ष अभियुक्तों द्वारा की गई संस्वीकृतियों को अभियुक्तों के संपूर्ण प्रकटन कथनों के रूप में साक्ष्य में ग्रहण करने, केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं का अभियुक्तों के साथ उनका संबंध स्थापित करते हुए कोई निश्चायक राय न दिए जाने, अभियुक्तों के कॉल रिकार्ड को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के निबंधनों के अनुसार साबित न किए जाने, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए 49 साक्षियों में से 10 तात्विक साक्षियों की प्रतिपरीक्षा तक न कराए जाने और प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण साक्षियों की पर्याप्त रूप से प्रतिपरीक्षा न करने के कारण अभियुक्तों को उनके ऋजु विचारण के अधिकार से वंचित करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित किया हो,

पृष्ठ संख्या

इसलिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेशों को अपास्त करना उचित होगा ।

राहुल बनाम **दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय और एक अन्य** 256

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 27, 45 और 65ख – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि करने के लिए परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि यह निष्कर्ष निकलता हो कि सभी मानवीय संभाव्यता में अपराध केवल अभियुक्तों द्वारा किया गया था न कि किसी और के द्वारा और जहां अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी शनाख्त, अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं के पता चलने, बरामदगियों, वस्तुओं को मुहरबंद करने, नमूने एकत्रित करने, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य तथा डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट के विषय में साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा निश्चायक, विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित न किया गया हो जिससे अचूक अभियुक्तों की दोषिता इंगित होती हो, वहां पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता ।

राहुल बनाम **दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय और एक अन्य**

– धारा 30 – न्यायिकेतर संस्वीकृति – साक्ष्यिक महत्व – न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होता है और न्यायालय को अवश्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा इसकी

पृष्ठ संख्या

संपुष्टि होती हो तथा न्यायिकेतर संस्वीकृति करने वाले साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर पूरी तरह से परखने के पश्चात् यदि विश्वास प्रेरित होता है तो इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है किंतु जहां न्यायिकेतर संस्वीकृति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हो, वहां इसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है और इसका महत्व समाप्त हो जाता है तथा इसके आधार पर दोषसिद्धि करना जोखिम भरा होगा ।

सुब्रमण्य बनाम **कर्नाटक राज्य** 153

[2022] 4 उम. नि. प. 153

सुब्रमण्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 242]

13 अक्तूबर, 2022

मुख्य न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 379, 120ख और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8, 27 और 30] – हत्या – अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से सह-अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र करके मृतका की हत्या किया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के अपराध कारित करने के हेतु, एक अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति, अभियुक्त-अपीलार्थी के बताने पर हत्या में प्रयुक्त आयुध, मृतका के शव का पता चलने और उसके आभूषणों की बरामदगी के साक्ष्य पर विश्वास न करते हुए उन्हें दोषमुक्त किया जाना – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त की दोषमुक्ति की पुष्टि करते हुए एक सह-अभियुक्त सहित अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – जहां अभिलेख पर सामग्री और साक्षियों के साक्ष्य से यह दर्शित होता हो कि अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति, आक्रामक आयुध के पता चलने आदि को सिद्ध नहीं किया गया और परिस्थितियों की श्रृंखला इस प्रकार टूटी हुई हो कि हेतु जैसी अन्य परिस्थिति पर विचार करना आवश्यक न हो तथा उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष न हो कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष प्रकट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और दृश्यमान रूप से अमान्य है, वहां दोषमुक्ति के निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना

उचित नहीं कहा जा सकता और अभियुक्त को दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 30 – न्यायिकेतर संस्वीकृति – साक्षियक महत्व – न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होता है और न्यायालय को अवश्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा इसकी संपुष्टि होती हो तथा न्यायिकेतर संस्वीकृति करने वाले साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर पूरी तरह से परखने के पश्चात् यदि विश्वास प्रेरित होता है तो इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है किंतु जहां न्यायिकेतर संस्वीकृति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हो, वहां इसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है और इसका महत्व समाप्त हो जाता है तथा इसके आधार पर दोषसिद्धि करना जोखिम भरा होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि इस अपील में अपीलार्थी का दो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 120-ख, 302, 379 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण किया गया था । मूल अभियुक्त सं. 2 अर्थात् गौरी (दोषमुक्त) का जन्म मंजप्पानायका और उसकी पहली पत्नी के विवाह-बंधन से हुआ था । मृतका अर्थात् कमलम्मा मंजप्पानायका की दूसरी पत्नी थी । गौरी (मूल अभियुक्त सं. 2) मृतक कमलम्मा की सौतेली पुत्री थी । मंजप्पानायका की मृत्यु के पश्चात् उसकी स्थावर संपत्तियों को मृतका कमलम्मा और गौरी (अभियुक्त सं. 2) के बीच विभाजित किया गया था । मंजप्पानायका और मृतका के विवाह-बंधन से दो पुत्रियों अर्थात् सुगंधा (अभि. सा. 1) और सुजाता का जन्म हुआ था । मृतका कमलम्मा गांव होराबायलु में मूल अभियुक्त सं. 2 गौरी के मकान के समीप अकेली रहती थी । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार गौरी (अभियुक्त सं. 2) के इस अपील में अपीलार्थी के साथ अयुक्त संबंध थे । मृतका कमलम्मा ने ऐसे अयुक्त संबंध का पुरजोर विरोध किया था और अपीलार्थी और गौरी दोनों को डांट-फटकार लगाती रहती थी । अपीलार्थी और गौरी ने मृतका कमलम्मा को ठिकाने लगाने के लिए एक षड्यंत्र रचा । दोनों अभिकथित रूप से उसके मकान में घुसे और मृतका

के सिर और गर्दन पर एक डंडे जैसी कठोर वस्तु से प्रहार किया गया । बाद में, अपीलार्थी और गौरी ने अभिकथित रूप से मृतका कमलम्मा के शरीर से सोने की जंजीर, एक जोड़ी कान की बालियां और सोने की अंगूठी निकाल लीं । वे उसका मोबाइल भी ले गए । मृतका कमलम्मा की मृत्यु कारित करने के पश्चात् मूल अभियुक्त सं. 3 अर्थात् सीताराम भट इस परिदृश्य में आया । सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) ने अभिकथित रूप से अपीलार्थी और गौरी की मृतका के शव को एक साड़ी में लपेटने और उसके पश्चात् इसे भूमि में गाड़ने में मदद की । तारीख 24 अगस्त, 2010 को आलोक (गौरी के पुत्र) ने मृतका के दामाद अर्थात् एच. टी. योगेश (अभि. सा. 7) को सूचित किया कि उसकी सास (मृतका) तारीख 23 अगस्त, 2010 से गुम है । इन परिस्थितियों में, एच. टी. योगेश (अभि. सा. 7) पुलिस थाने गया और एक गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई । तारीख 9 दिसंबर, 2010 को 9.30 बजे अपराह्न में सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) कथित रूप से एच. टी. योगेश (अभि. सा. 7) से मिला और उसके समक्ष यह उल्लेख करते हुए एक न्यायिकेतर संस्वीकृति की कि लगभग चार माह पहले अपीलार्थी और गौरी ने उसे ब्रांडी की एक बोतल देने का प्रलोभन दिया और ऐसा कहकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा क्योंकि उन्हें कुछ काम है । उसके पश्चात्, अपीलार्थी और गौरी ने सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) के समक्ष कथित रूप से यह प्रकट किया या बल्कि एक न्यायिकेतर संस्वीकृति की कि उन्होंने मृतका कमलम्मा की हत्या की थी और शव को एक पशुशाला में रख दिया था । अपीलार्थी और गौरी ने सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) को शव को ठिकाने लगाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए कहा था । जब सीताराम (अभियुक्त सं. 3) ने उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया, तो अपीलार्थी और गौरी द्वारा उसे धमकी दी गई । तद्नुसार, सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) उनके साथ गया और मृतका के शव से स्वर्ण आभूषणों को निकालने और दीनामणि नामक व्यक्ति के खेत में शव को गाड़ने में सहायता की । तारीख 10 दिसंबर, 2010 को एच. टी. योगेश (अभि. सा. 7) पुलिस थाने गया और हत्या के अपराध के लिए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के उपरांत अन्वेषण आरंभ किया गया । सभी

तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जब इस अपील में अपीलार्थी और गौरी (अभियुक्त सं. 2) पुलिस अभिरक्षा में थे तब उन्होंने कथित रूप से कथन किए कि वे उस स्थान को दिखा देंगे जहां शव को गाड़ा गया है और उस स्थान को भी दिखा देंगे जहां आक्रामक आयुध (डंडा) को छिपाया गया है । अपीलार्थी ने कथित रूप से यह भी कथन किया कि वह उस स्थान को भी दिखा देगा जहां उसने मृतका के आभूषणों को बेचा था । अन्वेषण की समाप्ति पर, अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी और दो सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । विचारण न्यायालय मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा था और तद्नुसार इस अपील में अपीलार्थी और अन्य दो सह-अभियुक्तों को सभी आरोपों के लिए दोषमुक्त कर दिया । कर्नाटक राज्य द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होकर इसे कर्नाटक उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल करके चुनौती दी गई । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के उपरांत, जहां तक मूल अभियुक्त सं. 2 गौरी **उर्फ** गौरम्मा का संबंध है, उसकी दोषमुक्ति की अभिपुष्टि करते हुए दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया । तथापि, इस अपील में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहित अन्य धाराओं के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । मूल अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट ने दोषसिद्धि को स्वीकार कर लिया और दंडादेश भुगत लिया । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिकथित अपराध की तारीख 23 अगस्त, 2010 है । तथाकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति, जो कथित रूप से सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) द्वारा की गई है, की तारीख 9 दिसंबर, 2010 है । समझ से बाहर की बात है कि क्यों सीताराम (अभियुक्त सं. 3) ने

लगभग चार माह के पश्चात् अचानक स्वयं को और इस अपील में अपीलार्थी को अभिकथित अपराध में अंतर्ग्रस्त करते हुए अभि. सा. 7 एच. टी. योगेश के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति करना उपयुक्त समझा । न्यायिकेतर संस्वीकृति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है तथा ठीक मानसिक हालत में की गई है, तो न्यायालय द्वारा इसका अवलंब लिया जा सकता है । संस्वीकृति को किसी अन्य तथ्य की भांति साबित करना होगा । संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य का महत्व, किसी अन्य साक्ष्य की भांति, उस साक्षी की सत्यता पर निर्भर करता है जिसके समक्ष इसे किया गया है । संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य का महत्व उस साक्षी की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जो साक्ष्य देता है । कोई न्यायालय इस उपधारणा के साथ अग्रसर नहीं हो सकता कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है । यह परिस्थितियों की प्रकृति, वह समय जब संस्वीकृति की गई थी और उन साक्षियों की विश्वसनीयता जिन्होंने ऐसी संस्वीकृति के बारे में कथन किया है, पर निर्भर करेगी । ऐसी संस्वीकृति का अवलंब लिया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है यदि संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य उन साक्षियों द्वारा दिया गया है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हों, दूर-दूर तक भी अभियुक्त से दुश्मनी न हो और जिनके संबंध में ऐसा कुछ निकलकर नहीं आया हो जिससे यह उपदर्शित होता हो कि अभियुक्त के बारे में असत्य कथन करने का उनका कोई हेतु था, साक्षी द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध हों और स्पष्ट रूप से यह संप्रेषित होता हो कि अभियुक्त अपराध का अपराधी है और साक्षी द्वारा ऐसी किसी बात का लोप नहीं किया गया है जो इसके प्रतिकूल हो । साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर पूरी तरह से परखने के पश्चात् न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकती है । न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य है और न्यायालय को अवश्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे विश्वास प्रेरित होता हो और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा संपुष्टि होती हो । इसे इसलिए कमजोर साक्ष्य समझा जाता है क्योंकि जब कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो तो इसे आसानी से उपाप्त किया जा सकता है । न्यायिकेतर

संस्वीकृति को स्वीकार करने के लिए इसका स्वैच्छिक होना आवश्यक है और इससे अवश्य विश्वास प्रेरित होना चाहिए । यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वैच्छिक है, तो इसके आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है । यह सुस्थिर है कि एक स्वैच्छिक संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है किंतु प्रज्ञा का नियम यह अपेक्षा करता है कि जहां कहीं संभव हो इसकी संपुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा होनी चाहिए । सभी मामलों में अभियुक्त की न्यायिकेतर संस्वीकृति की संपुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है । प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने संस्वीकृति कथन को आधार बनाकर और उसके पश्चात् इसकी संपुष्टि की तलाश करके गंभीर गलती की थी । उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को पूरी तरह से विचारणा से अपवर्जित करते हुए इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य पर पहले विचार और क्रमबद्ध किए बिना यह निष्कर्ष निकाला कि संस्वीकृति कथन की तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि होती है । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 7, जिसके समक्ष अभिकथित रूप से संस्वीकृति की गई है, के साक्ष्य को स्वीकार न करने के लिए तर्कपूर्ण कारण दिए हैं और ठीक इसी प्रकार उच्च न्यायालय ने ऐसे कोई विश्वसनीय कारण नहीं दिए हैं कि क्यों अभि. सा. 7 के साक्ष्य पर, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा त्यक्त कर दिया गया था, विश्वास किया जाए । (पैरा 52, 53, 54, 56, 59 और 60)

सभी अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में पहली और मूलभूत खामी यह है कि उनमें से किसी ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से किए गए हू-ब-हू उस कथन के बारे में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है जिसके परिणामस्वरूप अंततोगत्वा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन एक सुसंगत तथ्य का पता चला था । यदि अन्वेषण अधिकारी का यह कहना है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभिरक्षा में रहते हुए स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से यह कथन किया था कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहां उसने आक्रामक आयुध, वस्त्रों इत्यादि को छिपाया है और शव को गाड़े जाने वाले स्थान पर ले जाएगा, तब पहला कार्य जो अन्वेषक अधिकारी को करना चाहिए था, वह यह था कि उसे पुलिस थाने में ही दो स्वतंत्र साक्षियों को बुलाना चाहिए था । जब एक

बार दो स्वतंत्र साक्षी पुलिस थाने पहुंच जाते तो उसके पश्चात् उनकी मौजूदगी में अभियुक्त को एक समुचित कथन करने के लिए कहना चाहिए था जो वह उस स्थान को बताने के संबंध में इच्छुक हो जहां उसने कथित रूप से आक्रामक आयुध आदि को छिपाया है । जब अभियुक्त अभिरक्षा में रहते हुए दो स्वतंत्र साक्षियों (पंच साक्षियों) के समक्ष ऐसा कथन करता है तो अभियुक्त द्वारा किए गए हू-ब-हू कथन या बल्कि कहे गए हू-ब-हू शब्दों को पंचनामा के पहले भाग में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा विधि के अनुसार तैयार किया जाए । पंचनामा का यह पहला भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजनार्थ सदैव स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में पुलिस थाने में तैयार किया जाए जिससे यह विश्वास हो सके कि अभियुक्त द्वारा वह स्थान, जहां अपराध कारित करने में प्रयुक्त किए गए आक्रामक आयुध या किसी अन्य वस्तु को छिपाया गया है, बताने के लिए अपनी रजामंदी अभिव्यक्त करते हुए स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से एक विशिष्ट कथन किया गया था । जब एक बार पंचनामा का यह पहला भाग पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात् पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र साक्षियों (पंच साक्षियों) के साथ उस विशिष्ट स्थान के लिए अग्रसर होगा जहां पर अभियुक्त द्वारा ले जाया जाए । यदि उस विशिष्ट स्थान से कोई वस्तु जैसे आक्रामक आयुध या रक्तरंजित वस्त्र या कोई अन्य वस्तु का पता चलता है तब इस संपूर्ण कार्यवाही का वह भाग पंचनामा का दूसरा भाग होगा । यही कारण है कि विधि अन्वेषण अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन यथा अनुध्यात पता चली वस्तुओं के बारे में पंचनामा तैयार करने की प्रत्याशा करती है । अन्वेषण अधिकारी के संपूर्ण मौखिक साक्ष्य को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि इसमें मामले के सभी सुसंगत पहलुओं के बारे में कमी है । अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से जो प्रकट होता है वह यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके समक्ष जब वह अभिरक्षा में था, यह कहा था, "मैं घटना में प्रयुक्त आयुध का प्रकटीकरण करा सकता हूं" । इस कथन से यह उपदर्शित नहीं होता है या सुझाव नहीं मिलता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने आयुध के छिपाने में अपनी अंतर्ग्रस्तता के बारे में कोई बात उपदर्शित की थी । यह एक अस्पष्ट कथन है । मात्र पता चलाना यह निष्कर्ष निकालने के लिए

पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कि इसे उस व्यक्ति ने ही छिपाया था जिससे आयुध का पता चला था । उसे उस स्थान पर आयुध की मौजूदगी की जानकारी किसी अन्य स्रोत के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती थी । हो सकता है उसने किसी व्यक्ति को आयुध छिपाते हुए देखा हो और इसलिए यह उपधारणा नहीं की जा सकती या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्योंकि किसी व्यक्ति से आयुध का पता चला था इसलिए वह वही व्यक्ति था जिसने इसे छिपाया था और कम से कम यह उपधारणा तो नहीं की जा सकती कि उसने इसका प्रयोग किया था । अत: यदि अपीलार्थी द्वारा आयुध का पता चलाने की बात को स्वीकार किया जाता है, तो आयुध के पता चलने के संबंध में सारभूत साक्ष्य से जो प्रकट होता है, वह यह है कि अपीलार्थी ने यह प्रकटीकरण किया था कि वह अपराध के कारित करने में प्रयुक्त आयुध को दिखा देगा । इस प्रकार, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसे किए गए कथन के रूप में हू-ब-हू शब्दों के अभाव में और पंचनामा की अंतर्वस्तुओं को साबित किए बिना भी उच्च न्यायालय ने आयुध के पता चलने की परिस्थिति का अवलंब लेकर न्यायोचित नहीं किया था । (पैरा 77, 78, 84 और 86)

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-सिद्धदोष द्वारा अपराध कारित करने के लिए प्रबल हेतु का अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थितियों में से एक परिस्थिति के रूप में अवलंब लिया है । इस प्रकार, यदि यह विश्वास किया जाए कि अभियुक्त-अपीलार्थी के पास अपराध कारित करने का हेतु था, तो यह पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है किंतु एक निश्चायक सबूत के रूप में स्थान नहीं ले सकती कि संबंधित व्यक्ति ने ही अपराध किया था । कोई यह भी कह सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हेतु की मौजूदगी से अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रबल संदेह उत्पन्न होता है किंतु संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो, युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता के सबूत का स्थान नहीं ले सकता । विचारण न्यायालय ने ठीक ही अपराध कारित करने के लिए हेतु को अविश्वसनीय माना था क्योंकि इस संबंध में साक्ष्य पूर्ण रूप से अनुश्रुत प्रकृति का है । इस तथ्य के कारण कि इस न्यायालय ने न्यायिकेतर संस्वीकृति करने

और आक्रामक आयुध का पता चलने आदि से संबंधित परिस्थितियों को सिद्ध नहीं किए जाने के कारण अस्वीकार किया है और पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला इस प्रकार टूटी हुई है कि यहां तक कि हेतु जैसी किसी अन्य परिस्थिति पर विचार करना आवश्यक नहीं होगा । इस प्रकार, पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी-सिद्धदोष के बताने पर आयुध, वस्त्रों और मृतका के शव का पता चलने से संबंधित साक्ष्य को, विशिष्ट रूप से इसमें विभिन्न विधिक खामियों पर विचार करते हुए, मुश्किल से विधिक साक्ष्य समझा जा सकता है । सभी पूर्वगामी कारणों से, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थी-सिद्धदोष को हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करके गलती की है । (पैरा 90, 92, 94 और 95)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 124 : **संपत कुमार** बनाम **पुलिस निरीक्षक, कृष्णा गिरी** ;	91
[2012]	(2012) 6 एस. सी. सी. 403 : **सहदेवन और एक अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	55
[2009]	(2009) 12 एस. सी. सी. 351 : **नेपाल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	44
[2009]	(2009) 9 एस. सी. सी. 417 : **मुरली और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	79
[2008]	[2008] 4 उम. नि. प. 1 = (2007) 4 एस. सी. सी. 415 : **चंद्रप्पा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	36
[2005]	(2005) 7 एस. सी. सी. 714 : **ए. एन. वेंकटेश और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	88

[2002] (2002) 8 एस. सी. सी. 45 :
बोधराज उर्फ **बोधा और अन्य** बनाम
जम्मू-कश्मीर राज्य ; 87

[1997] (1997) 7 एस. सी. सी. 110 =
1997 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 992 :
अजीत सावंत माजगावी बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 42

[1996] (1996) 9 एस. सी. सी. 225 =
1996 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 972 :
रमेश बाबूलाल दोशी बनाम **गुजरात राज्य** ; 41

[1992] (1992) 3 एस. सी. सी. 204 :
मदन गोपाल कक्कड़ बनाम **नवल दूबे**
और एक अन्य ; 56

[1991] (1991) 1 सप्ली. एस. सी. सी. 35 =
1990 क्रिमिनल ला जर्नल 2274 :
हरियाणा राज्य बनाम **लखबीर सिंह और एक अन्य** ; 45.1

[1990] (1990) 1 एस. सी. सी. 445 :
गुरबचन सिंह बनाम **सतपाल सिंह और अन्य** ; 45.2.1

[1989] (1989) 1 सप्ली. एस. सी. सी. 288
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **फेरू सिंह और अन्य** ; 45.2.2

[1986] (1986) 4 एस. सी. सी. 99 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **रांझाराम और अन्य** ; 45.2.1

[1986] (1986) 3 एस. सी. सी. 637 :
आंध्र प्रदेश राज्य बनाम **बोगम चंद्रय्या**
और एक अन्य ; 45.2.1, 45.2.2

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
(1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद बिरधीचंद सारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 47

[1983]	[1983] 2 उम. नि. प. 887 = (1983) 1 एस. सी. सी. 393 : **राजस्थान राज्य** बनाम **सुखपाल सिंह और अन्य** ;	45.2.1
[1983]	(1983) 3 एस. सी. सी. 502 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **पुस्सु** उर्फ **राम किशोर** ;	45.2.2
[1983]	ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 446 : **ऐराभदरप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	81
[1982]	[1982] 2 उम. नि. प. 934 = (1981) 3 एस. सी. सी. 610 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **चंपालाल पुंजाजी शाह** ;	45.2.1
[1982]	(1982) 1 एस. सी. सी. 352 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सहाय और अन्य** ;	45.1
[1981]	ए. आई. आर. 1981 पी. सी. 211 : **दूधनाथ पांडेय** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	85
[1980]	[1980] 2 उम. नि. प. 19 = (1979) 2 एस. सी. सी. 297 : **अरुणाचलम** बनाम **पी. एस. आर. सधानंथम** ;	45.1, 45.2.1
[1980]	(1980) 3 एस. सी. सी. 55 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **हाकिम सिंह और अन्य** ;	45.2.1
[1980]	(1980) सप्ली. एस. सी. सी. 489 = 1981 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 428 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **शंकर** ;	45.2.1
[1977]	(1977) 4 एस. एस. सी. 452 : **प्यारा सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	56

[1976] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 483 :
मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 81

[1973] [1973] 3 उम. नि. प. 1011 =
(1973) 2 एस. सी. सी. 793 =
1973 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1013 :
शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य
बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 40

[1964] ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184 :
हरीचरण कुर्मी और जोगिया हजाम बनाम
बिहार राज्य ; 63

[1963] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200 =
(1963) 1 क्रिमिनल ला जर्नल 235 :
एम. जी. अग्रवाल बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 39

[1961] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 715 :
संवत सिंह और अन्य बनाम **राजस्थान राज्य** ; 37

[1960] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1125 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **देवमन उपाध्याय** ; 82

[1957] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 381 :
रामचंद्र और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 63

[1956] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217 =
1956 क्रिमिनल ला जर्नल 426 :
अहीर राजाखीमा बनाम **सौराष्ट्र राज्य** ; 38

[1955] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807 :
एटले बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 37

[1952] ए. आई . आर. 1952 एस. सी. 159 :
कशमीरा सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 58

[1949] ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 257 :
भूबोनी साहू बनाम **दि किंग** ; 65

[1947] ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67 :
पुलुकुरी कोट्टया बनाम **एम्परर** ; 83

[1934] 1934 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 42 = (1933-34) 61 आई. ए. 398 = ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2) :
शिव स्वरूप बनाम **किंग एम्परर** । 35

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 242.

2013 की दांडिक अपील सं. 473 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलुरु के तारीख 2 जुलाई, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री कृष्णपाल सिंह, सीमाब कय्यूम, (सुश्री) अनविता अपराजिता, माधवेंद्र सिंह और मोहन सिंह बैस

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री वी. एन. रघुपति, मोहम्मद अपजल अंसारी और परीक्षित टी. अंगादी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ने दिया ।

न्या. पारदीवाला – यह कानूनी अपील कमलम्मा (मृतका) की हत्या करने के अपराध से आरोपित एक दोषसिद्ध अभियुक्त की प्रेरणा पर और 2013 की दांडिक अपील सं. 473 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2019 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रधान सेशन न्यायाधीश, चिकमगलूर द्वारा 2011 के सेशन मामला सं. 59 में तारीख 20 दिसंबर, 2012 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के विरुद्ध कर्नाटक राज्य द्वारा फाइल की गई दोषमुक्ति अपील को मंजूर किया और इस अपील में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी

को 25,000/- रुपए के जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में छह माह की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

अभियोजन का पक्षकथन

2. इस अपील में अपीलार्थी का दो अन्य सह-अभियुक्तों अर्थात् गौरी **उर्फ** गौरम्मा पत्नी स्वर्गीय नागराज और सीताराम भट पुत्र स्वर्गीय नाग भट का भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 120-ख, 302, 379 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण किया गया था । सभी तीनों अभियुक्तों का विचारण प्रधान सेशन न्यायाधीश, चिकमगलूर के न्यायालय में किया गया था । मूल अभियुक्त सं. 2 अर्थात् गौरी (दोषमुक्त) का जन्म मंजप्पानायका और उसकी पहली पत्नी के विवाह-बंधन से हुआ था । मृतका अर्थात् कमलम्मा मंजप्पानायका की दूसरी पत्नी थी । गौरी (मूल अभियुक्त सं. 2) मृतक कमलम्मा की सौतेली पुत्री थी । मंजप्पानायका की मृत्यु के पश्चात् उसकी स्थावर संपत्तियों को मृतका कमलम्मा और गौरी (अभियुक्त सं. 2) के बीच विभाजित किया गया था । मंजप्पानायका और मृतका के विवाह-बंधन से दो पुत्रियों अर्थात् सुगंधा (अभि. सा. 1) और सुजाता का जन्म हुआ था । मृतका कमलम्मा गांव होराबायलु में मूल अभियुक्त सं. 2 गौरी के मकान के समीप अकेली रहती थी । गौरी विधवा है और सुसंगत समय पर अपने दो बालकों के साथ रह रही थी । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि गौरी (अभियुक्त सं. 2) के इस अपील में अपीलार्थी के साथ अयुक्त संबंध थे । मृतका कमलम्मा ने ऐसे अयुक्त संबंध का पुरजोर विरोध किया था और अपीलार्थी और गौरी दोनों को डांट-फटकार लगाती रहती थी ।

3. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, इस अपील में अपीलार्थी और गौरी ने मृतका कमलम्मा को ठिकाने लगाने के लिए तारीख 23 अगस्त, 2010 को षड्यंत्र रचा । दोनों अभिकथित रूप से उसके मकान में घुसे और पशुशाला के निकट मृतका के सिर और गर्दन पर एक डंडे जैसी कठोर वस्तु से प्रहार किया गया । बाद में, अपीलार्थी और गौरी ने अभिकथित रूप से मृतका कमलम्मा के शरीर से सोने की जंजीर, एक

जोड़ी कान की बालियां और सोने की अंगूठी निकाल लीं । वे उसका मोबाइल भी ले गए ।

4. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि मृतका कमलम्मा की मृत्यु कारित करने के पश्चात् मूल अभियुक्त सं. 3 अर्थात् सीताराम भट इस परिदृश्य में आया । सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) ने अभिकथित रूप से अपीलार्थी और गौरी की मृतका के शव को एक साड़ी में लपेटने और उसके पश्चात् इसे दीनामणि नामक व्यक्ति की भूमि में गाड़ने में मदद की थी । दीनामणि की भूमि एक जलसारणी के पास स्थित है । यह अभिकथन किया गया कि एक सब्बल से एक गड्ढ़ा खोदा गया और साक्ष्य नष्ट करने के आशय से मृतका के शव को गाड़ दिया गया ।

5. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, अपीलार्थी ने सोने के आभूषणों को एक जौहरी अर्थात् सोमाशेखर शेट्टी (अभि. सा. 9) को बेच दिया । अभि. सा. 9 सोमाशेखर शेट्टी सुसंगत समय पर रिप्पनपेट में आभूषणों की दुकान चला रहा था । जहां तक मोबाइल का संबंध है, इसे अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से अशोक **उर्फ** मिरांथ (अभि. सा. 16) को बेचा गया था । अशोक **उर्फ** मिरांथ (अभि. सा. 16) सुरथकल नामक स्थान का निवासी है ।

6. तारीख 24 अगस्त, 2010 को आलोक (गौरी के पुत्र) ने मृतका के दामाद अर्थात् एच. टी. योगेश (अभि. सा. 7) को सूचित किया कि उसकी सास (मृतका) तारीख 23 अगस्त, 2010 से गुम है । इन परिस्थितियों में, एच. टी. योगेश (अभि. सा. 7) कोप्पा पुलिस थाने गया और एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई ।

7. तारीख 9 दिसंबर, 2010 को 9.30 बजे अपराह्न में सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) कथित रूप से एच. टी. योगेश (अभि. सा. 7) से मिला और उसके समक्ष यह उल्लेख करते हुए एक न्यायिकेतर संस्वीकृति की कि लगभग चार माह पहले अपीलार्थी और गौरी ने उसे ब्रांडी की एक बोतल देने का प्रलोभन दिया और ऐसा कहकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा क्योंकि उन्हें कुछ काम है । उसके पश्चात्, अपीलार्थी और गौरी ने सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) के समक्ष कथित

रूप से यह प्रकट किया या बल्कि एक न्यायिकेतर संस्वीकृति की कि उन्होंने मृतका कमलम्मा की हत्या की थी और शव को एक पशुशाला में रख दिया था ।

8. अपीलार्थी और गौरी ने सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) को शव को ठिकाने लगाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए कहा । जब सीताराम (अभियुक्त सं. 3) ने उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया, तो अपीलार्थी और गौरी द्वारा उसे धमकी दी गई । तद्नुसार, सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) उनके साथ गया और मृतका के शव से सोने के आभूषणों को निकालने और दीनामणि नामक व्यक्ति के खेत में शव को गाड़ने में सहायता की ।

9. तारीख 10 दिसंबर, 2010 को एच. टी. योगेश (अभि. सा. 7) पुलिस थाने गया और हत्या के अपराध के लिए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई ।

10. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के उपरांत अन्वेषण आरंभ किया गया । सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जब इस अपील में अपीलार्थी और गौरी (अभियुक्त सं. 2) पुलिस अभिरक्षा में थे तब उन्होंने कथित रूप से कथन किए कि वे उस स्थान को दिखा देंगे जहां शव को गाड़ा गया है और उस स्थान को भी दिखा देंगे जहां आक्रामक आयुध (डंडा) को छिपाया गया है । अपीलार्थी ने कथित रूप से यह भी कथन किया कि वह उस स्थान को भी दिखा देगा जहां उसने मृतका के आभूषणों को बेचा था ।

11. तद्नुसार, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन एक प्रकटीकरण पंचनामा, प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया । खोद कर निकाले गए शव के फोटोग्राफ भी लिए गए और इसे प्रदर्श पी-4 के रूप में ग्रहण किया गया । मृतका के शव का मृत्युसमीक्षा पंचनामा, प्रदर्श पी-14 भी तैयार किया गया ।

12. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से एक जौहरी, सोमशेखर शेट्टी (अभि. सा. 9) को बेचे गए आभूषणों को भी उसकी दुकान से एक पंचनामा, प्रदर्श पी-1 बनाकर बरामद किया गया ।

13. इस अपील में अपीलार्थी के वस्त्र कथित रूप से उसके बताने पर मृतका के मकान के निकटवर्ती स्थान से एक पंचनामा प्रदर्श पी-6 बनाकर बरामद किए गए थे । आक्रामक आयुध (डंडा) को भी इस अपील में अपीलार्थी के बताने पर एक पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार करके बरामद किया गया । यह प्रतीत होता है कि मूल अभियुक्त सं. 3 सीताराम के बताने पर एक फावड़े के रूप में एक और आयुध एक पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार करके बरामद किया गया था ।

14. मृतका के शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए सामान्य अस्पताल, कोप्पा भेजा गया ।

15. मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 से प्रकट हुआ कि मृत्यु का कारण अस्थिभंग के रूप में सिर पर पहुंचीं क्षतियां थीं ।

16. अन्वेषण की समाप्ति पर, अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी और दो सह-अभियुक्तों के विरुद्ध ऊपर प्रगणित अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया । आरोप पत्र फाइल होने के उपरांत मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अधीन सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जिसे प्रधान सेशन न्यायाधीश, चिकमगलूर के न्यायालय में 2011 के सेशन मामला सं. 59 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

17. विचारण न्यायालय ने तारीख 20 दिसंबर, 2012 के आदेश द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए । इस अपील में अपीलार्थी और अन्य दो सह-अभियुक्तों ने आरोप के लिए दोषी न होने का अभिवाक् किया ।

18. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया :–

(1) अभि. सा. 1 सुगंधा, न्या. सा. 7, मृतका की पुत्री ।

(2) अभि. सा. 2 विश्वा के. के., न्या. सा. 9, जेवरातों की दुकान से आभूषणों का पता चलने और शव का पता चलने का पंच-साक्षी ।

(3) अभि. सा. 3 नंदीपुरेला, न्या. सा. 11, पंच-साक्षी ।

(4) अभि. सा. 4 एच. एस. सत्यमूर्ति, न्या. सा. 13, पंच-साक्षी ।

(5) अभि. सा. 5 टी. सोमय्या, न्या. सा. 18, पंच-साक्षी ।

(6) अभि. सा. 6 श्रीधर शेट्टी, न्या. सा. 20, पंच-साक्षी ।

(7) अभि. सा. 7 एच. टी. योगेश, न्या. सा. 1, मृतका का दामाद जिसके समक्ष मूल अभियुक्त सं. 3 ने कथित रूप से न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी ।

(8) अभि. सा. 8 एच. एम. रविकांत, न्या. सा. 4, पंच-साक्षी ।

(9) अभि. सा. 9 सोमशेखर शेट्टी, न्या. सा. 14, वह जौहरी जिसको आभूषण बेचे गए थे ।

(10) अभि. सा. 10 रवि शेट्टी, न्या. सा. 22, मोबाइल का पता चलने का पंच-साक्षी ।

(11) अभि. सा. 11 डा. जे. नीलकंटप्पा गौड़ा, न्या. सा. 29, पंच-साक्षी ।

(12) अभि. सा. 12 सी. वी. हरीश, न्या. सा. 26, पंच-साक्षी ।

(13) अभि. सा. 13 तौसीफ अहमद, न्या. सा. 32, घटनास्थल का पंच-साक्षी ।

(14) अभि. सा. 14 जे. के. शिवकुमार न्या. सा. 37, राजस्व अधिकारी ।

(15) अभि. सा. 15 दयानंद गौड़ा, न्या. सा. 28, सहायक आयुक्त ।

(16) अभि. सा. 16 मिरांत गौड़ा न्या. सा. 24, शरत बार एंड रेस्टोरेंट में रसोइया । अपीलार्थी इस रेस्टोरेंट में अभि. सा. 16 की सहायता करता था ।

(17) अभि. सा. 17 महेश ई. एस., न्या. सा. 41, पुलिस अधिकारी ।

(18) अभि. सा. 18 मंजेश्वर कलप्पा, न्या. सा. 40, पुलिस अधिकारी ।

(19) अभि. सा. 19 टी. संजीव नायक, न्या. सा. 42, पुलिस अधिकारी ।

19. अभियोजन पक्ष ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, मृत्युसमीक्षा पंचनामा, प्रकटीकरण पंचनामा इत्यादि के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए ।

20. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अवधारण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को विरचित किया :–

"(1) क्या अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि कमलम्मा पत्नी स्वर्गीय मंजप्पानायक की मृत्यु मानववध थी ?

(2) क्या अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि तारीख 23 अगस्त, 2010 को या इसके आसपास कोप्पा तालुक में हायरकुडिजे गांव में अभियुक्त सं. 1 और 2 ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए या अन्यथा कमलम्मा पत्नी स्वर्गीय मंजप्पानायक की हत्या करने के लिए सहमत हुए थे और षड्यंत्र रचा था और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 120-ख के अधीन दंडनीय आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया था ?

(3) क्या अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि पूर्वोक्त तारीख को लगभग 9.00 बजे अपराह्न में कोप्पा तालुक में हायरकुडिजे गांव में कमलम्मा के मकान में अभियुक्त सं. 1 और 2 ने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए कमलम्मा की मृत्यु कारित करने के लिए साशय और जानबूझकर डंडे से उसके सिर और गर्दन पर हमला करके हत्या की थी और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध किया था ?

(4) क्या अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि पूर्वोक्त तारीख, समय और स्थान को अभियुक्त सं. 1 ने मृतका कमलम्मा की एक सोने की जंजीर, एक जोड़ा कान की बाली, एक सोने की

अंगूठी और एक मोबाइल हैंड-सेट की चोरी की थी और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध किया था ?

(5) क्या अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि पूर्वोक्त तारीख को या इसके आसपास सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए अभियुक्त सं. 1 और 3 ने यह जानते हुए कि अभियुक्त सं. 1 और 2 द्वारा मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हत्या का अपराध कारित किया गया था, कतिपय साक्ष्य गायब कराया था अर्थात् कमलम्मा के शव को होराबायलु में राजकीय जलसारणी के पास अपराधियों (अभियुक्त सं. 1 और 2) को विधिक दंड से बचाने के आशय से गाडा था और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध किया था ?

(6) क्या आदेश किया जाना चाहिए ?"

21. विचारण न्यायालय द्वारा अवधारण के लिए पूर्वोक्त बिंदुओं का उत्तर निम्न प्रकार से दिया गया :–

"बिंदु सं. 1 : - सकारात्मक ;

बिंदु सं. 2 : - नकारात्मक ;

बिंदु सं. 3 : - नकारात्मक ;

बिंदु सं. 4 : - नकारात्मक ;

बिंदु सं. 5 : - नकारात्मक ;

बिंदु सं. 6 : - अंतिम आदेश के अनुसार, निम्नलिखित :"

22. अभियोजन पक्ष ने विचारण के अनुक्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का अवलंब लिया :–

(1) अपराध कारित करने का हेतु । अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस अपील में अपीलार्थी के मूल अभियुक्त सं. 2 अर्थात् गौरी के साथ अयुक्त संबंध थे और मृतका उनके रास्ते में आ रही

थी । इन परिस्थितियों में, इस अपील में अपीलार्थी और मूल अभियुक्त सं. 2 के पास अपराध कारित करने का हेतु था ।

(2) अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट ने घटना की तारीख के चार माह पश्चात् अभि. सा. 7 योगेश (मृतका का दामाद) के समक्ष अभिकथित रूप से न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी ।

(3) इस अपील में अपीलार्थी के बताने पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन पंचनामा तैयार करके शव का पता चलना ।

(4) इस अपील में अपीलार्थी के बताने पर जौहरी (अभि. सा. 9) की दुकान से आभूषणों की, एक पंचनामा तैयार करके, बरामदगी ।

(5) इस अपील में अपीलार्थी के बताने पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन आक्रामक आयुध, मृतका के मोबाइल और अपीलार्थी-अभियुक्त के वस्त्रों का पता चलना ।

23. हम अब विचारण न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति को अभियुक्तों की दोषिता सिद्ध करने के लिए अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थिति के रूप में स्वीकार न करते हुए दिए गए तर्काधारों पर विचार करेंगे । हम निम्न प्रकार से उद्धृत करते हैं :–

"34. पहली परिस्थिति, जिसकी अभियोजन पक्ष अवलंब लेने की ईप्सा कर रहा है, यह हेतु है कि अभियुक्त-1 के अभियुक्त सं. 2 के साथ अयुक्त संबंध थे और इस संदर्भ में मृतका कमलम्मा उनसे गाली-गलौज करती रहती थी और वह इस बारे में प्रचार भी कर रही थी और अभियुक्त इस बात से नाराज थे और सोचते थे कि वह उनके संबंधों के लिए एक बाधा है, इसलिए उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र रचा और मृतका की हत्या कर दी । पारिस्थितिक साक्ष्य में हेतु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह अवश्य प्रबल और विश्वसनीय होना चाहिए । यदि अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में असफल रहता है, तो यह अभियुक्त के

लिए फायदाप्रद होगा । यद्यपि अभि. सा. 1, 2 और 7 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 1 की माता, मृतका उसे यह बताती रहती थी कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के अयुक्त संबंध हैं और वह ऐसे अयुक्त संबंध होने के लिए उन्हें फटकारती रहती थी किंतु यदि हम अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा को देखें, तो इससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2 का दूर का भाई है और मृतका और अभियुक्त सं. 2 के बीच संपत्तियों का विभाजन होने से पूर्व एक पंचायत हुई थी । अभियोजन के पक्षकथन में भी, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के बीच अयुक्त संबंध होने के उक्त तथ्य को साबित करने के लिए ऐसे किसी साक्षी की परीक्षा करके साबित नहीं किया है, जिनको उन्होंने या तो इकट्ठे देखा हो या उन्होंने उन्हें इन संबंधों को छोड़ देने की सलाह दी हो, यद्यपि अभि. सा. 1, मृतका की पुत्री और और अभि. सा. 7, मृतका के दामाद ने अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के बीच अयुक्त संबंध होने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है, किंतु उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि इन अयुक्त संबंधों के बारे में मृतका बताती रहती थी और वे उक्त तथ्य को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हैं । उनका साक्ष्य केवल अनुश्रुत प्रकृति का है इसलिए अयुक्त संबंध होने के संबंध में साक्ष्य विधि की दृष्टि में स्वीकार्य और विश्वसनीय नहीं है ।

35. दूसरी परिस्थिति, जिसकी अभियोजन पक्ष अवलंब लेने की ईप्सा कर रहा है, अभियुक्त सं. 3 द्वारा अभि. सा. 7, मृतका के दामाद के समक्ष की गई संस्वीकृति है । अभियोजन का यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन है कि तारीख 9 दिसंबर, 2010 को वह गडीकल्लु गया था और लगभग 9.30 बजे अपराह्न में सर्किल के निकट अभियुक्त सं. 3 उसे मिला और वहां उसने बताया कि लगभग 3 या 3½ माह पहले उसे अभियुक्त सं. 1 द्वारा बुलाया गया और कहा कि उसने कमलम्मा की हत्या कर दी है और शव को गाडने के लिए बरांडी की दो बोतल देकर उसकी सहायता मांगी और उसने यह भी कहा कि यदि वह बात नहीं मानेगा तो वह

उसको भी मार देगा जैसा कि उसके दामाद श्रीनिवास गौड़ा के साथ किया गया है । उसने यह भी कहा कि उसने शव को दीनामणि की भूमि के निकट टीले पर ले जाने में उसकी सहायता की और इसे गाड दिया । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया था कि वह अभियुक्त सं. 3 की कोई व्यक्तिगत बात नहीं पूछता था, न ही वह अपनी व्यक्तिगत बातें उसे बताएगा । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे उस पर कोई विश्वास नहीं है और न ही मुझे उस पर कोई विश्वास है, अभियुक्त सं. 3 को भी उस पर कोई विश्वास नहीं है । अभियुक्त सं. 3 अभि. सा. 7 का मित्र या नातेदार नहीं है । यह सिद्ध करने के लिए कि अभियुक्त सं. 3 ने अभि. सा. 7 के समक्ष एक संस्वीकृति की थी, अभियुक्त सं. 3 को उस पर विश्वास होना चाहिए था और उसे उस व्यक्ति पर थोड़ा बहुत विश्वास होना चाहिए था जिसको वह ऐसी संस्वीकृति कर रहा है । जब अभि. सा. 7 न तो नातेदार है और न ही मित्र है, तो अभियुक्त सं. 3 क्यों अभि. सा. 7 जो मृतका का एक घनिष्ठ नातेदार है, के समक्ष ऐसी संस्वीकृति करेगा, यह एक रहस्य है । प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह विश्वास करना कठिन है कि अभियुक्त सं. 3 उनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में अभि. सा. 7 के समक्ष ऐसी कोई संस्वीकृति करेगा । न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य पर विचार करते समय न्यायालय को अवश्य यह भी सत्यापित करना चाहिए कि क्या अभियुक्त ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकता था जिससे अपने जीवन की गुप्त बात को प्रकट कर सके । विधि की इस प्रतिपादना के लिए मैं पंजाब राज्य **बनाम** भजन सिंह और अन्य (ए. आई. आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 258) वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय का अवलंब लेना चाहता हूं, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है –

> '(ग) साक्ष्य अधिनियम (1872), धारा 24 – न्यायिकेतर संस्वीकृति – न्यायिकेतर संस्वीकृति का साक्ष्य एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है । (प्रस्तुत मामले में इस संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में विश्वसनीयता की कमी है और विश्वास प्रेरित नहीं होता है ।) पैरा 15'

36. शेख यूसुफ **बनाम** पश्चिम बंगाल राज्य [2011] ए. सी. आर. 704 वाले मामले में के एक अन्य विनिश्चय में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुन: निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है –

> 'ग. साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 25 – न्यायिकेतर संस्वीकृति – न्यायिकेतर संस्वीकृति को अवश्य सत्य होना सिद्ध किया जाना चाहिए और स्वेच्छापूर्वक तथा सही मानसिक दशा में की गई हो – न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वीकार की जा सकती है और दोषसिद्धि का आधार हो सकती है यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है । पैरा 22'

37. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 7 के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त सं. 3 उसे घटना के 3½ या 4 माह पश्चात् मिला था । प्रायिक रूप से, यदि अपराधियों द्वारा अपराध के कारित करने के संबंध में कोई संस्वीकृति की ही जा रही है, तो यह उस घटना के तुरंत पश्चात् की जाएगी जो उन्होंने कारित किया है न कि एक लंबे अंतराल के पश्चात् और तुरंत की जाने वाली संस्वीकृति उस व्यक्ति के समक्ष की जाती है जो उससे मिलता-जुलता रहता है और जिस पर उसे पूरा भरोसा है । इस संबंध में भी न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वह सटीक और भरोसेमंद नहीं है और अभियोजन पक्ष उक्त परिस्थिति को, जिसकी उसने अवलंब लेने की ईप्सा की है, साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है ।

38. तीसरी परिस्थिति, जिसकी अभियोजन पक्ष अवलंब लेने की ईप्सा कर रहा है, वह इस बारे में है कि अभियुक्त ने अपराध कारित करने के स्थल और शव को गाडे जाने वाले स्थल को दिखाया था । अभि. सा. 19 के साक्ष्य के अनुसार, अन्वेषण अधिकारी, न्या. सा. 36 और 37 ने अभियुक्त सं. 1 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न में पेश किया था ; न्या. सा. 34 और 35 ने अभियुक्त सं. 2 को इसी समय पेश किया था ; और अभि. सा.

17 और न्या. सा. 38 ने अभियुक्त सं. 3 को इसी समय प्रस्तुत किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पश्चात् उसने उनके स्वेच्छया कथनों को अभिलिखित किया था और उसके आधार पर उसने शव को गाडे जाने वाले स्थान का पता लगाया था । यदि हम अभियुक्त सं. 1 के स्वेच्छया कथन को देखें तो प्रदर्श पी-28 के अनुसार, उसने यह कथन किया है कि वह शव को गाडे जाने वाले स्थान को दिखा देगा । उसने स्वेच्छा से यह भी कथन किया कि उसने मृतका कमलम्मा की हत्या की है और वह डंडे, मोबाइल, फावड़े और एक अन्य डंडे, जिससे शव को ले जाने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया था, प्रस्तुत कर देगा और वह उन आभूषणों को भी प्रस्तुत कर देगा जो उसने शव से उतारे थे और इन्हें प्रदर्श पी-28 के रूप में चिह्नित किया गया है । अभियुक्त सं. 2 और 3 ने स्वेच्छापूर्वक उस स्थान को दिखाने का कथन किया है जहां उन्होंने शव को गाडा था । यदि हम इस साक्षी के साक्ष्य को अन्य साक्षियों के साक्ष्य के साथ देखें, तो वह अभियुक्त सं. 2 और 3 नहीं है जो अन्वेषण अधिकारी और पंच-साक्षियों को लेकर गए थे और शव को गाडने वाला स्थान दिखाया था । अभि. सा. 2 और 8 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग एक वर्ष पहले उसने मृतका के शव को दीनामणि की भूमि पर स्थित एक टीले पर एक हल्ला के निकट देखा था और वहां पुलिस उप अधीक्षक और अपर आयुक्त भी मौजूद थे । अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 ने शव को गाडे जाने वाला स्थान दिखाया था । किंतु इन साक्षियों ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 उन्हें वहां लेकर गया था और शव को गाडे जाने वाला स्थान दिखाया था । यदि पहले ही शव को गाडे जाने वाले उक्त स्थान की पुलिस उप अधीक्षक और अपर आयुक्त को जानकारी थी, तब ऐसी परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तों के बताने पर ही उक्त स्थान का पता चला था । यदि हम अभि. सा. 8 के साक्ष्य को देखें, तो उसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उक्त शव पूरी तरह से सड़ गया था

और शव पर एक ब्लाउज और एक पेटीकोट पाया गया था और यदि हम अभि. सा. 15 के साक्ष्य को देखें, तो उसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि अभियुक्त सं. 1 और 3 उन्हें सर्वेक्षण सं. 121 में एक टीले पर लेकर गया था और वह स्थान दिखाया था जहां उन्होंने मृतका कमलम्मा के शव को गाडा था और उसने इसे अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 3 और अभि. सा. 3 के माध्यम से खोदकर निकाला था । उक्त शव पूरी तरह से सड़ गया था और उक्त शव पर एक पुराना किस्म का ब्लाउज और एक पेटीकोट था । किंतु यदि हम इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा को देखें, तो उसे अध्यापेक्षा तारीख 10 दिसंबर, 2010 को प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात् तारीख 11 दिसंबर, 2010 को उसने शव को खोदकर निकालने का समय नियत किया था तथा वह वहां लगभग 10.30 बजे अपराह्न में गया था और जब वह गांव में प्रवेश करने वाला ही था, तो पुलिस भी अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 तथा अन्य साक्षियों, डाक्टर और वीडियोग्राफर के साथ वहां मौजूद थी । तब, ऐसी परिस्थितियों में अभि. सा. 15 का यह साक्ष्य कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 उन्हें लेकर गया था और वह स्थान दिखाया था जहां उन्होंने शव को गाडा था, भी विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है । यह पहली बार नहीं था कि उसे उस स्थान पर शव होने के बारे में जानकारी मिली थी । उसने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया था कि शव पूरी तरह से सड़ गया था । किंतु यदि हम अभि. सा. 11, डाक्टर के साक्ष्य को देखें, तो उसे शव अर्द्ध-सड़ा हुआ पाया था, टांगें थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी स्थिति में थीं, सिर पर काले और सफेद बाल थे जिनकी लंबाई 12 इंच थी, दो-तिहाई शव सड़ गया था और स्तन भी आधे सड़ गए थे । यदि अभिकथित हत्या तारीख 23 अगस्त, 2010 को हुई थी, तो उपरोक्त हालत में शव को अवश्य तारीख 11 दिसंबर, 2010 से पहले खोदकर निकाला गया होगा न कि 3½ माह के बाद तारीख 11 दिसंबर, 2010 को, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिवाक् किया गया है, या फिर मृत्यु बाद की तारीख को हुई होगी जो तारीख शव को

खोज कर निकालने और परीक्षा करने की तारीख के निकट हो । अभि. सा. 19 के अनुसार, अभियुक्त सं. 2 और 3 ने स्वेच्छापूर्वक वह स्थान दिखाने के लिए कहा था जहां उन्होंने शव को गाडा था, किंतु अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 ने वह स्थान दिखाया था । इससे भी संदेह पैदा होता है । इस संबंध में, साक्ष्य में यह दर्शित करने के लिए कोई सुसंगति नहीं है कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 द्वारा किए गए स्वेच्छापूर्वक कथन में उनके बताने पर शव को गाडे जाने वाले स्थान के बारे में तथ्य का पता चला था । ऐसी परिस्थितियों में, इस परिस्थिति को, जिसकी अभियोजन पक्ष अवलंब लेने की ईप्सा कर रहा है, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना नहीं कहा जा सकता है ।

39. अगली परिस्थिति, अभियोजन पक्ष जिसका अवलंब लेने की ईप्सा कर रहा है वह अभियुक्त सं. 1 के बताने पर आभूषणों की बरामदगी के बारे में है । इस संबंध में, अभियोजन पक्ष अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 के साक्ष्य का अवलंब लेने की ईप्सा कर रहा है । अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि दो या तीन दिनों के पश्चात् पुलिस ने पुन: उसे बुलाया था और न्या. सा. 13 के साथ अभियुक्त 1 भी मौजूद था और अभियुक्त सं. 1 उसे, न्या. सा. 13 और पुलिस निरीक्षक को रिप्पनपेट लेकर गया था । वहां अभियुक्त सं. 1 उन्हें सोमेश्वर जौहरी की दुकान पर लेकर गया और वहां अभियुक्त सं. 1 ने उसके द्वारा दिए गए सोने के आभूषणों को देने के लिए कहा और न्या. सा. 14 ने उक्त सोने के आभूषणों को लौटा दिया तथा उन्हें प्रदर्श पी-1 के अनुसार एक महाज़र तैयार करके अभिगृहीत किया गया । स्वीकृत रूप से, यह साक्षी मृतका का भतीजा है और यद्यपि पुलिस थाने तथा जेवरातों की दुकान के पास बहुत-सारी दुकानें हैं और अन्य व्यक्ति वहां उपलब्ध थे किंतु इस विशिष्ट व्यक्ति को ही क्यों एक साक्षी के रूप में चुना गया, यह बात भी स्पष्ट नहीं की गई है ।

40. अभि. सा. 9 जेवरात की दुकान का स्वामी है । उसने

यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 1 3½ माह पहले उसकी दुकान पर आया और सोने की वस्तुएं बेचीं तथा उसने उक्त वस्तुओं को वापस कर दिया था और वे प्रदर्श पी-1 के अनुसार एक महाज़र तैयार करके अभिगृहीत की गई थीं । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वे सोने की वस्तुओं की खरीद करने के लिए कोई रसीद-पुस्तिका बनाए नहीं रखते हैं और उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसने सोने की वस्तुएं खरीदी थीं, वे नई जैसी थीं और सोने की वस्तुओं पर टूट-फूट पाई थी, यद्यपि उन्हें नया लेपन करके पुन: नया बनाया गया था । जब उक्त वस्तुएं नई प्रतीत होती हैं और अभि. सा. 9 द्वारा, जो एक जौहरी है, उनकी खरीद के 3½ माह पश्चात् भी वे उसी हालत में थीं जिसमें उन्हें अभियुक्त सं. 1 के बताने पर बरामद किया गया था, यह विश्वास करना कठिन है और इस संबंध में भी अभियोजन का पक्षकथन स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

41. अगली परिस्थिति, अभियोजन पक्ष जिसका अवलंब लेने की ईप्सा कर रहा है वह डंडे, छतरी, मोबाइल और फावड़े की बरामदगी तथा अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 के वस्त्रों के अभिग्रहण के बारे में है । यद्यपि बरामदगी साक्ष्य अभि. सा. 8, 10, 16 और अभि. सा. 4 तथा अभि. सा. 5 द्वारा दिया गया है किंतु यदि हम उनके साक्ष्य पर गहराई से विचार करें तो जो डंडा बरामद किया गया था उस पर भी धब्बे नहीं हैं और यह एक नया डंडा है । यहां तक कि यह भी स्वीकार्य नहीं है कि उक्त डंडे जो अभियुक्तों द्वारा उस विशिष्ट क्षेत्र में फेंक दिए गए थे, वे 3½ माह पश्चात् भी उसी हालत में उपलब्ध होंगे जिस हालत में उन्हें फेंका गया था । इस न्यायालय द्वारा देखने-भर से तात्विक वस्तु 9 और 14 ठीक नए डंडों जैसी हैं । यदि वे वर्षा, पानी और धूप में रहे होते तो निश्चित रूप से उनका रंग और आकार परिवर्तित हो गया होता । यही बात अभियुक्तों के वस्त्रों की बरामदगी के बारे में है । इस संबंध में भी, इन सभी वस्तुओं के बरामदगी साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं

किया गया है ।

42. यद्यपि विद्वान् लोक अभियोजक ने जोरदार रूप से यह तर्क और दलील दी कि अभियुक्तों के बताने पर शव को खोदकर निकाला गया था और बरामदगी की गई थी तथा अभियुक्त सं. 3 ने अभि. सा. 7 के समक्ष भी संस्वीकृति की थी और अभियोजन पक्ष ने इस हेतु को भी साबित किया है कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के अयुक्त संबंध थे, यह दलील उपर्युक्त परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं है ।

43. अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में तात्विक साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई है और इसके कारणों की सर्वोत्तम जानकारी उसे ही है । अभियोजन का यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन है कि अभियुक्त सं. 2 के पुत्र आलोक ने अभि. सा. 7 को मृतका के गुम होने के बारे में सूचित किया था । किंतु उक्त आलोक की परीक्षा नहीं कराई गई है । मृतका का शव दीनामणि और नारायणस्वामी के सर्वेक्षण सं. 121 में गाडा हुआ पाया गया है और जब उक्त शव वहां उनसे संबंधित उक्त भूमि में पाया गया था, तब ऐसी परिस्थितियों में उन्हें तात्विक साक्षी समझा जाना चाहिए । इन तात्विक साक्षियों की परीक्षा न कराए जाने से भी उस रिक्ति की भरपाई नहीं होगी जो अभियोजन पक्ष को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए की जानी चाहिए । किस तारीख से मृतका गुम थी और मृतका के गुम होने के बारे में किसी व्यक्ति को कैसे जानकारी नहीं थी, इस बात को भी अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है और इसके कारणों की सर्वोत्तम जानकारी उसे ही है । इस विशिष्ट संदेह का फायदा भी अभियुक्तो को जाता है । यद्यपि अभि. सा. 1 को यह पता था कि उसकी माता, मृतका के पास एक मोबाइल था और तारीख 24 अगस्त, 2010 को अपनी माता के गुम होने के बारे में पता चलने के पश्चात् उसने अपनी माता के मोबाइल पर कॉल करने का कोई प्रयास नहीं किया था जो उसका एक अस्वाभाविक आचरण है । कोई पुत्री यह पता चलने के पश्चात् कि उसकी माता गुम है, चुप नहीं रहेगी और वह भी जब वह जानती थी कि उसकी

माता के पास एक मोबाइल है । निश्चित रूप से वह कॉल कर सकती थी । किन कारणों से अभि. सा. 1 ने अपनी माता के मोबाइल पर कोई कॉल नहीं की, यह भी एक संदेहास्पद परिस्थिति है ।

44. विधि का यह स्थिर सिद्धांत है कि जब अभियोजन के साक्ष्य से दो मत संभव हों, तो वह मत जो अभियुक्त के पक्ष में है उस पर विचार किया जाना चाहिए और संदेह का फायदा अभियुक्त को दिया जाएगा । मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् मैं बिंदु सं. 2 से 5 का उत्तर नकारात्मक देता हूं ।"

24. इस प्रकार, विचारण न्यायालय मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा था और तद्नुसार, तारीख 20 दिसंबर, 2012 के निर्णय और आदेश द्वारा इस अपील में अपीलार्थी और अन्य दो सह-अभियुक्तों को सभी आरोपों के लिए दोषमुक्त कर दिया ।

25. कर्नाटक राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होकर इसे कर्नाटक उच्च न्यायालय में 2013 की दांडिक अपील सं. 473 फाइल करके चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के उपरांत, जहां तक मूल अभियुक्त सं. 2 गौरी **उर्फ** गौरम्मा का संबंध है, उसकी दोषमुक्ति की अभिपुष्टि करते हुए दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया । तथापि, इस अपील में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और 25,000/- रुपए के जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया और 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित पांच वर्ष का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । मूल अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट को भारतीय दंड

संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित तीन वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माने के संदाय में व्यक्तिक्रम करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया ।

26. हमें सूचित किया गया है कि मूल अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट ने दोषसिद्धि को स्वीकार कर लिया और दंडादेश भुगत लिया है । मूल अभियुक्त सं. 3 ने इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल करना उपयुक्त नहीं समझा ।

27. इस अपील में अपीलार्थी ही (मूल अभियुक्त सं. 1) वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है ।

अपीलार्थी-सिद्धदोष की ओर से दलीलें

28. अपीलार्थी-सिद्धदोष की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री कृष्ण पाल सिंह ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के सकारण निर्णय और आदेश को उलटकर दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करके गंभीर गलती की है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, दोषमुक्ति के विरुद्ध निर्णय पर विचार करते हुए अपील न्यायालय को पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूढंना चाहिए था कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रकट रूप से गलत, प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण और दृश्यमान रूप से अमान्य हैं । यदि अपील न्यायालय उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक देता है, तो दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । इसके विपरीत, यदि अपील न्यायालय उपरोक्त कमियों को दृष्टिगत करते हुए, अभिलिखित किए गए कारणों से, यह अभिनिर्धारित करता है कि दोषमुक्ति के आदेश को कतई कायम नहीं रखा जा सकता है तो वह केवल और केवल तब अपने स्वयं के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है । अपीलार्थी-दोषसिद्ध की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल का मुख्य तर्क यह है कि प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय द्वारा

अभिलिखित किया गया ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि विचारण न्यायालय का निर्णय सुस्पष्ट रूप से गलत, प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण और प्रमाणिक रूप से असंधार्य है ।

29. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि उच्च न्यायालय ने न्यायिकेतर संस्वीकृति को, जो अभिकथित रूप से मूल अभियुक्त सं. 3 द्वारा घटना की तारीख से लगभग 4 माह पश्चात् अभि. सा. 7 के समक्ष की गई थी, आधार बनाकर और उसके पश्चात् इसकी संपुष्टि की तलाश करने की कोशिश करके गंभीर गलती की है । यह दलील दी गई कि अन्यथा भी, न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य होता है । उन्होंने दलील दी कि प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय को इस अपील में अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के प्रयोजन के लिए न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए था, जो अभिकथित रूप से अभियुक्त सं. 3 सीताराम द्वारा अभि. सा. 7 योगेश के समक्ष की गई थी ।

30. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन पता चली विभिन्न वस्तुओं जैसे आक्रामक आयुध, जेवरात, मोबाइल, वस्त्र आदि का अवलंब लेने में गंभीर गलती की है ।

31. ऊपर निर्दिष्ट ऐसी परिस्थितियों में विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध किया कि उसकी अपील में गुणागुण होने के कारण इसे मंजूर किया जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाए ।

राज्य की ओर से दलीलें

32. दूसरी ओर, कर्नाटक राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री बी. एन. रघुपति ने जोरदार रूप से यह दलील देते हुए इस अपील का विरोध किया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई गलती की गई है, विधि की किसी गलती की बात तो दूर । उन्होंने दलील दी कि परिस्थितियां पूरी तरह सिद्ध होती हैं जो केवल अपीलार्थी-सिद्धदोष की

दोषिता को इंगित करती हैं । ऊपर निर्दिष्ट ऐसी परिस्थितियों में, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि वर्तमान अपील में कोई गुणागुण न होने के कारण इसे खारिज किया जाए ।

विश्लेषण

33. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और अभिलेख पर की सामग्री का अनुशीलन करने के पश्चात् हमारे विचार के लिए जो एकमात्र प्रश्न पैदा होता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई गलती कारित की है ।

34. उच्च न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन राज्य द्वारा फाइल की गई दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार कर रहा था । विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का विनिश्चय करते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का पुनर्विलोकन करना उपयोगी होगा ।

35. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों पर पूर्वत्तम मामलों में से एक **शिव स्वरूप** बनाम **किंग एम्परर**[1] वाला मामला है जिसमें प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए अपील न्यायालय की शक्ति से संबंधित उपबंधों पर विचार किया गया था और निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

> "..... किंतु संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने और तथ्य संबंधी अपने निष्कर्ष निकालने से पूर्व उच्च न्यायालय को सदैव ही निम्न विषयों को उचित महत्व देना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए और करेगा, (1) साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में विचारण न्यायाधीश का मत ; (2) अभियुक्त के पक्ष में

[1] 1934 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 42 = (1933-34) 61 आई. ए. 398 = ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2).

निर्दोषिता की उपधारणा, जो एक ऐसी उपधारणा है जो निश्चित रूप से इस तथ्य द्वारा अशक्त नहीं हो जाती है कि उसे उसके विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया है; (3) अभियुक्त का किसी संदेह के फायदे का उसका अधिकार; और (4) अपील न्यायालय द्वारा, ऐसे न्यायाधीश द्वारा जिसके पास साक्षियों को देखने का अवसर प्राप्त था, निकाले गए तथ्य संबंधी निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की गति धीमी होना । तथापि, इसके संबंध में केवल यही कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को अपील पर विचार करते समय न्याय प्रशासन के क्षेत्र में सुविख्यात और मान्य नियमों और सिद्धांतों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए और करेगा ।"

यह मत व्यक्त किया गया था कि अपील न्यायालय को दोषमुक्ति का पुनर्विलोकन करने और उसे उलटने की पूरी शक्ति है ।

36. **चंद्रप्पा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने **शिव स्वरूप** (उपुर्यक्त) वाले मामले का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

"16. तथापि, यह नहीं भूलना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा है । पहली, यह कि दांडिक विधिशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के अधीन उसे निर्दोषिता की यह उपधारणा उपलब्ध होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जानी चाहिए जब तक उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरी, यह कि जिस अभियुक्त की दोषमुक्ति की गई है उसकी निर्दोषिता की उपधारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं हो जाती है अपितु वह विचारण न्यायालय द्वारा प्रबलित, पुन: अभिपुष्ट और सुदृढ़ की जाती है ।"

37. **एटले** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में दोषमुक्ति के

---

[1] [2008] 4 उम. नि. प. 1 = (2007) 4 एस. सी. सी. 415.

[2] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807.

निर्णय पर विचार करते समय अपील न्यायालय के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई थी और यह मत व्यक्त किया गया था कि जब तक अपील न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि दोषमुक्ति का निर्णय अनुचित है, वह उसे अपास्त नहीं कर सकता । **संवत सिंह और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति सुब्बा राव (जैसे वे उस समय थे) द्वारा की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां इसी आशय की हैं :–

> "9. पूर्वगामी चर्चा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं : (1) अपील न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की पूर्ण शक्ति होती है जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है; (2) शिव स्वरूप [61 इंडिया ए. पी. पी. 398 = ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2)] वाले मामले में अधिकथित सिद्धांत ऐसी किसी अपील का निपटारा करने में मामले में अपीली न्यायालय के दृष्टिकोण के लिए सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है ; और (3) इस न्यायालय के निर्णयों में प्रयुक्त भिन्न-भिन्न वाक्य-रचना, जैसे (i) 'सारभूत और बाध्यकारी कारण', (ii) 'उचित और पर्याप्त रूप से तर्कपूर्ण कारण', और (iii) 'प्रबल कारण' का आशय दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की अपील न्यायालय की असंदिग्ध शक्ति को कम करना नहीं है, अपितु ऐसा करते समय उसे न केवल अभिलेख पर ऐसी प्रत्येक बात पर, जिसका सरोकार तथ्य संबंधी प्रश्नों से है, और उन तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए जिनके आधार पर निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का अपना आदेश अभिलिखित करने के लिए कारण दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त उसे अपने निर्णय में उन कारणों को भी अभिव्यक्त करना चाहिए जिनके आधार पर उसने यह अभिनिर्धारित किया है कि दोषमुक्ति उचित नहीं थी ।"

38. पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियां करने की आवश्यकता **अहीर राजाखीमा**

---

[1] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 715.

बनाम **सौराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में बहुमत द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों के कारण उद्भूत हुई थी, जिसने यह मत व्यक्त किया था कि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए "यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि विचारण न्यायालय ने त्रुटि की थी, सारभूत और बाध्यकारी कारण भी होने चाहिएं" ।

39. **एम. जी. अग्रवाल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाला मामला न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर (जैसे कि वे उस समय थे) के माध्यम से निर्णय सुनाते हुए इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ का निर्णय है । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय उच्च न्यायालय (अपील न्यायालय) को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा "निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं हो जाती है कि उसे उसके विचारण के समय दोषमुक्त किया गया है" ।

40. **शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने पैरा 6 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

> "6.....उपधारित निर्दोषिता के पक्ष में हमारे विधिशास्त्र में जो अत्युत्साह मौजूद है, उसे दांडिक न्याय को सशक्त और वास्तविक बनाने के लिए व्यावहारिक आवश्यकता द्वारा मर्यादित किया जाना चाहिए । ऐसी संभावनाओं को जो अपराधी के दोषमुक्त किए जाने के लिए पर्याप्त हों, ढूंढ निकालने के प्रयास और एकाकी निर्दोष व्यक्तियों के दंडित किए जाने की अत्यधिक अधिसंभाव्यता के तर्क की उपेक्षा करने के बीच संतुलन कायम करना होगा ।"

41. **रमेश बाबूलाल दोशी** बनाम **गुजरात राज्य**[4] वाले मामले में इस न्यायालय ने पैरा 7 में अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए आदेश के

---

[1] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217 = 1956 क्रिमिनल ला जर्नल 426.

[2] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200 = (1963) 1 क्रिमिनल ला जर्नल 235.

[3] [1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793 = 1973 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1013.

[4] (1996) 9 एस. सी. सी. 225 = 1996 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 972.

विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालय के दृष्टिकोण के बारे में मत व्यक्त किया था और निम्नलिखित कहा था :–

> "दोषमुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय अपीली न्यायालय से सर्वप्रथम इस प्रश्न का उत्तर जानने की ईप्सा की जाती है कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रकट रूप से गलत हैं, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं और दृश्यमान रूप से अमान्य हैं । यदि अपीली न्यायालय को उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक मिलते हैं, तो दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । इसके प्रतिकूल, यदि अपीली न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह अभिनिर्धारित करता है कि दोषमुक्ति का आदेश उपर्युक्त दुर्बलताओं में से किसी को देखते हुए कतई मान्य नहीं ठहराया जा सकता, केवल और केवल तब वह अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है..... ।"

पूर्वोक्त दृष्टिकोण का उद्देश्य और प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की हानि न हो । दूसरे शब्दों में, दोषी की दोषमुक्ति या निर्दोष व्यक्ति की दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिए ।

42. **अजीत सावंत माजगावी** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत उपवर्णित किए हैं जिनसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई विनियमित और शासित होगी :–

> "16. इस प्रकार, इस न्यायालय ने सुस्पष्ट रूप से वे सिद्धांत अधिकथित किए हैं जिनसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई शासित और विनियमित होगी । इन सिद्धांतों का अनेक मामलों में उल्लेख किया गया है और उन्हें नीचे उद्धृत किया जा सकता है –
>
> (1) दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई अपील में

[1] (1997) 7 एस. सी. सी. 110 = 1997 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 992.

उच्च न्यायालय को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं और ये शक्तियां दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई के संबंध में प्राप्त शक्तियों से कम नहीं हैं ।

(2) उच्च न्यायालय को संपूर्ण मुद्दे पर पुनर्विचार करने, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के स्थान पर, यदि उक्त निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध हों, या दूसरे शब्दों में, अनुचित हों तो अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की शक्ति प्राप्त है ।

(3) दोषमुक्ति के निष्कर्ष को उलटने से पूर्व, उच्च न्यायालय को ऐसे प्रत्येक आधार पर विचार करना होता है जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया गया था और उन आधारों को स्वीकार न करने के और विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त इस मत का कि अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, समर्थन न करने के अपने कारण लेखबद्ध करने होते हैं ।

(4) दोषमुक्ति के निष्कर्ष को उलटने में उच्च न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए निर्दोषिता की उपधारणा अभी भी अभियुक्त के पक्ष में उपलब्ध है और विचारण न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित दोषमुक्ति के आदेश से वह और भी पुष्ट और सुदृढ़ हो जाती है ।

(5) यदि अभिलेखगत साक्ष्य और अन्य सामग्री की नए सिरे से संवीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करने पर उच्च न्यायालय की राय है कि युक्तियुक्त रूप से भिन्न मत अपनाया जा सकता है तो जो मत अभियुक्त के पक्ष में हो, वह मत अपनाया जाना चाहिए ।

(6) उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय साक्षियों की भाव-भंगिमा को और न्यायालय में विशेषकर कठघरे में उनके आचरण को परखने

की बेहतर स्थिति में होता है ।

7. उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस प्रक्रम पर भी अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार होता है । संदेह ऐसा होना चाहिए जो युक्तियुक्त व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोष के बारे में ईमानदारी से और शुद्ध अंत:करण से उठे ।"

43. **चंद्रप्पा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह रेखांकित किया था कि अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय शक्ति का प्रयोग करने में एक महत्वपूर्ण अंतर है । अपील न्यायालय वहां हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां आक्षेपित निर्णय साक्ष्य पर आधारित है और अपनाया गया दृष्टिकोण युक्तियुक्त और विश्वसनीय था । ऐसा इसलिए है क्योंकि अपील न्यायालय इस तथ्य का अवधारण करेगा कि अभियुक्त के पक्ष में उपधारणा है और अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है । किंतु यदि वह इसमें हस्तक्षेप करने का विनिश्चय करता है तो उसे दोषमुक्ति के विनिश्चय से असहमत होने के लिए कारण दिए जाने चाहिएं । इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात् दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित साधारण सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया :–

"42. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त विनिश्चयों से दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित हुए –

(1) अपील न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने, पुनर्मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति है, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त नहीं है और अपील

न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि दोनों ही प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकेगा ।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियां जैसे "सारभूत और बाध्यकारी कारण", "मान्य और पर्याप्त कारण", "अत्यंत प्रबल परिस्थितियां", "गलत निष्कर्ष", "स्पष्ट त्रुटियां" इत्यादि से दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर कार्रवाई करते समय अपील न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करने के लिए आशयित नहीं हैं । ऐसा शब्द प्रयोग, साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की न्यायालय की शक्ति को सीमित करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने की अनिच्छुकता पर बल देने के लिए "अलंकारित भाषा" की प्रकृति का अधिक है ।

(4) तथापि, अपील न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है । पहली, उसे दांडिक विधिशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन यह निर्दोषिता की उपधारण उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसकी दोषिता साबित नहीं कर दी जाती । दूसरी, अभियुक्त की दोषमुक्ति होने पर उसकी निर्दोषित की उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा और प्रबल, पुन: पुष्ट और दृढ़ हो जाती है ।

(5) यदि अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाले जाने संभव हों तब अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

44. **नेपाल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के **हरियाणा राज्य** बनाम **नेपाल सिंह**,

[1] (2009) 12 एस. सी. सी. 351.

1993 की दांडिक अपील-डी सं. 99-डीबीए वाले मामले में तारीख 21 जुलाई, 1997 के आदेश (पंजाब और हरियाणा) को उलट दिया था, जिसने विचारण न्यायालय द्वारा सुनाए गए दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कर दिया था और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को प्रत्यावर्तित कर दिया था ।

45. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से अपील जिन परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा ग्रहण की जाएगी, उनका सारांश निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है :

45.1 सामान्यतया, यह न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने में सतर्क रहता है, विशेष रूप से जब दोषमुक्ति के आदेश की उच्च न्यायालय के स्तर तक पुष्टि की गई हो । केवल विरल से विरलतम मामलों में, जहां उच्च न्यायालय ने तर्काधार की पूर्णतया गलत प्रक्रिया के आधार पर और मामले के तथ्यों के प्रति विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण और अनुचित दृष्टिकोण अपनाकर, कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है, तो इसे इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उलटा जा सकता है । (**उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सहाय और अन्य**[1] वाला मामला देखें) । अपील ग्रहण करने के अधिकार पर ऐसे निर्बंधन किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी दांडिक आरोप से सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, भले ही यह किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया हो, मामले की फिर से परीक्षा करने की चिंता और तनाव के जोखिम में डालने से बचाने के लिए हैं । (**अरुणाचलम** बनाम **पी. एस. आर. सधानंथम और एक अन्य**[2] वाला मामला देखें) । दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध कोई ऐसी अपील ग्रहण नहीं की जा सकती जो विधिमान्य और ठोस कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे अकाट्य, तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने के पश्चात् दिया गया है जो दोषमुक्ति को न्यायोचित ठहराता हो । (**हरियाणा राज्य** बनाम

[1] (1982) 1 एस. सी. सी. 352.

[2] [1980] 2 उम. नि. प. 19 = (1979) 2 एस. सी. सी. 297.

लखबीर सिंह और एक अन्य[1] वाला मामला देखें) ।

45.2 तथापि, इस न्यायालय ने कतिपय अवसरों पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त किया है । जिन परिस्थितियों में यह न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकता है और दोषसिद्धि का आदेश पारित कर सकता है, उनका सार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है :

45.2.1 जहां उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण या तर्काधार अनुचित है :

(क) जहां उच्च न्यायालय द्वारा संदेह और कल्पनाओं के आधार पर, जो बल्कि वास्तविक नहीं हैं, अकाट्य साक्ष्य को नामंजूर किया गया है । (**राजस्थान राज्य** बनाम **सुखपाल सिंह और अन्य**[2] वाला मामला देखें) । उदाहरण के लिए, जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के प्रत्यक्ष, सर्वसम्मत विवरण को तर्कपूर्ण कारणों के बिना अस्वीकार किया गया है । (**उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **शंकर**[3] वाला मामला देखें) ।

(ख) जहां उसी मकान में, जिस मकान में विपदग्रस्त रह रहा था, रहने वाले नातेदारों के परिसाक्ष्य के अंतर्निहित महत्व को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि वे "हितबद्ध" साक्षी थे । (**उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **हाकिम सिंह और अन्य**[4] वाला मामला देखें) ।

(ग) जहां अभियुक्त को फंसाने के लिए साक्षियों का व्यक्तिगत हेतु होने की अवास्तविक कल्पना के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा साक्षियों के परिसाक्ष्य को अस्वीकार कर दिया गया हो, जबकि वास्तव में साक्षियों का उक्त मामले में कोई लेना-देना नहीं था । (**राजस्थान राज्य** बनाम **सुखपाल सिंह और अन्य** (उपर्युक्त) वाला मामला देखें) ।

(घ) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के मृत्युकालिक कथन को इस विसंगत आधार पर नामंजूर कर दिया गया हो कि उन्होंने अपराध

---

[1] (1991) 1 सप्ली. एस. सी. सी. 35 = 1990 क्रिमिनल ला जर्नल 2274.

[2] [1983] 2 उम. नि. प. 887 = (1983) 1 एस. सी. सी. 393.

[3] (1980) सप्ली. एस. सी. सी. 489 = 1981 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 428.

[4] (1980) 3 एस. सी. सी. 55.

के घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के शरीर पर पाई गई क्षति को स्पष्ट नहीं किया था । (**अरुणाचलम** बनाम **पी. एस. आर. सधानंथम**[1] वाला मामला देखें) ।

(ड.) जहां उच्च न्यायालय ने "युक्तियुक्त संदेह के परे सबूत" की बजाय "विवक्षित सबूत" के अवास्तविक मानक को लागू किया और इसलिए साक्ष्य का दोषपूर्ण रीति में मूल्यांकन किया । (**उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **रांझाराम और अन्य**[2] वाला मामला देखें) ।

(च) जहां उच्च न्यायालय ने एक अतिरंजित और स्वेच्छाचारी कहानी के आधार पर, जो अभियुक्त द्वारा किए गए अभिवाक् के परे थी, पारिस्थितिक साक्ष्य को नामंजूर कर दिया था (**महाराष्ट्र राज्य** बनाम **चंपालाल पुंजाजी शाह**[3] वाला मामला) ; या जहां दोषमुक्ति मात्र अभियुक्त के पक्ष में संदेह के फायदे के नियम के प्रति अत्यधिक निष्ठा पर आधारित है । (**गुरबचन सिंह** बनाम **सतपाल सिंह और अन्य**[4] वाला मामला देखें) ।

(छ) जहां उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि उसके पास अपराध कारित करने का कोई पर्याप्त हेतु नहीं था, यद्यपि उक्त मामले में अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए प्रबल प्रत्यक्ष साक्ष्य था और तद्द्वारा अभियोजन पक्ष के लिए "हेतु" को सिद्ध करना अनावश्यक था । (**आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **बोगम चंद्रय्या और एक अन्य**[5] वाला मामला देखें) ।

45.2.2 जहां दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप घोर न्याय की हानि होगी :

(क) जहां उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध से असंबद्ध करते हुए निकाले गए निष्कर्ष साक्ष्य पर लापरवाही से विचार

---

[1] [1980] 2 उम. नि. प. 19 = (1979) 2 एस. सी. सी. 297.

[2] (1986) 4 एस. सी. सी. 99.

[3] [1982] 2 उम. नि. प. 934 = (1981) 3 एस. सी. सी. 610.

[4] (1990) 1 एस. सी. सी. 445.

[5] (1986) 3 एस. सी. सी. 637.

करने पर आधारित हों (**उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **फेरू सिंह और अन्य**[1] वाला मामला देखें), या ऐसी तनुकारक परिस्थितियों पर आधारित हों जो पूरी तरह से कल्पना और भ्रांति पर आधारित हों (**उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **पुस्सू** उर्फ **राम किशोर**[2] वाला मामला देखें) ।

(ख) जहां अभियुक्त को विचारण का संचालन करने में विलंब के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया, और जो विलंब अभियोजन अभिकरणों की सुस्ती या उदासीनता के कारण नहीं अपितु स्वयं अभियुक्त के आचरण के कारण हुआ ; या जहां अभियुक्त को ऐसे अपराध के संबंध में, जो तुच्छ प्रकृति का नहीं है, विचारण का संचालन करने में विलंब के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया हो [**महाराष्ट्र राज्य** बनाम **चंपालाल पुंजाजी शाह** (उपर्युक्त) वाला मामला देखें] ।

46. उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए संपूर्ण आक्षेपित निर्णय का अनुशीलन करने के पश्चात् हम उसमें ऐसा कोई समाधान नहीं पाते हैं कि विचारण न्यायालय का निर्णय प्रकट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या दृश्यमान रूप से अमान्य है । हमारी राय में, ऐसे समाधान के अभाव में उच्च न्यायालय को विचारण न्यायलय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के सकारण निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । हम इसके पश्चात् उन कारणों का उल्लेख करेंगे कि क्यों उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था ।

पारिस्थितिक साक्ष्य के मूल्यांकन को शासित करने वाले सिद्धांत

47. **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायधीशों की न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

> "152. उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब लिए गए मामलों पर चर्चा करने से पूर्व हम एकमात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित

---

[1] (1989) 1 सप्ली. एस. सी. सी. 288.

[2] (1983) 3 एस. सी. सी. 502.

[3] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

किसी दांडिक मामले की प्रकृति, स्वरूप और अपेक्षित आवश्यक सबूत पर कुछेक विनिश्चयों को उद्धृत करना चाहेंगे । इस न्यायालय का सबसे मौलिक और मूलभूत विनिश्चय हनुमंत **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 = 1952 एस. सी. आर. 1091 = 1953 क्रिमिनल ला जर्नल 129] वाला मामला है । इस न्यायालय द्वारा आज तक अनेक विनिश्चयों में इस मामले का बराबर अनुसरण और उपयोग किया गया है । उदाहरण के लिए, तुफेल **(उर्फ)** सिम्मी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1969) 3 एस. सी. सी. 198 = 1970 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 55] और रामगोपाल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एस. सी. सी. 625 = ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656 वाले मामले] । हनुमंत वाले मामले [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 = 1952 एस. सी. आर. 1091 = 1953 क्रिमिनल एल. जे. 129] में न्यायमूर्ति महाजन ने जो कुछ अधिकथित किया है, उसे उद्धृत करना उपयोगी होगा –

> 'यह ध्यान रखना होगा कि जिन मामलों में साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य होता है, उनमें वे परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से सिद्ध की जानी चाहिएं और इस प्रकार सिद्ध सभी तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए । साथ ही वे परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए तथा वे ऐसी होनी चाहिएं कि प्रत्येक कल्पना अपवर्जित हो जाए और वही शेष रहे जो साबित की जानी है । दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की श्रृंखला अवश्य इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप किसी निष्कर्ष के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार शेष न बचे और वह ऐसी होनी चाहिएं जिससे यह दर्शित होता हो कि समस्त मानवीय अधिसंभाव्यताओं में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।'

153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म-विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के प्रतिकूल मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं :–

(1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी' या 'की जानी चाहिएं न कि की जा सकती हैं' । 'साबित की जा सकती हैं' और 'साबित करनी होंगी या की जानी चाहिएं' में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य {[1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793} वाले मामले में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –

'निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी 'होना चाहिए' न कि केवल 'दोषी हो सकता है' तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है, अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।'

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता के कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं,

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए, और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

154. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत हैं, यदि हम ऐसा कह सकते हैं । ये पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी पक्षकथन के सबूत के पंचशील सिद्धांत हैं ।"

48. टी. एंड जे. डब्ल्यू. जॉनसन एंड कं. 1872 द्वारा प्रकाशित पुस्तक में विलियम विल्स द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्य के सिद्धांतों पर एक निबंध में निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है :–

"प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य के मामलों में, यदि वक्ता पर विश्वास किया जाए तो सुनवाई करने के कार्य और विश्वास करने के कार्य समकालीन प्रतीत होते हैं, यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं है । किंतु मामला तब पूरी तरह से भिन्न हो जाता है जब हमें पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अवधारण करना होता है, जिसके संबंध में निर्णय आवश्यक रूप से आनुमानिक होता है । तथ्यों और अनुमान के बीच कोई स्पष्ट आवश्यक संबंध नहीं होता है ; तथ्य सत्य हो सकते हैं और अनुमान गलत, और केवल समान या सदृश परिस्थितियों के अवलोकन के परिणामों के साथ तुलना करके ही हम अपने निष्कर्षों की शुद्धता में विश्वास अर्जित कर सकते हैं ।

उपधारणात्मक पद को प्रायिक तौर पर पारिस्थितिक साक्ष्य के समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है किंतु इसका इस प्रकार प्रयोग पूर्ण शुद्धता के साथ नहीं किया जाता है । 'उपधारणा' शब्द के अंतर्गत अनुमान, अंतर्निहित रूप से, तथ्यों से उपलक्षित होता है और इससे अनुबद्ध 'उपधारणात्मक' शब्द से, जो साक्ष्यात्मक तथ्यों को लागू होता है, तथ्यों और निष्कर्ष के बीच कुछ संबंध होने की निश्चितता उपलक्षित होती है । परिस्थितियों से साधारणतया, किंतु आवश्यक रूप से नहीं, विशिष्ट निष्कर्ष निकल सकते हैं ; क्योंकि

तथ्य निर्विवाद हो सकते हैं और फिर भी मुख्य तथ्य से उनका संबंध केवल आभासी हो सकता है न कि वास्तविक ; और यहां तक कि जब यह संबंध वास्तविक भी हो, तो तर्काधार त्रुटिपूर्ण हो सकता है । इसलिए पारिस्थितिक और उपधारणात्मक साक्ष्य वंश और प्रजाति के रूप में भिन्न हो सकता है ।

पारिस्थितिक साक्ष्य की मान्यता और प्रभाव उस तथ्य की सत्यता के बजाय किसी अन्य कल्पना के साथ अंसगति और उसका स्पष्टीकरण देने या समाधान करने में असमर्थता, जो इसे साबित करने के लिए प्रस्तुत की जाए, बेतुकेपन में कमी की प्रदर्शन पद्धति के सदृश तर्क प्रणाली पर निर्भर करता है ।"

49. इस प्रकार, उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय को पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले पर पूर्वोक्त स्थिर प्रतिपादनाओं को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में, निर्णय आवश्यक रूप से आनुमानिक रहता है । निष्कर्ष सिद्ध किए गए तथ्यों से निकाला जाता है क्योंकि परिस्थितियां विशिष्ट निष्कर्षों की ओर ले जाती हैं । न्यायालय को इस विषय में निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है, और जब इसमें की परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार किया जाए तो इनसे अवश्य अप्रतिरोध्य रूप से केवल यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त ही प्रश्नगत अपराध का अपराधी है । इस प्रकार सिद्ध की गई सभी परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिएं और केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत हों ।

उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियों का विश्लेषण

50. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि मूल अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट ने अभि. सा. 7 एच. टी. योगेश (मृतका का दामाद) के समक्ष एक न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी । अभि. सा. 7 ने विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2012 को अभिलिखित अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित कथन किया था :–

"1. मैं अभियुक्त व्यक्तियों को जानता हूं जो न्यायालय के

समक्ष मौजूद हैं । मृतका कमलम्मा मेरी सास है । प्रति. सा. 8 मेरी पत्नी है । अभि. सा. 1 मेरी पत्नी की बहिन है । प्रति. सा. 12 अभि. सा. 1 का पति है । प्रति. सा. 5 और 6 मृतका के भाई हैं । मैं अन्य साक्षियों को जानता हूं । मेरी सास की तारीख 23 अगस्त, 2010 को हत्या के कारण मृत्यु हो गई थी । अभियुक्त सं. 2 गौरम्मा का आलोक नामक पुत्र तारीख 24 अगस्त, 2010 को लगभग 6.30 बजे पूर्वाह्न में आया और बताया कि मेरी सास कमलम्मा पिछली रात से पाई नहीं है । अभियुक्त सं. 2 मृतका कमलम्मा के पति की पहली पत्नी की पुत्री है । मृतका होसामणे, हायरकुडिजे गांव में रहती थी । मृतका के मकान के पास अभियुक्त सं. 2 रहता था । मृतका वहां अकेली रहती थी और अभियुक्त सं. 2 और उसके बालक मृतका के मकान के पास रहते थे । अभियुक्त सं. 2 का पति जीवित नहीं है । हम भी आए । सबसे बातचीत करके हमने मेरी सास कमलम्मा को ढूंढा । चूंकि हम लगभग 1.00 बजे अपराह्न तक उसका पता नहीं लगा सके इसलिए मैं पुलिस थाने गया और एक गुमशुदगी शिकायत फाइल की । गुमशुदगी शिकायत देने के पश्चात् भी मुझे मेरी सास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली ।

2. तारीख 9 दिसंबर, 2010 को मैं गडीकल्लु गया था । लगभग 9.30 बजे अपराह्न में गडीकल्लु सर्किल में अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट मुझे मिला और वहां उसने बताया कि लगभग 3 या 3½ माह पहले उसे अभियुक्त सं. 1 द्वारा बुलाया गया था और कहा कि उसने कमलम्मा की हत्या कर दी है और शव को गाड़ने के लिए बरांडी की दो बोतल देकर उसकी मदद करने के लिए कहा और उसने यह भी कहा कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसे भी मार डालेगा जैसे कि उसके साले श्रीनिवास गौड़ा के साथ किया गया है । उसने यह भी कहा कि उसने शव को दीनामणि की भूमि के निकट ढारे में ले जाने में उसकी मदद की और वहां उन्होंने शव को गाड़ दिया ।

3. मृतका कमलम्मा यह कहती रहती थी कि अभियुक्त सं. 2 के अयुक्त संबंध हैं और वे उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह इस बात को हर व्यक्ति को बता रही है ।

4. उसके पश्चात् मैं तारीख 10 दिसंबर, 2010 को पुलिस थाने गया और शिकायत फाइल की । अब मैंने उक्त शिकायत देखी है । वह अब प्रदर्श पी-11 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-11(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

5. अगले दिन जब पुलिस और सहायक आयुक्त घटनास्थल पर आए तो मुझे भी वहां बुलाया गया । प्रति. सा. 2 से 4 भी बुलाए गए थे । वहां अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 ने हमें और पुलिस तथा सहायक आयुक्त को भी वह स्थान दिखाया जहां उन्होंने कमलम्मा के शव को गाड़ा था । उसके पश्चात् अभि. सा. 3 की सहायता से कमलम्मा के शव को खोदकर बाहर निकाला गया । शव को होराबायलु में एक जलसारणी के पास सरकारी भूमि पर सर्वेक्षण सं. 121 में गाड़ा गया था । जब शव को निकाला गया था तो वह पूरी तरह से सड़ा हुआ था । शव पर एक पेटीकोट, एक ब्लाउज था । वहां सहायक आयुक्त ने शव को खोदकर निकालने का महाजर बनाया । अब मैंने उसे देखा है । वह पहले ही प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-3(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उस समय फोटोग्राफ भी लिए गए थे । अब तीन फोटो को प्रदर्श पी-4 के रूप में चिह्नित किया गया है । मेरे अतिरिक्त प्रति. सा. 2 से 4 और अभि. सा. 3 ने भी हस्ताक्षर किए थे ।

6. पुलिस ने पुन: तारीख 14 दिसंबर, 2010 को लगभग 2.00 बजे अपराह्न में मुझे पुलिस थाने बुलाया । उक्त पुलिस थाने में अभियुक्त सं. 1 भी मौजूद था । पुलिस प्रति. सा. 24 मीरानाथ को लाई और उसने एक मोबाइल प्रस्तुत किया । उक्त मोबाइल मृतका कमलम्मा का था । उसे प्रति. सा. 22 और 23 की मौजूदगी में एक महाजर बनाकर अभिगृहीत किया गया था । अब मैंने उसे देखा है । वह अब प्रदर्श पी-12 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-12(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उस समय फोटो भी लिया

गया था । अब उक्त फोटो प्रदर्श पी-13 के रूप में चिह्नित है । यदि मुझे दिखाया जाए तो मैं मोबाइल की शनाख्त कर सकता हूं । वह पहले ही तात्विक वस्तु 4 के रूप में चिह्नित है । मुझे मेरी सास का सैल नंबर याद नहीं है । वह चौथी कक्षा तक पढ़ी थी ।

7. मेरी सास गणपति के लटकन के साथ एक जंजीर जो पहले ही तात्विक वस्तु 1 के रूप में चिह्नित है, एक जोड़ी ओले, जिनके मध्य में सफेद नगीने के चारों ओर नीला नगीना था, जो पहले ही तात्विक वस्तु 2 के रूप में चिह्नित है, लाल नगीने वाली सोने की एक अंगुठी जो पहले ही तात्विक वस्तु 3 के रूप में चिह्नित है, पहनती थी । मैं उस ब्लाउज और पेटीकोट की शनाख्त कर सकता हूं जो मृतका के शव पर पाए गए थे । (अब अभियुक्तों की ओर विद्वान् काउंसेल को एक मुहरबंद लिफाफा दिखाया गया है । मुहरें अविकल पाई गई हैं । उसे इस लिफाफे के खोले जाने में कोई आपत्ति नहीं है) इसमें एक ब्लाउज और एक पेटीकोट है । साक्षी ने इसकी शनाख्त की । इन्हें अब तात्विक वस्तु 11 और 12 के रूप में चिह्नित किया गया है ।"

51. हमें अभि. सा. 7 की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा यह मत है कि मुख्य परीक्षा का मात्र अनुशीलन ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति का अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थिति के रूप में अवलंब नहीं लिया जा सकता था ।

52. अभिकथित अपराध की तारीख 23 अगस्त, 2010 है । तथाकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति, जो कथित रूप से सीताराम भट (अभियुक्त सं. 3) द्वारा की गई है, की तारीख 9 दिसंबर, 2010 है । हमें समझ नहीं आता कि क्यों सीताराम (अभियुक्त सं. 3) ने लगभग चार माह के पश्चात् अचानक स्वयं को और इस अपील में अपीलार्थी को अभिकथित अपराध में अंतर्ग्रस्त करते हुए अभि. सा. 7 एच. टी. योगेश के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति करना उपयुक्त समझा ।

53. न्यायिकेतर संस्वीकृति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है तथा ठीक

मानसिक हालत में की गई है, तो न्यायालय द्वारा इसका अवलंब लिया जा सकता है । संस्वीकृति को किसी अन्य तथ्य की भांति साबित करना होगा । संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य का महत्व, किसी अन्य साक्ष्य की भांति, उस साक्षी की सत्यता पर निर्भर करता है जिसके समक्ष इसे किया गया है । संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य का महत्व उस साक्षी की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जो साक्ष्य देता है । कोई न्यायालय इस उपधारणा के साथ अग्रसर नहीं हो सकता कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है । यह परिस्थितियों की प्रकृति, वह समय जब संस्वीकृति की गई थी और उन साक्षियों की विश्वसनीयता जिन्होंने ऐसी संस्वीकृति के बारे में कथन किया है, पर निर्भर करेगी । ऐसी संस्वीकृति का अवलंब लिया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है यदि संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य उन साक्षियों द्वारा दिया गया है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हों, दूर-दूर तक भी अभियुक्त से दुश्मनी न हो और जिनके संबंध में ऐसा कुछ निकलकर नहीं आया हो जिससे यह उपदर्शित होता हो कि अभियुक्त के बारे में असत्य कथन करने का उनका कोई हेतु था, साक्षी द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध हों और स्पष्ट रूप से यह संप्रेषित होता हो कि अभियुक्त अपराध का अपराधी है और साक्षी द्वारा ऐसी किसी बात का लोप नहीं किया गया है जो इसके प्रतिकूल हो । साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर पूरी तरह से परखने के पश्चात् न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकती है ।

54. न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य है और न्यायालय को अवश्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे विश्वास प्रेरित होता हो और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा संपुष्टि होती हो । इसे इसलिए कमजोर साक्ष्य समझा जाता है क्योंकि जब कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो तो इसे आसानी से उपाप्त किया जा सकता है । न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार करने के लिए इसका स्वैच्छिक होना आवश्यक है और इससे अवश्य विश्वास प्रेरित होना चाहिए । यदि न्यायालय का यह

समाधान हो जाता है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वैच्छिक है, तो इसके आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है ।

55. **सहदेवन और एक अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात् न्यायिकेतर संस्वीकृति की ग्राह्यता और साक्ष्यिक महत्व पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

"15.1 बलविन्दर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [1995 सप्ली. (4) एस. सी. सी. 259 = 1996 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 59] वाले मामले में इस न्यायालय ने इस सिद्धांत का उल्लेख किया था कि (एस. सी. सी. पृ. 265 पैरा 10) –

'10. न्यायिकेतर संस्वीकृति इसकी प्रकृति से ही एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए । जहां न्यायिकेतर संस्वीकृति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हो, तो इसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद बन जाती है और यह अपना महत्व खो देती है ।'

* * *

15.4 न्यायिक संस्वीकृति की ग्राह्यता और साक्ष्यिक महत्व को शासित करने वाले सिद्धांतों के आयामों को स्पष्ट करते हुए इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य **बनाम** राजाराम [(2003) 8 एस. सी. सी. 180 = 2003 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1965] वाले मामले में इस सिद्धांत का उल्लेख किया था कि (एस. सी. सी. पृष्ठ 192 पैरा 19) –

'19. न्यायिकेतर संस्वीकृति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है तथा ठीक मानसिक हालत में की गई है, तो न्यायालय द्वारा इसका अवलंब लिया जा सकता है । संस्वीकृति को किसी अन्य तथ्य की भांति साबित करना होगा । संस्वीकृति के बारे में साक्ष्य का महत्व किसी अन्य साक्ष्य की भांति उस साक्षी

[1] (2012) 6 एस. सी. सी. 403.

की सत्यता पर निर्भर करता है जिसके समक्ष इसे किया गया है ।'

इस न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया कि (एस. सी. सी. पृष्ठ 192, पैरा 19) –

'19. ..... ऐसी किसी संस्वीकृति का अवलंब लिया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है यदि संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य उन साक्षियों द्वारा दिया गया है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हों, दूर-दूर तक भी अभियुक्त से दुश्मनी न हो और जिनके संबंध में ऐसा कुछ निकलकर नहीं आया हो जिससे यह उपदर्शित होता हो कि अभियुक्त के बारे में असत्य कथन करने का उनका कोई हेतु था.....।'

* * *

15.6 न्यायिकेतर संस्वीकृति की ग्राह्यता को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने संसार चंद **बनाम** राजस्थान राज्य [(2010) 10 एस. सी. सी. 604 = (2011) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 79] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि (एस. सी. सी. पृष्ठ 611) पैरा 29-30) –

'29. ऐसा कोई आत्यंतिक नियम नहीं है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कभी भी किसी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है, यद्यपि सामान्य तौर पर न्यायिकेतर संस्वीकृति की संपुष्टि किसी अन्य सामग्री द्वारा होनी चाहिए । [थिम्मा और थिम्मा राजू **बनाम** मैसूर राज्य (1970) 2 एस. सी. सी. 105 = 1970 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 320, मुल्क राज **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 902 = 1959 क्रिमिनल ला जर्नल 1219, शिव कुमार **बनाम** राज्य (2006) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 470 (एस. सी. सी. पैरा 40 और 41 = ए. आई. आर. पैरा 41 और 42), शिव करम पायास्वामी तिवारी **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (2009) 11 एस. सी. सी. 262 = (2009) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1320 और

मोहम्मद आजाद **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (2008) 15 एस. सी. सी. 449 = (2009) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1082 वाले मामले देखें] ।'"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

56. यह सुस्थिर है कि एक स्वैच्छिक संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है किंतु प्रज्ञा का नियम यह अपेक्षा करता है कि जहां कहीं संभव हो इसकी संपुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा होनी चाहिए । सभी मामलों में अभियुक्त की न्यायिकेतर संस्वीकृति की संपुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है । **मदन गोपाल कक्कड़** बनाम **नवल दूबे और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने **प्यारा सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि विधि यह अपेक्षा नहीं करती है कि सभी मामलों में न्यायिकेतर संस्वीकृति की संपुष्टि की जानी चाहिए । प्रज्ञा का नियम यह अपेक्षा नहीं करता है कि संस्वीकृति में वर्णित प्रत्येक परिस्थिति की पृथक्त: और स्वतंत्र रूप से संपुष्टि की जानी चाहिए ।

57. पूर्वोक्त का संक्षेप और सार यह है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति इसकी प्रकृति से ही एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसका मूल्यांकन अत्यंत सावधानी और सतर्कता से किया जाना चाहिए । जहां न्यायिकेतर संस्वीकृति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हो तो इसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद बन जाती है और यह अपना महत्व खो देती है जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है । न्यायालय न्यायिकेतर संस्वीकृति का कोई अवलंब लेने से पूर्व साधारणतया स्वतंत्र विश्वसनीय संपुष्टि की तलाश करते हैं ।

58. **कशमीरा सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

"अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति धारा 3 में यथा परिभाषित

---

[1] (1992) 3 एस. सी. सी. 204.

[2] (1977) 4 एस. एस. सी. 452.

[3] ए. आई . आर. 1952 एस. सी. 159.

पद के मामूली अर्थ में साक्ष्य नहीं है । इसे किसी दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता और केवल अन्य साक्ष्य के समर्थन में प्रयोग किया जा सकता है । उचित तरीका है, पहले संस्वीकृति को विचारणा से पूरी तरह अपवर्जित करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को क्रमबद्ध किया जाए और देखा जाए कि यदि इस पर विश्वास किया जाए तो क्या इसके आधार पर सुरक्षित रूप से दोषसिद्धि की जा सकती है । यदि यह साक्ष्य संस्वीकृति से स्वतंत्र रूप से विश्वास करने योग्य है, तब निस्संदेह यह आवश्यक नहीं है कि संस्वीकृति की सहायता ली जाए । किंतु ऐसे मामले उद्भूत हो सकते हैं जहां न्यायाधीश अन्य साक्ष्य पर कार्रवाई करने के लिए तैयार न हो, फिर भी यदि इस पर विश्वास किया जाए तो यह दोषसिद्धि करने के लिए पर्याप्त होगा । ऐसी स्थिति में न्यायाधीश संस्वीकृति की सहायता ले सकता है और अन्य साक्ष्य के प्रति आश्वस्त होने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है और इस प्रकार यह विश्वास करने के लिए स्वयं को मजबूत कर सकता है कि संस्वीकृति की सहायता के बिना जिसे वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता । (पैरा 8, 10)"

59. प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने संस्वीकृति कथन को आधार बनाकर और उसके पश्चात् इसकी संपुष्टि की तलाश करके गंभीर गलती की थी । उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को पूरी तरह से विचारणा से अपवर्जित करते हुए इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य पर पहले विचार और क्रमबद्ध किए बिना यह निष्कर्ष निकाला कि संस्वीकृति कथन की तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि होती है । जैसा कि ऊपर उद्धृत विनिश्चय में अभिनिर्धारित किया गया है, संस्वीकृति को छोड़कर केवल यदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ऐसी विचारणा करने पर इसके आधार पर सुरक्षित रूप से दोषसिद्धि की जा सकती है, केवल तब संस्वीकृति को ऐसे विश्वास या निष्कर्ष के समर्थन में प्रयोग किया जा सकता है ।

60. विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 7, जिसके समक्ष अभिकथित रूप से संस्वीकृति की गई है, के साक्ष्य को स्वीकार न करने के लिए तर्कपूर्ण कारण दिए हैं और ठीक इसी प्रकार उच्च न्यायालय ने ऐसे कोई

विश्वसनीय कारण नहीं दिए हैं कि क्यों अभि. सा. 7 पर, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा त्यक्त कर दिया गया था, विश्वास किया जाए ।

61. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 का अपनी इस दलील को सही ठहराने के लिए अवलंब लिया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति, जो अभिकथित रूप से मूल अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट द्वारा की गई है, इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राह्य है । निस्संदेह, यह कथन ग्राह्य होगा किंतु प्रश्न मात्र ग्राह्यता या साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अधीन मात्र वर्जन का अभाव होने का नहीं है, वास्तविक प्रश्न साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के एक उचित निर्वचन से संबंधित है ।

62. साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 को पूर्ण रूप से नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "30. **साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना** – जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाली व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा ।
>
> स्पष्टीकरण – इस धारा में प्रयुक्त 'अपराध' शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है ।"

63. यह तर्क दिया गया कि एक सह-अभियुक्त की संस्वीकृति, भले ही साबित की गई हो, दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती और यद्यपि यह सामान्य अर्थ में साक्ष्य है, तो भी यह विशिष्ट अर्थ में साक्ष्य नहीं है और इसकी अन्य साक्ष्य से संपुष्टि की जा सकती है और यह दोषसिद्धि

के लिए समर्थनकारी बिंदु या एकमात्र आधार नहीं हो सकती है । इस संबंध में, **हरिचरण कुर्मी और जोगिया हजाम** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के साथ-साथ **रामचंद्र और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले एक अन्य मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रतिनिर्देश किया जा सकता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति पर केवल विचार किया जा सकता है किंतु यह स्वत: एक सारभूत साक्ष्य नहीं था । प्रिवी कौंसिल ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति स्पष्ट रूप से एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य था और यह धारा 3 में अंतर्विष्ट साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता था ।

64. उच्चतम न्यायालय और प्रिवी कौंसिल के इन विनिश्चयों के पीछे के तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है । हम क्रमवार अग्रसर होंगे ।

65. **भूबोनी साहू** बनाम **दि किंग**[3] वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया था । तथापि, प्रिवी कौंसिल ने हिज मैजेस्टी को परामर्श दिया कि अपील मंजूर की जाए और निर्णय ऐसा परामर्श देने के लिए कारणों को देते हुए अभिलिखित किया गया । अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य में (क) खोल्ली बेहरा का साक्ष्य, जिसने हत्या में भाग लिया था और इकबाली साक्षी बन गया था, (ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित त्रिनाथ की संस्वीकृति, जिसने स्वयं और अपीलार्थी दोनों को हत्या में आलिप्त किया था, और (ग) एक धोती की बरामदगी जिसकी शनाख्त उस धोती के रूप में की गई थी जो मृतक उस समय पहने हुए था जब मृतक पर हमला किया गया था, और घास काटने का एक उपकरण समाविष्ट थे । प्रस्तुत मामले के प्रयोजन के लिए बिंदु (ख) में

---

[1] ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184.

[2] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 381.

[3] ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 257.

दिया गया साक्ष्य सुसंगत है । प्रिवी कौंसिल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 को उद्धृत किया और निर्णय (यथा संप्रकाशित) के पैरा 9 में यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 30 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में पहली बार पुर:स्थापित की गई थी और यह इंग्लैंड की कॉमन विधि का त्याग था । यह मत व्यक्त किया गया कि यह धारा 30 संस्वीकृतियों को लागू होती है न कि उन कथनों को जिनमें संस्वीकृति करने वाले पक्षकार की दोषिता को स्वीकार नहीं किया जाता है । यह अभिनिर्धारित किया गया कि त्रिनाथ का कथन एक संस्वीकृति थी । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह भी मत व्यक्त किया कि धारा 30 इस मत पर आधारित होना प्रतीत होती है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति की स्वयं अपने अपराध की स्वीकारोक्ति अन्य व्यक्तियों तथा उसके स्वयं के विरुद्ध उसकी संस्वीकृति की सत्यता के समर्थन में कुछ न कुछ मंजूर प्रदान करती है । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह भी मत व्यक्त किया कि किंतु किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति स्पष्ट रूप से एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है । वास्तव में यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में अंतर्विष्ट 'साक्ष्य की परिभाषा' के भीतर नहीं आती है । ऐसा कथन न तो शपथ पर किया जाना और न ही अभियुक्त की मौजूदगी में किया जाना आवश्यक है और इसकी प्रतिपरीक्षा करके परख नहीं की जा सकती । यह इकबाली साक्षी के साक्ष्य की बजाय एक बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है जो इन खामियों से ग्रसित नहीं होता है । तथापि, धारा 30 में यह उपबंधित है कि न्यायालय संस्वीकृति पर विचार कर सकता है और तद्द्वारा निस्संदेह इसे साक्ष्य बनाए जिसके आधार पर न्यायालय कार्रवाई कर सकता है किंतु इस धारा में यह नहीं कहा गया है कि संस्वीकृति सबूत की कोटि में आती है । स्पष्ट तौर पर, अवश्य अन्य साक्ष्य होना चाहिए और संस्वीकृति मामले में साबित सभी तथ्यों पर विचारणीय केवल एक तत्व है, जिसे तुला में रखा जा सकता है और अन्य साक्ष्य के साथ तोला जा सकता है । माननीय न्यायमूर्तियों ने इस मत की पुष्टि की कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को केवल साक्ष्य के समर्थन में प्रयुक्त किया जा सकता है और इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता ।

66. इस न्यायालय के समक्ष **राम चंद्र** (उपर्युक्त) वाला मामला भी हत्या का मामला था । यह ऐसा मामला था जिसमें अपराध-सार का पता नहीं चल सका था और हत्या का सबूत एकमात्र रूप से अभियुक्त की मुकरी हुई संस्वीकृति पर आधारित था । न्यायालय का यह मत था कि यद्यपि अपराध-सार नहीं पाया गया था, फिर भी यदि हत्या कारित किए जाने के बारे में विश्वसनीय साक्ष्य, प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक, उपलब्ध है तो दोषसिद्धि की जा सकती है । तथापि, किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति स्वत: एक सारभूत साक्ष्य नहीं थी । निचले न्यायालयों ने एक सह-अभियुक्त रामभरोसे के विरुद्ध अभियुक्त रामचंद्र की संस्वीकृति का उसके विरुद्ध आरोपित अपराधों का दोषी ठहराने के लिए अवलंब लिया था । इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "यह ठीक ही आग्रह किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को केवल ध्यान में रखा जा सकता है किंतु स्वत: सारभूत साक्ष्य नहीं है ।" तथापि, इस न्यायालय का यह समाधान हो गया था कि यहां तक कि संस्वीकृति को सारभूत साक्ष्य के रूप में अपवर्जित करते हुए भी अपीलार्थी रामभरोसे को दोषी ठहराने के लिए उस पर आरोपित आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित करने के लिए उसके विरुद्ध पर्याप्त सामग्री थी । विनिश्चयाधार पर आते हुए, हमारा निष्कर्ष है कि इस मत की अभिपुष्टि की गई थी कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को केवल ध्यान में रखा जा सकता है किंतु सारभूत साक्ष्य के रूप में अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

67. **हरिचरण कुर्मी** (उपर्युक्त) वाला मामला पुन: पटना उच्च न्यायालय से था । इस मामले में भी एक अभियुक्त की एक सह-अभियुक्त के विरुद्ध संस्वीकृति के साक्ष्यिक महत्व के बारे में प्रश्न उद्भूत हुआ था । इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषा खंड और इसकी धारा 30 के साथ-साथ इस न्यायालय के कुछ पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर भी विचार किया । यथा संप्रकाशित निर्णय के पैरा 15 में यह मत व्यक्त किया गया था, "यह सही है कि राम सूरत द्वारा की गई संस्वीकृति एक विस्तृत कथन है और इसमें अपराध के किए जाने में दोनों अपीलार्थियों की बड़ी भूमिका होने का आरोप लगाया गया है । यह भी सही है कि जहां तक स्वयं राम सूरत द्वारा निभाई गई भूमिका का

संबंध है, उक्त संस्वीकृति को स्वैच्छिक और सत्य पाया गया है, और इसलिए यह असंभाव्य नहीं है कि दोनों अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में संस्वीकृति कथन भी सत्य हो सकता है ; और इस अर्थ में उक्त संस्वीकृति के परिशीलन से अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता है । किंतु ऐसे मामलों में यह स्पष्ट है कि अवश्य सही विधिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, सबूत का स्थान लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए । जैसा कि हमने पहले ही उपदर्शित किया है, इस देश में अर्द्ध शताब्दी से अधिक समय से आपराधिक विधि के प्रशासन का यह मान्य सिद्धांत रहा है कि किसी सह-अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति को सारभूत साक्ष्य नहीं समझा जा सकता और इसके आधार पर केवल तब कार्रवाई की जा सकती है जब न्यायालय अन्य साक्ष्य स्वीकार करने के लिए तैयार है और उक्त साक्ष्य से निकलने वाले अपने निष्कर्ष के समर्थन में एक आश्वासन की आवश्यकता महसूस करता है । दांडिक विचारण में, नैतिक दोषसिद्धि या गंभीर संदेह के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है । दांडिक मामलों में, जहां अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया अन्य साक्ष्य पूर्णत: असमाधानप्रद है और अभियोजन पक्ष किसी सह-अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति पर अवलंब लेने की ईप्सा करता है, तो निर्दोषिता की उपधारणा जो दांडिक विधिशास्त्र का आधार है, अभियुक्त व्यक्ति की सहायता करती है और न्यायालय को यह निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है कि उसके विरुद्ध आरोप साबित नहीं होता है और इसलिए वह संदेह के फायदे का हकदार है । इन अपीलों में स्पष्ट रूप से ऐसा ही घटित हुआ है ।"

68. प्रस्तुत मामला टाडा अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिलिखित संस्वीकृति का मामला नहीं है । धारा 15 की उपधारा (1) की भाषा के आधार पर किसी अभियुक्त की संस्वीकृति को उन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बनाया गया है जिनका उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया गया है । इसलिए यह विवक्षित है कि इस पर उन सभी के विरुद्ध विचार किया जा सकता है जिनका एक-साथ विचारण किया गया है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए भी एक ही मामले में अभियुक्त के साथ आरोपित

और विचारित सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकारी के विरुद्ध उसकी संस्वीकृति पर विचार करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 का अवलंब लेने की आवश्यकता नहीं है । विधि में स्वीकार्य सिद्धांत यह है कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिलिखित किसी अभियुक्त का संस्वीकृति कथन उसके सह-अभियुक्त के विरुद्ध एक सारभूत साक्ष्य है, बशर्ते संबंधित अभियुक्तों का एक-साथ विचारण किया गया हो । संपुष्टिकारी साक्ष्य होने के कारण न्यायिकेतर संस्वीकृति और एक सारभूत साक्ष्य समझे जाने के कारण टाडा अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिलिखित संस्वीकृति के बीच एक स्पष्ट विभेद है ।

आक्रामक आयुध, वस्त्रों और शव का प्रकटीकरण

69. अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन पंचनामा तैयार करके अपीलार्थी के बताने पर उसके वस्त्रों के प्रकटीकरण को साबित करने के प्रयोजन के लिए अभि. सा. 5 टी. सोमय्या के साक्ष्य का अवलंब लिया है । अभि. सा. 5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

> "1. मैं अभियुक्त व्यक्तियों को जानता हूं जो न्यायालय के समक्ष मौजूद हैं । मैं प्रति. सा. 19 को जानता हूं । लगभग एक वर्ष मुझे और प्रति. सा. 19 को पुलिस द्वारा बुलाया गया था, उस समय अभियुक्त सं. 1 सुब्रमण्य भी वहां था । वहां से अभियुक्त सं. 1 हमें कमलम्मा के मकान के निकट लेकर गया । कमलम्मा के मकान के पास अभियुक्त सं. 2 का मकान है । पुलिस ने मुझे कहा कि अभियुक्त सं. 1 वस्त्र देने जा रहा है । इसलिए हमें वहां जाना है । कमलम्मा के मकान के पास उस स्थान से जहां जलाने की लकड़ी रखी गई हैं, अभियुक्त सं. 1 ने एक पैंट और एक शर्ट निकाली और पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की और उसके पश्चात् एक महाज़र तैयार करके उन्हें अभिगृहीत किया गया । अब मैंने उक्त महाज़र को देखा है । वह अब प्रदर्श पी-6 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-6 (क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उक्त महाज़र 9.30 बजे पूर्वाह्न से 10.30 बजे पूर्वाह्न के बीच तैयार किया गया था (अब अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल को दो लिफाफे दिखाए गए

हैं । उन्हें खोलने में कोई आपत्ति नहीं है । वे अब खोले गए हैं) । उनमें लाल रंग की कमीज और सीमेंट के रंग की पैंट है । वे अब क्रमश: तात्विक वस्तु 7 और 8 के रूप में चिह्नित हैं । तात्विक वस्तु 7 और 8 का अभिग्रहण करने के समय पर फोटोग्राफ भी लिया गया है । अब मैंने उन्हें देखा है । वे अब प्रदर्श पी-7 के रूप में चिह्नित हैं ।"

70. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के बताने पर आक्रामक आयुध के प्रकटीकरण को साबित करने के प्रयोजन के लिए मुख्य परीक्षा का अवलंब लिया है । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 6 श्रीधर शेट्टी के साक्ष्य का अवलंब लिया है । श्रीधर शेट्टी ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

"1. मैं अभियुक्त व्यक्तियों को जानता हूं जो न्यायालय के समक्ष मौजूद हैं । मैं प्रति. सा. 21 को जानता हूं । तारीख 14 दिसंबर, 2010 को प्रति. सा. 42 द्वारा मुझे और प्रति. सा. 21 को बुलाया गया था । उस समय अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 तथा पंचायत का अध्यक्ष और बहुत सारे अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे । अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 हमें दीनामणि की भूसंपत्ति के पास सरकारी भूमि के सर्वेक्षण सं. 121 पर ले गया और वहां उन्होंने बताया कि वे उस डंडे को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे अपराध कारित करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है और जिसे एक झाड़ी में रखा गया है । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 ने झाड़ी से एक डंडा निकाला और पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया । अब मैंने उक्त डंडे को देखा है जो न्यायालय के समक्ष है । वह अब तात्विक वस्तु 9 के रूप में चिह्नित है । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 3 भी झाड़ी के पास गया और वहां से उसने एक फावड़ा प्रस्तुत किया । अब मैंने उक्त फावड़े को देखा है । वह अब तात्विक वस्तु 10 के रूप में चिह्नित है । उसके पश्चात् तात्विक वस्तु 9 और 10 को एक महाज़र तैयार करके अभिगृहीत किया गया । अब मैंने उक्त महाज़र को देखा है । वह अब प्रदर्श पी-8 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-8(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उक्त

महाज़र 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे पूर्वाह्न के बीच तैयार किया गया था । उक्त कार्यवाहियां करते समय फोटोग्राफ भी लिए गए थे । अब उक्त फोटोग्राफ प्रदर्श पी-9 और प्रदर्श पी-10 के रूप में चिह्नित हैं ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

71. इस अपील में अपीलार्थी के बताने पर मृतका के शव के प्रकटीकरण को साबित करने के प्रयोजन के लिए अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 7 एच. टी. योगेश के साक्ष्य का अवलंब लिया है । अभि. सा. 7 एच. टी. योगेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

"5. अगले दिन जब पुलिस और सहायक आयुक्त घटनास्थल पर आए तब मुझे भी वहां बुलाया गया था । प्रति. सा. 2 से 4 को भी बुलाया गया था । वहां अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 ने हमें और पुलिस तथा सहायक आयुक्त को भी वह स्थान दिखाया जहां उन्होंने कमलम्मा के शव को गाड़ा था । उसके पश्चात् अभि. सा. 3 की सहायता से कमलम्मा के शव को खोदकर बाहर निकाला गया । शव को सर्वेक्षण सं. 21, होयराबायलु में एक जल सारणी के पास सरकारी भूमि में गाड़ा गया था जब शव को खोदकर निकाला गया तो यह पूरी तरह से सड़ा हुआ था । शव पर एक पेटीकोट, एक ब्लाउज था । वहां सहायक आयुक्त ने खोदकर निकाले गए शव का महाज़र तैयार किया । मैंने अब उसे देखा है । वह पहले ही प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-3(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । अब तीन फोटो प्रदर्श पी-4 के रूप में चिह्नित किए गए हैं । मेरे अतिरिक्त प्रति. सा. 2 से 4 और अभि. सा. 3 ने भी हस्ताक्षर किए हैं ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

6. तारीख 14 दिसंबर, 2010 को लगभग 2.00 बजे अपराह्न में पुन: पुलिस ने मुझे पुलिस थाने बुलाया । उक्त पुलिस थाने में अभियुक्त सं. 1 भी मौजूद था । पुलिस प्रति. सा. 24 मीरानाथ को

लाई और उसने एक मोबाइल प्रस्तुत किया । उक्त मोबाइल मृतका कमलम्मा का था । उसे प्रति. सा. 22 और 23 की मौजूदगी में एक महाज़र तैयार करके अभिगृहीत किया गया । अब मैंने उसे देखा है । वह अब प्रदर्श पी-12 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-12(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उस समय फोटो भी लिया गया था । अब उक्त फोटो प्रदर्श पी-13 के रूप में चिह्नित है । मैं मोबाइल की शनाख्त कर सकता हूं यदि मुझे दिखाया जाए । वह पहले ही तात्विक वस्तु 4 के रूप में चिह्नित है । मुझे मेरी सास का सैल नंबर याद नहीं है । वह चौथी कक्षा तक पढ़ी थी ।

7. मेरी सास गणपति के लटकन के साथ एक जंजीर जो पहले ही तात्विक वस्तु 1 के रूप में चिह्नित है, एक जोड़ी ओले, जिनके मध्य में सफेद नगीने के चारों ओर नीला नगीना था, जो पहले ही तात्विक वस्तु 2 के रूप में चिह्नित है, लाल नगीने वाली सोने की एक अंगूठी जो पहले ही तात्विक वस्तु 3 के रूप में चिह्नित है, पहनती थी । मैं उस ब्लाउज और पेटीकोट की शनाख्त कर सकता हूं जो मृतका के शव पर पाए गए थे । (अब अभियुक्तों की ओर विद्वान् काउंसेल को एक मुहरबंद लिफाफा दिखा दिया गया है । मुहरें अविकल पाई गई हैं । उसे इस लिफाफे के खोले जाने में कोई आपत्ति नहीं है) । इसमें एक ब्लाउज और एक पेटीकोट है । साक्षी ने इसकी शनाख्त की । इन्हें अब तात्विक वस्तु 11 और 12 के रूप में चिह्नित किया गया है ।"

72. अभि. सा. 8 एच. एम. रविकांत ने भी एक पंचसाक्षी के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

"2. तारीख 11 दिसंबर, 2010 को लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न में सी. पी. आई. ने मुझे, प्रति. सा. 2 और 3 को बुलाया । उस समय सहायक आयुक्त भी वहां मौजूद थे और अभियुक्त सं. 1 सुब्रमण्य और अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट भी वहां मौजूद थे । गढ़ीकल्लु से पुलिस पदधारियों, सहायक आयुक्त, अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 मेरे और प्रति. सा. 2 के साथ हम उस स्थान पर गए जहां शव को गाड़ा गया था । अभियुक्त सं. 1 हमें उस

स्थान पर लाया जहां उन्होंने शव को गाड़ा था । उस स्थान को दिखाने के पश्चात् जहां उन्होंने मृतका के शव को गाड़ा था, अभियुक्त सं. 1 ने अभि. सा. 3 और अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 की सहायता से शव को खोदकर बाहर निकाला गया और वहां हमने देखा कि यह कमलम्मा का शव है । उक्त शव पूरी तरह से सड़ा हुआ था और शव पर एक ब्लाउज और एक पेटीकोट पाए गए थे । शव को खोदकर बाहर निकालने के पश्चात् प्रदर्श पी-3 के अनुसार एक महाज़र तैयार किया गया था । प्रदर्श पी-3(ग) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । वहां कार्यवाहियों के बारे में फोटोग्राफ भी लिए गए थे । उक्त फोटोग्राफ पहले ही पी-4 के रूप में चिह्नित किए गए हैं । कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी भी की गई थी । अब उक्त सी. डी. तात्विक वस्तु 13 के रूप में चिह्नित है ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

3. उसके पश्चात् मृतका के शव का मृत्युसमीक्षा महाज़र भी तैयार किया गया था । अब मैंने उक्त महाज़र को देखा है । वह अब प्रदर्श पी-14 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-14(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी-14 तैयार करते समय प्रति. सा. 2 और 3 भी मौजूद थे ।

4. उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 हमें मृतका कमलम्मा के मकान पर लेकर गया और हमें पिछली तरफ के दरवाजे पर लेकर गया और 3 से 4 फुट की दूरी से उसने वह स्थान दिखाया जहां उसने हमला करके मृतका कमलम्मा की हत्या की थी । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 हमें 5 से 6 फुट की दूरी पर एक पशुशाला में लेकर गया और वहां से उसने एक डंडा प्रस्तुत किया । अब मैंने उक्त डंडे को देखा है । डंडा तात्विक वस्तु 14 के रूप में चिह्नित है । उसके पश्चात् अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतका की छतरी को तीरथहल्ली कुप्पाल्ली बस अड्डे पर बस शैल्टर के ऊपर रखा है । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 हमें एक पुलिस जीप में कुप्पाल्ली लेकर गया और वहां बस स्टॉप के निकट जाने के पश्चात् अभियुक्त सं. 1 ने जीप को रोकने के लिए कहा । जीप से

उतरने के पश्चात् अभियुक्त सं. 1 गया और बस शैल्टर की छत पर रखी छतरी को निकालकर लाया और इसे प्रस्तुत किया । अब मैंने उक्त छतरी को देखा है । उक्त छतरी अब तात्विक वस्तु 15 के रूप में चिह्नित है । अब घटनास्थल-सह-डंडे और छतरी के महाज़र को साक्षियों को दिखाया गया । उसने अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की । वह अब प्रदर्श पी-15 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-15(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उक्त महाज़र 2.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक तैयार किया गया था । उस समय अभियुक्त सं. 3 भी मौजूद था । अभियुक्त सं. 1 जो न्यायालय के समक्ष मौजूद है । वही व्यक्ति है जो हमें लेकर गया था और तात्विक वस्तु 14 और 15 प्रस्तुत की थी तथा अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 ने वह स्थान दिखाया था जहां शव को गाडा गया था । महाज़र के समय फोटोग्राफ भी लिए गए थे । उक्त पांच फोटो प्रदर्श पी-16 के रूप में चिह्नित हैं ।"

73. अभि. सा. 9 सोमशेखर (जौहरी) ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

"1. मैं अभियुक्त सं. 1 को जानता हूं जब वह मेरी दुकान पर सोना बेचने के लिए आया था । मेरा रिप्पनपेट में तीर्थहल्ली जाने वाली सड़क पर जेवरात का काम है । पुलिस तारीख 13 दिसंबर, 2010 को लगभग् 7.00 बजे अपराह्न में आई थी । पुलिस के साथ अभियुक्त सं. 1, न्या. सा. 15/गुरुराज भी वहां थे । मैंने पुलिस को बताया कि अभियुक्त सं. 1 आया था और मेरी दुकान में सोना बेचा था । मैंने अभियुक्त सं. 1 से सोना पुलिस के अभियुक्त सं. 1 के साथ मेरी दुकान में आने से 3½ माह पहले लिया था । अभियुक्त सं. 1 ने गणपति की लटकन के साथ एक सोने की जंजीर, एक जोड़ी ओले, जिसमें मध्य में नीला नगीना था जो सफेद नगीनों से जड़ित था और लाल नगीने के साथ एक सोने की अंगूठी बेची थी । अभियुक्त सं. 1 ने बेचते समय यह बताया था कि उक्त सोने की वस्तुएं उसकी हैं क्योंकि परिवार में उसकी आर्थिक समस्या है और वह एक मकान का विनिर्माण कर रहा है,

इस कारण से वह इन्हें बेच रहा है । मैंने खरीदने के पश्चात् अभियुक्त को 27,500/- रुपए का संदाय किया था । पुलिस ने मुझे उक्त वस्तुएं वापस करने के लिए कहा था । तद्नुसार, मैंने उन्हें वापस कर दिया और पुलिस द्वारा उन्हें अभिगृहीत किया गया । न्या. सा. 15 ने सोने की वस्तुओं का मूल्यांकन किया और उसके पश्चात् उन्हें सत्यापित किया । उस समय जब सोने की वस्तुएं अभिगृहीत की गई थी तब उनका मूल्य 47,000/- रुपए था । अब मैंने उक्त महाज़र को देखा है । वह पहले ही प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-1(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने, न्या. सा. 13, न्या. सा. 15 और अभि. सा. 2 ने प्रदर्श पी-1 पर हस्ताक्षर किए हैं । उक्त महाज़र को 7.00 बजे अपराह्न से 8.30 बजे अपराह्न तक तैयार किया गया था । मैं उक्त सोने की वस्तुओं की शनाख्त कर सकता हूं जिन्हें प्रदर्श पी-1 के अधीन अभिगृहीत किया गया था । वे पहले ही तात्विक वस्तु 1 से 3 के रूप में चिह्नित की गई हैं । तात्विक वस्तु 1 से 3 के अभिग्रहण के समय पुलिस ने फोटोग्राफ भी लिए थे । वे पहले ही प्रदर्श पी-2 के रूप में चिह्नित हैं ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

74. अभि. सा. 10 रवि शेट्टी (मोबाइल की बरामदगी के पंच-साक्षियों में से एक साक्षी) ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

"2. तारीख 14 दिसंबर, 2010 को मुझे, न्या. सा. 23 और 24 को लगभग 1.30 बजे अपराह्न में पुलिस थाने बुलाया गया था । अभि. सा. 7 भी मौजूद था । न्या. सा. 24 ने मोबाइल प्रस्तुत किया जो अभियुक्त सं. 1 द्वारा उसे बेचा गया था । उक्त मोबाइल को एक महाजर तैयार करके प्रदर्श पी-12 के अनुसार अभिगृहीत किया गया था । प्रदर्श पी-12(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । तात्विक वस्तु 4 वही मोबाइल है जो उस दिन प्रस्तुत किया गया था । जब उक्त कार्यवाहियां की जा रही थीं तब फोटोग्राफ भी लिए गए थे । अब मैंने उक्त फोटोग्राफ देखें हैं । उन्हें पहले ही प्रदर्श पी-13 के रूप में चिह्नित किया गया है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

75. अभि. सा. 19 टी. संजीवा नायक अन्वेषण अधिकारी है । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

"तारीख 10 दिसंबर, 2010 को लगभग 1.30 बजे अपराह्न में मुझे मामला फाइल प्राप्त हुई थी और अभि. सा. 17 से इस मामले का आगे का अन्वेषण लिया और उसके द्वारा किए गए अन्वेषण का परिशीलन किया । मैंने तुरंत अभियुक्त के बारे में पता लगाने के लिए पी. एस. आई. और अन्य कर्मचारिवृंद को तैनात किया । न्या. सा. 36, 37 अभियुक्त सं. 1 को लाए और लगभग 9.00 बजे अपराह्न में एक रिपोर्ट के साथ मेरे समक्ष पेश किया । अब मैंने उक्त रिपोर्ट देखी है । वह अब प्रदर्श पी-26 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-26(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । न्या. सा. 34 और 35 ने यह भी सूचित किया था कि उन्होंने अभियुक्त सं. 2 को गिरफ्तार किया है और लगभग 9.00 बजे अपराह्न में एक रिपोर्ट के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत किया । अब मैंने उक्त रिपोर्ट देखी है । वह अब प्रदर्श पी-27 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-27(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । अभि. सा. 17 और न्या. सा. 38 ने अभियुक्त सं. 3 को गिरफ्तार किया और एक रिपोर्ट के साथ उसी दिन लगभग 9.00 बजे अपराह्न में मेरे समक्ष पेश किया । रिपोर्ट को पहले ही प्रदर्श पी-23 के रूप में चिह्नित किया गया है । प्रदर्श पी-23(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । <u>मैंने तुरंत अभियुक्त व्यक्तियों से परिप्रश्न किए और उनके स्वैच्छिक कथन लेखबद्ध किए । अभियुक्त सं. 1 ने स्वेच्छा से यह कथन किया कि उसने मृतका कमलम्मा की हत्या की थी और डंडा, मोबाइल, फावड़ा, एक अन्य डंडा जिसे शव को ले जाने के लिए प्रयुक्त किया गया था और आभूषण जो शव से उतारे गए थे, प्रस्तुत कर देगा ।</u> अब अभियुक्त सं. 1 के स्वैच्छिक कथन का सुसंगत भाग प्रदर्श पी-28 के रूप में चिह्नित है । प्रदर्श पी-28(क) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 ने स्वेच्छा से वह स्थान

दिखाने के लिए कहा था जहां उन्होंने शव को गाड़ा था । उक्त स्वैच्छिक कथन न्या. सा. 2, 3 और अभि. सा. 8 की मौजूदगी में अभिलिखित किए गए थे । मैंने मृतका कमलम्मा के शव को खोदकर निकालने के लिए अभि. सा. 15 को उप मंडल मजिस्ट्रेट के रूप में आने के लिए तुरंत एक अध्यापेक्षा भी भेजी ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

3. तारीख 11 दिसंबर, 2010 को अभि. सा. 15 ने पंच-साक्षियों की मौजूदगी में अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 द्वारा दिखाए अनुसार मृतका के शव को अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 3, न्या. सा. 2 और 3 की मौजूदगी में खोदकर निकाला । शव को खोदकर निकालने के लिए एक महाज़र भी प्रदर्श पी-3 के अनुसार तैयार किया गया था । प्रदर्श पी-3(ड.) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । वहां प्रदर्श पी-4 के अनुसार फोटोग्राफ लिए गए थे । उपर्युक्त पंच-साक्षियों की मौजूदगी में मैंने प्रदर्श पी-14 के अनुसार मृत्युसमीक्षा महाज़र भी तैयार किया था । प्रदर्श पी-14(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मृत्युसमीक्षा के समय मैंने न्या. सा. 5, 6, अभि. सा. 1, न्या. सा. 8, अभि. सा. 2, न्या. सा. 10, अभि. सा. 3 और न्या. सा. 12 के कथन लेखबद्ध किए थे । उसके पश्चात् न्या. सा. 39 के माध्यम से मैंने शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए एक अध्यापेक्षा के साथ राजकीय अस्पताल, कोप्पा भेजा । मैंने शव से डी. एन. ए. परीक्षण हेतु भेजने के लिए सामग्री एकत्रित करने का भी अनुरोध किया । तत्पश्चात् अभियुक्त सं. 1 हमें ले गया और वह स्थान दिखाया जहां उसने अपराध कारित किया था और वहां न्या. सा. 2, 3 और अभि. सा. 8 की मौजूदगी में मैंने प्रदर्श पी-15 के अनुसार स्थल-सह-अभिग्रहण महाज़र तैयार किया । प्रदर्श पी-15(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी-15 तैयार करते समय उसने तात्विक वस्तु 14 भी प्रस्तुत की थी । उसके पश्चात् वह हमें कुप्पाल्ली बस स्टॉप पर ले गया और वहां उसने उक्त बस अड्डे के शैल्टर से छतरी प्रस्तुत की । छतरी पहले ही तात्विक वस्तु 15 के रूप में चिह्नित है । मैंने तात्विक वस्तु 15 को प्रदर्श पी-15 के

अधीन अभिगृहीत किया था । मैंने कार्यवाहियों के फोटोग्राफ भी लिए थे । उक्त पांच फोटोग्राफ प्रदर्श पी-16 के रूप में चिह्नित किए गए हैं । उसके पश्चात् मैं अभियुक्त और अभिगृहीत की गई वस्तुओं के साथ वापस आया और अभिगृहीत वस्तुओं को पी. एफ. सं. 73/2010 के अधीन रखा । मैंने अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 को न्यायालय के समक्ष भी पेश किया और उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लिया । मैंने प्रतिप्रेषण आवेदन के साथ अभियुक्त सं. 2 को न्यायालय के समक्ष पेश किया ।

4. तारीख 13 दिसंबर, 2010 को मैंने अभि. सा. 2, न्या. सा. 13 और न्या. सा. 15 को लिया । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 हमें रिप्पनपेट से सोमेश्वर ज्वैलरी वर्क्स शॉप अर्थात् अभि. सा. 9 की दुकान पर लेकर गया । अभियुक्त सं. 1 ने अभि. सा. 9 को तात्विक वस्तु 1 से 3 देने के लिए कहा । अभियुक्त के अनुरोध पर उसने तात्विक वस्तु 1 से 3 प्रस्तुत की जो उसके पास गिरवी रखी गई थी । उसने तात्विक वस्तु 1 से 3 प्रस्तुत की और मैंने एक महाज़र तैयार करके प्रदर्श पी-1 के अनुसार उन्हें अभिगृहीत किया । प्रदर्श पी-1(ग) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने प्रदर्श पी-2 के अनुसार फोटोग्राफ भी लिए थे । मैंने उक्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी भी की थी । मैं अभिगृहीत संपत्ति के साथ पुलिस थाने वापस आया और अभिगृहीत वस्तुओं को पी. एफ. सं. 74/2010 के अधीन रखा । मैंने अभि. सा. 9 और न्या. सा. 15 का कथन भी लेखबद्ध किया । मैंने अभियुक्त सं. 1 को पुलिस अभिरक्षा में भी रखा ।

5. तारीख 14 दिसंबर, 2010 को मैंने अभि. सा. 4 और न्या. सा. 17 को लिया और उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 3 हमें किरनाकेरे में अपने मकान पर लेकर गया और वहां उसने तात्विक वस्तु 5 और 6 प्रस्तुत की और वहां मैंने एक महाज़र तैयार करके उन्हें प्रदर्श पी-5 के अनुसार अभिगृहीत किया । प्रदर्श पी-5(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने फोटोग्राफ भी लिए । अब मैंने उक्त दो फोटोग्राफ देखे हैं । वे अब प्रदर्श पी-29 के रूप में चिह्नित हैं ।

वहां मैंने अभि. सा. 5 और प्रति. सा. 19 को लिया और उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 हमें अभियुक्त सं. 2 के मकान पर लेकर गया और उसने अंगीठी से तात्विक वस्तु 7 और 8 प्रस्तुत की और वहां मैंने एक महाज़र तैयार करके उन्हें प्रदर्श पी-6 के अनुसार अभिगृहीत किया । प्रदर्श पी-6(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने प्रदर्श पी-7 के अनुसार फोटोग्राफ भी लिए । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 हमें उस स्थान पर लेकर गए जहां उन्होंने तात्विक वस्तु 9 और 10 को छिपाया था और वे हायरकोडिजे गांव में सरकारी भूमि, सर्वेक्षण सं. 121 पर झाड़ी के निकट गए और झाड़ियों के अंदर जाकर अभियुक्त सं. 1 ने तात्विक वस्तु 9 प्रस्तुत की और अभियुक्त सं. 3 ने तात्विक वस्तु 10 प्रस्तुत की । उन्हें एक महाज़र तैयार करके प्रदर्श पी-8 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । प्रदर्श पी-8(ख) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । वहां मैंने प्रदर्श पी-9 और पी-10 के अनुसार फोटोग्राफ भी लिए । उसके पश्चात् मैं अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 तथा अभिगृहीत वस्तुओं के साथ पुलिस थाने वापस आया और अभिगृहीत वस्तुओं को पी. एफ. सं. 75/2010 से 77/2010 के अधीन रखा । उसी दिन मेरे निदेशानुसार मेरा कांस्टेबल न्या. सा. 36 अभि. सा. 16 को पुलिस थाने लाया । मैंने अभि. सा. 10 और न्या. सा. 23 को बुलाया और अभि. सा. 16 ने तात्विक वस्तु 4 मोबाइल प्रस्तुत किया जो कथित रूप से अभियुक्त सं. 1 द्वारा उसे बेचा गया था और एक महाज़र तैयार करके उसे प्रदर्श पी-12 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । प्रदर्श पी-12(घ) पर मेरे हस्ताक्षर हैं । अभि. सा. 16 ने अभियुक्त सं. 1 की यह कहते हुए शनाख्त की कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसे तात्विक वस्तु 4 बेची थी । कार्यवाहियों के समय अभि. सा. 7 भी मौजूद था । मैंने प्रदर्श पी-13 के अनुसार फोटोग्राफ भी लिए थे । उसके पश्चात् मैंने तात्विक वस्तु 4 को पी. एफ. सं. 78/2010 के अधीन रखा । मैंने अभि. सा. 16 का कथन, न्या. सा. 5, न्या. सा. 6, अभि. सा. 1, न्या. सा. 8 और न्या. सा. 25 का अतिरिक्त कथन भी अभिलिखित किया । मैंने अभियुक्त

सं. 1 और अभियुक्त सं. 3 को प्रतिप्रेषण आवेदन के साथ न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया ।"

76. पूर्वोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम यह विचार करने के लिए अग्रसर होंगे कि क्या अभियोजन पक्ष पता चले तथ्यों को विधि के अनुसार सिद्ध और साबित करने में समर्थ रहा है या नहीं । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 निम्न प्रकार से है :–

"**27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी** – परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी ।"

77. पूर्वोक्त सभी अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में पहली और मूलभूत खामी यह है कि उनमें से किसी ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से किए गए हू-ब-हू उस कथन के बारे में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है जिसके परिणामस्वरूप अंततोगत्वा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन एक सुसंगत तथ्य का पता चला था ।

78. यदि अन्वेषण अधिकारी का यह कहना है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभिरक्षा में रहते हुए स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से यह कथन किया था कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहां उसने आक्रामक आयुध, वस्त्रों इत्यादि को छिपाया है और शव को गाड़े जाने वाले स्थान पर ले जाएगा, तब पहला कार्य जो अन्वेषक अधिकारी को करना चाहिए था, वह यह था कि उसे पुलिस थाने में ही दो स्वतंत्र साक्षियों को बुलाना चाहिए था । जब एक बार दो स्वतंत्र साक्षी पुलिस थाने पहुंच जाते तो उसके पश्चात् उनकी मौजूदगी में अभियुक्त को एक समुचित कथन करने के लिए कहना चाहिए था जो वह उस स्थान को बताने के संबंध में इच्छुक हो जहां उसने कथित रूप से आक्रामक आयुध आदि को छिपाया है । जब अभियुक्त अभिरक्षा में रहते हुए दो स्वतंत्र

साक्षियों (पंच साक्षियों) के समक्ष ऐसा कथन करता है तो अभियुक्त द्वारा किए गए हू-ब-हू कथन या बल्कि कहे गए हू-ब-हू शब्दों को पंचनामा के पहले भाग में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा विधि के अनुसार तैयार किया जाए । पंचनामा का यह पहला भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजनार्थ सदैव स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में पुलिस थाने में तैयार किया जाए जिससे यह विश्वास हो सके कि अभियुक्त द्वारा वह स्थान बताने के लिए जहां अपराध कारित करने में प्रयुक्त किए गए आक्रामक आयुध या किसी अन्य वस्तु को छिपाया गया है, अपनी रंजामंदी अभिव्यक्त करते हुए स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से एक विशिष्ट कथन किया गया था । जब एक बार पंचनामा का यह पहला भाग पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात् पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र साक्षियों (पंच साक्षियों) के साथ उस विशिष्ट स्थान के लिए अग्रसर होगा जहां पर अभियुक्त द्वारा ले जाया जाए । यदि उस विशिष्ट स्थान से कोई वस्तु जैसे आक्रामक आयुध या रक्तरंजित वस्त्र या कोई अन्य वस्तु का पता चलता है तब इस संपूर्ण कार्यवाही का वह भाग पंचनामा का दूसरा भाग होगा । यही कारण है कि विधि अन्वेषण अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन यथा अनुध्यात पता चली वस्तुओं के बारे में पंचनामा तैयार करने की प्रत्याशा करती है । यदि हम अन्वेषण अधिकारी के संपूर्ण मौखिक साक्ष्य को पढ़े तो यह स्पष्ट है कि इसमें मामले के सभी सुसंगत पहलुओं के बारे में कमी है ।

79. पूर्वोक्त संदर्भ में, हम **मुरली और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट कर सकते हैं और अवलंब ले सकते हैं जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "34. पंचनामा की अंतर्वस्तुएं सारभूत साक्ष्य नहीं हैं । इस मुद्दे पर विधि स्थिर है । सारभूत साक्ष्य वह है जो पंचों या संबंधित व्यक्ति द्वारा कटघरे में कहा गया है । .....।"

---

[1] (2009) 9 एस. सी. सी. 417.

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

80. एक अन्य गंभीर खामी, जो निकलकर आई है वह उस व्यक्ति द्वारा वस्तुओं को छिपाए जाने के स्रोत के संबंध में है जिससे कथित रूप से आयुध का पता चला था ।

81. अधिनियम की धारा 27 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तें मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :–

(1) अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप तथ्य का पता चलना ;

(2) ऐसे तथ्य के पता चलने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जाना ;

(3) अभियुक्त उस समय अवश्य पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए जब वह जानकारी दे ; और

(4) उतनी जानकारी जो तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, ग्राह्य है (**मोहम्मद इनायतुल्ला** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाला मामला देखें) ।

लागू होने के लिए दो शर्तें हैं :–

(1) जानकारी अवश्य ऐसी होनी चाहिए जिससे तथ्य का पता चला हो ; और

(2) जानकारी अवश्य पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित होनी चाहिए (**ऐराभदरप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाला मामला देखें) ।

82. हम **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **देवमन उपाध्याय**[3] वाले मामले में इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय को निर्दिष्ट कर सकते हैं और अवलंब ले सकते हैं, जिसमें पैरा 31 में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में विधि की स्थिति को स्पष्ट किया गया है :–

---

[1] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 483.

[2] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 446.

[3] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1125.

"71. इस प्रकार, विधि में अभियुक्त व्यक्तियों का दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है : (1) वे जिन्हें किसी आरोप पर निरुद्ध करके घर लाने में खतरा है ; और (2) जो अभी स्वतंत्र हैं । पूर्ववर्ती प्रवर्ग में भी वे व्यक्ति आते हैं जो शब्दों या कार्रवाई द्वारा अभिरक्षा में अभ्यर्पण करते हैं । इन दोनों श्रेणियों को दी गई संरक्षा भिन्न-भिन्न है । प्रथम प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के मामले में विधि में यह उपबंध किया गया है कि उनके कथन ग्राह्य नहीं हैं, और दूसरे प्रवर्ग के मामले में, कथन का केवल वह भाग ग्राह्य है जो अन्वेषक प्राधिकारी को कथन करने से पूर्व अज्ञात सुसंगत तथ्य के पता चलने से गारंटीकृत है । वह कथन संस्वीकृति की प्रकृति का भी हो सकता है, क्योंकि अभिरक्षा में व्यक्ति जब कहता है कि : 'मैंने उसे अमुक खान-कूप से नीचे धक्का दिया था', और विपदग्रस्त का शव इसके परिणामस्वरूप पाया जाता है और यह साबित किया जा सकता है कि उसकी मृत्यु खान-कूप से गिरने से पहुंची क्षतियों के कारण हुई थी ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

83. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की परिधि और व्याप्ति को **पुलुकुरी कोट्टया** बनाम **एम्परर**[1] वाले मामले में, जो शास्त्रीय निर्णय बन गया है, निम्नलिखित शब्दों में अत्यंत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है :–

"10. .....इस धारा के अंतर्गत प्रयुक्त 'पता लगा तथ्य' को पेश की गई वस्तु के समकक्ष मानना गलत है ; पता लगे तथ्य में वह स्थान भी आ जाता है, जहां से वस्तु पेश की जाए और अभियुक्त की इसके बारे में जानकारी, और दी गई जानकारी का संबंध अवश्य ही स्पष्टतया इस तथ्य से होना चाहिए । पेश की गई वस्तु का विगत में इसके द्वारा प्रयोग किया गया या इसके विगत के इतिहास का उस परिवेश, जिसमें यह खोजकर निकाली गई, में इसके पता लगने से कोई संबंध नहीं होता है । कोई व्यक्ति जो

[1] ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67.

अभिरक्षा में है, उसके द्वारा दी गई इस जानकारी से कि 'मैं अपने मकान की छत में छिपाकर रखे गए चाकू को पेश करूंगा' चाकू का पता नहीं लगता है ; चाकुओं का पता तो अनेक वर्षों पहले लग गया था । इससे इस तथ्य का पता लगता है कि चाकू जानकारी देने वाले के मकान में उसकी जानकारी में छिपाकर रखा गया है और यदि यह साबित हो जाता है कि चाकू का प्रयोग अपराध के किए जाने में किया गया था, तो पता लगा तथ्य अति सुसंगत है । किंतु यदि इस कथन में इन शब्दों को जोड़ दिया जाए 'जिससे मैंने **क** को चाकू मारा' तो ये शब्द ग्राह्य नहीं हैं क्योंकि इनका जानकारी देने वाले के मकान में चाकू का पता लगने से कोई संबंध नहीं है ।"

84. अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से जो प्रकट होता है वह यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके समक्ष जब वह अभिरक्षा में था, यह कहा था, "मैं घटना में प्रयुक्त आयुध का प्रकटीकरण करा सकता हूं" । इस कथन से यह उपदर्शित नहीं होता है या सुझाव नहीं मिलता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने आयुध के छिपाने में अपनी अंतर्ग्रस्तता के बारे में कोई बात उपदर्शित की थी । यह एक अस्पष्ट कथन है । मात्र पता चलना यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कि इसे उस व्यक्ति ने ही छिपाया था जिससे आयुध का पता चला था । उसे उस स्थान पर आयुध की मौजूदगी की जानकारी किसी अन्य स्रोत के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती थी । हो सकता है उसने किसी व्यक्ति को आयुध छिपाते हुए देखा हो और इसलिए यह उपधारणा नहीं की जा सकती या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्योंकि किसी व्यक्ति से आयुध का पता चला था इसलिए वह वही व्यक्ति था जिसने इसे छिपाया था और कम से कम यह उपधारणा तो नहीं की जा सकती कि उसने इसका प्रयोग किया था । अत: यदि अपीलार्थी द्वारा आयुध का प्रकटीकरण करने की बात को स्वीकार किया जाता है, तो आयुध के पता चलने के संबंध में सारभूत साक्ष्य से जो प्रकट होता है, वह यह है कि अपीलार्थी ने यह प्रकटीकरण किया था कि वह अपराध के कारित करने में प्रयुक्त आयुध को दिखा देगा ।

85. **दूध नाथ पांडेय** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अपीलार्थी के बताने पर पिस्तौल का पता लगने का साक्ष्य स्वयमेव इस बात को साबित नहीं कर सकता है कि वह वही है जिसने इस आयुध को बताया था, उसी ने अपराध में उसका उपयोग किया था । यह कथन आयुध को छिपाने के स्थान की शनाख्त करने के लिए बरामदगी के साथ जोड़ने हेतु अस्पष्ट पाया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आयुध को बताने से अधिक से अधिक अपीलार्थी की इस संबंध में जानकारी को साबित कर सकता है कि आयुध कहां रखा गया था ।

86. इस प्रकार, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसे किए गए कथन के रूप में हू-ब-हू शब्दों के अभाव में और पंचनामा की अंतर्वस्तुओं को साबित किए बिना भी उच्च न्यायालय ने आयुध के पता चलने की परिस्थिति का अवलंब लेकर न्यायोचित नहीं किया था ।

87. पूर्वोक्त संदर्भ में, हम **बोधराज** उर्फ **बोधा और अन्य** बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के एक विनिश्चय को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार से है :–

> "18. ..... यह प्रतीत होता है कि धारा 27, जिस प्रकार वह विद्यमान है, के अधीन ऐसे साक्ष्य को, जिसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चला है, ग्राह्य बनाने के लिए जानकारी अवश्य पुलिस की अभिरक्षा में किसी अभियुक्त से आनी चाहिए । पुलिस की अभिरक्षा में होने की यह अपेक्षा अत्यंत असंगत परिणामों की उत्पादक है और इससे ऐसे मामलों में अत्यधिक मूल्यवान साक्ष्य का अपवर्जन हो सकता है जहां कोई व्यक्ति, जिसे बाद में अभिरक्षा में लिया जाता है और अभियुक्त बन जाता है, अपराध करने के पश्चात् किसी पुलिस अधिकारी से मिलता है या स्वेच्छा से उसके पास या पुलिस थाने जाता है और अपराध की उन

[1] ए. आई. आर. 1981 पी. सी. 211.

[2] (2002) 8 एस. सी. सी. 45.

परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिससे उससे इस प्रकार प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप शव, आयुध या किसी अन्य तात्विक तथ्य का पता चलता है । यह जानकारी जो अन्यथा ग्राह्य है, धारा 27 के अधीन अग्राह्य बन जाती है यदि जानकारी किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी अभियुक्त से नहीं आती है या ऐसे व्यक्ति से आती है जो किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में नहीं है । धारा 27 के अधीन जो कथन ग्राह्य है, वह कथन है जिससे मिली जानकारी से तथ्य का पता चला है । इस प्रकार, जानकारी के रूप में जो ग्राह्य है उसे साबित किया जाना चाहिए न कि पुलिस अधिकारी द्वारा इसके आधार पर बनाई गई राय को । दूसरे शब्दों में, अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में रहते हुए दी गई सटीक जानकारी को, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की बरामदगी हुई थी, साबित किया जाना चाहिए । अत: अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों के फायदे के लिए यह आवश्यक है कि दी गई जानकारी को अभिलिखित और साबित किया जाना चाहिए तथा यदि इसे इस प्रकार अभिलिखित नहीं किया जाता है तो हू-ब-हू जानकारी को साक्ष्य के द्वारा पेश किया जाना चाहिए । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में सन्निविष्ट मूल विचार पश्चात्वर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि के नियम का है । यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से अभिप्राप्त किसी जानकारी के आधार पर की गई तलाशी के रूप में किसी तथ्य का पता चलता है, तो ऐसा पता चलना इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई जानकारी सही है । जानकारी संस्वीकृति के रूप में या अपराध में न फंसाने वाली प्रकृति की हो सकती है किंतु यदि इसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है तो यह विश्वसनीय जानकारी बन जाती है । अब यह सुस्थिर है कि किसी वस्तु का पता चलना इस धारा में अनुध्यात तथ्य का पता चलना नहीं है । पुलुकुरी कोट्टया **बनाम** एम्परर [ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67 = 48 क्रिमिनल ला जर्नल 533 = 74 आई. ए. 65] वाले मामले का विनिश्चय इस निर्वचन का समर्थन करने के लिए सर्वाधिक उद्धृत की जाने वाली

नज़ीर है कि धारा में अनुध्यात 'पता चले तथ्य' में वह स्थान, जहां से वस्तु प्रस्तुत की गई थी, इसके बारे में अभियुक्त की जानकारी सम्मिलित है, किंतु दी गई जानकारी का उससे सुस्पष्ट रूप से संबंध होना चाहिए । {महाराष्ट्र राज्य **बनाम** दामु गोपीनाथ शिंदे [(2006) 6 एस. सी. सी. 269 = 2000 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1088 = 2000 क्रिमिनल ला जर्नल 2301 वाला मामला देखें]} । निस्संदेह, साक्ष्य में ग्रहण किए जाने के लिए अनुज्ञात जानकारी उस जानकारी के उस भाग तक सीमित है जो 'तद्द्वारा पते चले तथ्य से सुस्पष्ट रूप से संबंधित है' । किंतु जानकारी को ग्राह्य होने के लिए इतनी काट-छांट करने की आवश्यकता नहीं है जिससे यह अति सूक्ष्म या अबोधगम्य बन जाए । ग्रहण की जाने वाली जानकारी की सीमा बोधगम्यता के संगत होनी चाहिए । मात्र यह कथन कि अभियुक्त पुलिस और साक्षियों को उस स्थान पर लेकर गया जहां उसने वस्तुओं को छिपाया था, दी गई जानकारी का सूचक नहीं है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

88. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री वी. एन. रघुपति ने यह दलील दी कि यहां तक कि विभिन्न प्रकटीकरण से संबंधित पंचनामाओं के रूप में साक्ष्य को त्यक्त करते हुए भी इस अपील में अपीलार्थी का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन सुसंगत होगा । प्रकटीकरण का साक्ष्य आचरण के रूप में साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण से संबंधित कथन की ग्राह्यता से पूर्णत: अलग रूप में ग्राह्य होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने **ए. एन. वेंकटेश और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है :–

"9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के फलस्वरूप अभियुक्त का आचरण सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से प्रभावित होता है या प्रभावित हुआ है । परिस्थिति

[1] (2005) 7 एस. सी. सी. 714.

संबंधी यह साक्ष्य कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को वह स्थान बताया था जहां व्यपहृत लड़के का शव पाया गया था और उनके बताए जाने पर शव को खोदकर निकाला गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना धारा 8 के अधीन आचरण के रूप में पूर्णरूपेण ग्राह्य होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा किया गया कथन धारा 27 की परिधि के अंतर्गत आने वाला कथन ऐसे आचरण के समसामयिक है या उसके पूर्व का है, जैसा कि प्रकाश चंद **बनाम** राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1979) 3 एस. सी. 90] । यदि हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा किया गया प्रकटन कथन (प्रदर्श पी 14 और पी 15) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य नहीं है, फिर भी यह धारा 8 के अधीन सुसंगत है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

89. पूर्वोक्त संदर्भ में, हम एक चेतावनी सूचक टिप्पणी भी करना चाहेंगे । यद्यपि अभियुक्त का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन एक सुसंगत तथ्य हो सकता है, फिर भी यह स्वयमेव उसे दोषसिद्ध करने का या उसे दोषी ठहराने का आधार, और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए, नहीं हो सकता है । किसी अन्य साक्ष्य की भांति अभियुक्त का आचरण भी परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है जिसको न्यायालय अभिलेख पर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अन्य साक्ष्य के साथ ध्यान में रख सकता है । हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि अभियुक्त का केवल आचरण, यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन सुसंगत हो सकता है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है ।

हेतु

90. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-सिद्धदोष द्वारा अपराध कारित करने के लिए प्रबल हेतु का अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थितियों में से एक परिस्थिति के रूप में अवलंब लिया है ।

91. **संपत कुमार** बनाम **पुलिस निरीक्षक, कृष्णा गिरी**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

"29. एन. जे. सूरज **बनाम** राज्य [(2004) 11 एस. सी. सी. 346 = 2004 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) सप्ली. 85] वाले मामले में अभियोजन का पक्षकथन पूर्णत: पारिस्थितिक साक्ष्य और एक हेतु पर आधारित था । अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियों पर चर्चा करने के पश्चात् इस न्यायालय ने हेतु को नामंजूर कर दिया था जो अभियोजन पक्ष द्वारा यह उल्लेख करते हुए अवलंब ली गई एकमात्र शेष परिस्थिति थी कि हेतुक की मौजूदगी किसी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह सुस्थिर है कि परिस्थितियों की श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिससे ऐसा अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता हो जो अभियुक्त की निर्दोषिता से असंगत हो ।

30. संतोष कुमार सिंह **बनाम** राज्य [(2010) 9 एस. सी. सी. 747 = (2010) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1469] और रुकिया बेगम **बनाम** कर्नाटक राज्य [(2011) 4 एस. सी. सी. 779 = (2011) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 488 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1585] वाले मामले में इस न्यायालय का इसी आशय का विनिश्चय है, <u>जिनमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि किसी अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य के अभाव में केवल हेतु अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा ।</u> सुनील राय **बनाम** संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ [(2011) 12 एस. सी. सी. 258 = (2012) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 543 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2545] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रति भी निर्देश किया जा सकता है । इस न्यायालय ने विधिक स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया था –

'31 ..... किसी भी स्थिति में, अकेला हेतु मुश्किल से दोषसिद्धि का आधार हो सकता है ।

---

[1] (2012) 4 एस. सी. सी. 124.

32. अभिलेख पर की सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कुछ संदेह हो सकता है किंतु जैसा कि प्राय कहा जाता है संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता ।'

31. यद्यपि यह कहना पर्याप्त होगा, अपीलार्थियों के अनुसार अपीलार्थी वेलु का मृतक सेंथिल को उसकी बहिन उषा के साथ प्यार होने के कारण अपहानि पहुंचाने का हेतु टिकता नहीं है जब एक बार परिवार ने मृतक सेंथिल के साथ उषा का विवाह करने का विनिश्चय कर लिया था । तो भी यदि यह धारणा कर ली जाए कि अपीलार्थी वेलु मृतक सेंथिल के साथ उषा का विवाह करने के विचार से संतुष्ट नहीं था, जो कुछ कहा जा सकता है वह यह था कि अपीलार्थी वेलु का मृतक को शारीरिक रूप से अपहानि कारित करने का हेतु था । यह पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है किंतु इस निश्चायक सबूत का स्थान नहीं ले सकती कि संबंधित व्यक्ति ने अपराध कारित किया था । यह भी कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हेतु की मौजूदगी अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रबल संदेह सृजित करती है किंतु संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो तो भी युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता के सबूत के लिए एक अनुकल्प नहीं हो सकता है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

92. इस प्रकार, यदि यह विश्वास किया जाए कि अभियुक्त-अपीलार्थी के पास अपराध कारित करने का हेतु था, तो यह पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है किंतु एक निश्चायक सबूत के रूप में स्थान नहीं ले सकती कि संबंधित व्यक्ति ने ही अपराध किया था । कोई यह भी कह सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हेतु की मौजूदगी से अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रबल संदेह उत्पन्न होता है किंतु संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता के सबूत का

स्थान नहीं ले सकता है । विचारण न्यायालय ने ठीक ही अपराध कारित करने के लिए हेतु को अविश्वसनीय नहीं माना था क्योंकि इस संबंध में साक्ष्य पूर्ण रूप से अनुश्रुत प्रकृति का है ।

93. इस तथ्य के कारण कि हमने न्यायिकेतर संस्वीकृति करने और आक्रामक आयुध का पता चलने आदि से संबंधित परिस्थितियों को सिद्ध नहीं किए जाने के कारण अस्वीकार किया है और पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला इस प्रकार टूटी हुई है कि यहां तक कि हेतु जैसी किसी अन्य परिस्थिति पर विचार करना आवश्यक नहीं होगा ।

94. इस प्रकार, पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी-सिद्धदोष के बताने पर आयुध, वस्त्रों और मृतका के शव का पता चलने से संबंधित साक्ष्य को, विशिष्ट रूप से इसमें विभिन्न विधिक खामियों पर विचार करते हुए, मुश्किल से विधिक साक्ष्य समझा जा सकता है ।

95. सभी पूर्वगामी कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय में इस अपील में अपीलार्थी-सिद्धदोष को हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करके गलती की है ।

96. परिणामतः, यह अपील सफल होती है और तद्द्वारा मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश तद्द्वारा अपास्त किया जाता है ।

97. अपीलार्थी-सिद्धदोष को, यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तुरंत स्वतंत्र किया जाएगा ।

98. लंबित आवेदन, यदि कोई है, का भी निपटारा हो जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 4 उम. नि. प. 237

एस. कलीस्वर्ण

बनाम

राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, पोल्लाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु

[2017 की दांडिक अपील सं. 160 और इसके साथ 2017 की दांडिक अपील सं. 410]

और

जॉन एंथनीसामी उर्फ **जॉन**

बनाम

राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, पोल्लाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु

3 नवंबर, 2022

मुख्य न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 120ख, 147, 364, 302/120(ख)/149, 201 और धारा 396 – आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, हत्या, साक्ष्य का विलोपन और हत्या सहित डकैती – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से षड्यंत्र रचकर एक कार की डकैती और उसके ड्राइवर का अपहरण करके उसकी हत्या किया जाना और शव को एक गड्ढे में दफन कर देना – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – संधार्यता – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों में से एक अभियुक्त द्वारा एक पत्र के माध्यम से की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति को हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा करके साबित न किया गया हो, अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने के बारे में साक्षियों के कथन अभिकथित घटना के छह माह पश्चात् अभिलिखित किए गए हों और अत्यधिक समय अंतराल को देखते हुए पुलिस द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त करने के लिए शनाख्त परेड आयोजित न की गई हो, मृतक को अभियुक्तों के साथ

अंतिम बार देखे जाने की बात भी संदेहास्पद हो, शव का कंकाल घटना की तारीख से लगभग पांच माह पश्चात् पाया गया हो और इसकी शनाख्त खोपड़ी का सुपरइम्पोजिशन परीक्षण करके की गई हो जिसे अचूक परीक्षण नहीं कहा जा सकता, वहां अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला को विश्वसनीय, स्पष्ट, सटीक और संगत साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में असफल रहने पर अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त सं. 1 जॉन एंथनीसामी एक टैक्सी ड्राइवर था, अभियुक्त सं. 2 मुथुमणिक्कम अभियुक्त सं. 1 का मित्र था और अभियुक्त सं. 3, 4 और 5 अभियुक्त सं. 2 के मित्र थे । तारीख 18 जुलाई, 2007 को लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. 2 के साथ षड्यंत्र रचा और एक एम्बेसडर कार जिसका पंजीकरण सं. टीएन-41-पी-4980 था, की डकैती करने और उक्त कार के ड्राइवर जॉन थॉमस की हत्या करने की योजना बनाई । उक्त योजना को अग्रसर करते हुए अभियुक्त ने उक्त जॉन थॉमस को पोल्लाची में फायर सर्विस कार स्टैंड पर आने के लिए कहा । जब जॉन थॉमस एम्बेसडर कार में उक्त स्थान पर पहुंचा, तो अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. 4 को उक्त एम्बेसडर कार को दो घंटे के लिए भाड़े पर लेने के लिए कहा और जॉन थॉमस को 12.30 बजे अपराह्न तक आने के लिए अनुरोध किया । तद्नुसार जॉन थॉमस अपनी एम्बेसडर कार के साथ अभियुक्त सं. 1 द्वारा अनुरोध किए गए स्थान अर्थात् शक्ति होटल, पोल्लाची पर पहुंचा । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 कार में बैठा और उडुमलपेट की ओर रवाना हुआ । तारीख 18 जुलाई, 2007 को लगभग 1.30 बजे अपराह्न में अभियुक्त सं. 1 और ड्राइवर जॉन थॉमस उडुमलपेट बस अड्डे पर पहुंचें जहां अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 से 5 के साथ प्रतीक्षा कर रहा था । उसके पश्चात् सभी अभियुक्त उक्त एम्बेसडर कार में बैठे और अम्मापट्टी की ओर रवाना हुए और लगभग 2.45 बजे अपराह्न में सभी पांचों अभियुक्तों ने ड्राइवर जॉन थॉमस को वाडाबुथनम और अम्मापट्टी रोड के बीच सड़क पर एकांत स्थान के निकट कार रोकने के लिए कहा । सभी

अभियुक्तों ने उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र को अग्रसर करते हुए टैक्सी ड्राइवर जॉन थॉमस की हत्या कर दी । उसके पश्चात् अभियुक्तों ने साक्ष्य छिपाने के आशय से जॉन थॉमस के शव को एक गड्ढे में दफन कर दिया । उसके पश्चात् उनके द्वारा एम्बेसडर कार को थिरुवरूर के राजेन्द्रन नामक व्यक्ति को बेच दिया और उन्होंने कार के विक्रय आगम को बांट लिया । जॉन थॉमस के एक सप्ताह तक गुम रहने के पश्चात् जॉन थॉमस की पत्नी द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसे पुलिस थाने में गुमशुदा व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् सभी पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय द्वारा सभी पांचों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख), 147, 164, 201, 396 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित किया गया । अभियुक्त सं. 3, 4 और 5 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए और अभियुक्त सं. 1 और 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अतिरिक्त रूप से आरोपित किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । दोषसिद्ध के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील खारिज हो जाने पर दो अभियुक्तों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त सं. 1 द्वारा अभि. सा. 19 कार्तिकेयन, अभियुक्त सं. 1 के पूर्व नियोजक को संबोधित एक अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से, जिसे उसने तारीख 29 दिसंबर, 2007 को प्राप्त किया था, की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का जोरदार अवलंब लिया गया था । यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त सं. 1 की उक्त अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति वह प्रेरक बिंदु था जिसने अन्वेषण अधिकारी का अभिकथित घटना, जो तारीख 18 जुलाई, 2007 को घटी थी, के लगभग 5 माह पश्चात् अन्वेषण को आगे अग्रसर करने के लिए मार्ग-दर्शन किया था । इस तथ्य के अतिरिक्त कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक बहुत ही कमजोर साक्ष्य है, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में इस आधार

पर इसका अवलंब लेने से इनकार कर दिया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा न तो हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा की गई थी और न ही विशेषज्ञ की किसी राय को साबित किया गया था । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब न्यायिकेतर संस्वीकृति को सम्यक् रूप से साबित नहीं किया जाता है या विश्वास प्रेरित नहीं होता है या किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं की जाती है, तो केवल ऐसे कमजोर साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित रूप से अभि. सा. 19 को संबोधित अंतर्देशीय पत्र में अंतर्विष्ट अभियुक्त सं. 1 के हस्तलेख को साबित करने के लिए हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं किए जाने, न ही विशेषज्ञ की कोई राय अभिप्राप्त किए जाने के कारण, इस न्यायालय की राय में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 द्वारा की गई अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में उक्त साक्ष्य को ठीक ही त्यक्त किया था । अगली परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष ने जोरदार अवलंब लिया था, वह अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" की कहानी के विषय में थी । यह उल्लेखनीय है कि दोनों साक्षी टैक्सी ड्राइवर थे और उसी टैक्सी स्टैंड से टैक्सियों का संचालन कर रहे थे जहां से मृतक अपनी टैक्सी का संचालन कर रहा था, तथापि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनके कथन अभिकथित घटना के लगभग छह माह पश्चात् अभिलिखित किए गए थे । अभि. सा. 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिसाक्ष्य दिया था कि तारीख 18 जुलाई, 2007 को वह पोल्लाची में दुरई सिनेमा थिएटर के निकट अपने मित्र से मिलने के लिए खड़ा था और लगभग 12.45 बजे अपराह्न में अभियुक्त सं. 1 को शक्ति होटल के निकट खड़े हुए देखा था, जो उस स्थान के निकट स्थित है जहां वह (अभि. सा. 6) खड़ा था । उसने यह भी कथन किया कि थोड़ी ही देर में जॉन थॉमस (मृतक) अपनी टैक्सी, जिसका पंजीकरण सं. टीएन-41-पी-4980 था, चलाते हुए उस स्थान पर आया । उसने (अभि. सा. 6) देखा कि अभियुक्त सं. 1 ने थोड़ी देर मृतक के साथ बात की और उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 कार की अगली सीट पर

बैठ गया और फिर दोनों कार में चले गए । इस साक्षी के अनुसार उसने उसके पश्चात् मृतक जॉन थॉमस को नहीं देखा । अभि. सा. 7 भी एक टैक्सी ड्राइवर था । उसने न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा कि तारीख 18 जुलाई, 2007 को जब वह पलानी से उडुमलपेट बस अड्डे से होकर वापस आ रहा था, तब उसने जॉन थॉमस द्वारा चलाई जा रही टैक्सी को देखा । इसलिए उसने अपनी टैक्सी को धीमा कर लिया और देखा कि वह (जॉन थॉमस) ड्राइवर सीट पर था और अभियुक्त सं. 1 जिसे वह जानता था, आगे की सीट पर बैठा था । उसके अनुसार, उसने उस समय चार अन्य व्यक्तियों को भी कार में बैठे देखा था किंतु वह उन्हें नहीं जानता था । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस तथ्य के अतिरिक्त कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनके कथन अभिकथित घटना के छह माह पश्चात् अभिलिखित किए गए थे, न्यायालय के समक्ष दिए गए उनके साक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है । अभि. सा. 6 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि उसे मृतक के गुम हो जाने के बारे में उसके द्वारा मृतक को अभियुक्त सं. 1 के साथ देखे जाने के एक सप्ताह के भीतर पता चला था । मृतक को अंतिम बार अभियुक्त सं. 1 के साथ देखे जाने के बारे में उसके द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी को छह माह तक न तो अपने साथी टैक्सी ड्राइवरों को और न ही पुलिस को प्रकट न करने के उसके व्यवहार को समझना कठिन है । जहां तक अभि. सा. 7 का संबंध है, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसे मृतक के गुम हो जाने के बारे में केवल तब पता चला था जब पुलिस तारीख 1 जनवरी, 2008 को जांच-पड़ताल करने के लिए आई थी । इस न्यायालय की राय में, जब अन्वेषण अधिकारी मृतक के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बार-बार उस टैक्सी स्टैंड पर आ रहा था जहां अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 सहित सभी टैक्सी ड्राइवर खड़े होते थे और जब मृतक के गुम हो जाने के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो पर व्यापक प्रचार किया गया था तो यह विश्वसनीय नहीं है कि अभि. सा. 7 को मृतक के गुम हो जाने के बारे में केवल तब पता चला था जब पुलिस प्रश्नगत घटना के छह माह पश्चात् जांच करने के लिए उसके पास आई थी । अभि. सा. 7 ने यह

भी स्वीकार किया था कि वह उन अन्य चार अभियुक्तों को नहीं जानता था जो घटना की अभिकथित तारीख को अभियुक्त सं. 1 और मृतक के साथ थे । जब घटना की तारीख और अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षियों के कथन अभिलिखित करने की तारीख के बीच लगभग छह माह से अधिक का इतना ज्यादा समय अंतराल था, तो शनाख्त परेड से अभि. सा. 7 द्वारा देखे गए अभियुक्तों की शनाख्त करने में पुलिस को सहायता मिल सकती थी, तथापि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई ऐसी शनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी । इसलिए साक्षियों की प्रेरणा पर अभियुक्त सं. 2 से 5 की शनाख्त भी संदेहास्पद हो जाती है । यह सुस्थिर है कि यदि व्यक्तियों को एक-साथ देखे जाने और अपराध के निकटवर्ती समय के बीच समय का अत्यधिक अंतराल है, तो अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति, भले ही साबित की गई है, को निश्चित रूप से अभियुक्त की दोषिता के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकता है । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिसमें "अंतिम बार एक-साथ देखे जाने की कहानी" सम्मिलित हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा यह स्पष्ट करने में असफलता कि किन परिस्थितियों के अधीन विपदग्रस्त की मृत्यु हुई थी, यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकालने का भी आधार नहीं होगा कि अभियुक्त अभिकथित अपराध के कारित करने में अंतर्ग्रस्त थे । प्रस्तुत मामले में, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित "अंतिम बार एक-साथ देखे जाने" की कहानी को स्वीकार किया जाए तब भी यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अभियुक्त केवल इस कारण अपराध के दोषी हैं क्योंकि वे यह स्पष्ट करने में असफल रहे थे कि किन परिस्थितियों में विपदग्रस्त की मृत्यु हुई थी । (पैरा 8, 9, 10, 11 और 12)

अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई अगली परिस्थिति शव की शनाख्त के बारे में है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि जब शव पाया गया था वह अत्यंत सड़ी हुई हालत में था । कंकाल के अवशेष मृतक के गुम हो जाने की घटना की तारीख से लगभग पांच माह पश्चात् पाए गए थे । इसलिए शनाख्त न्यायालयिक विशेषज्ञ, अभि. सा. 16 द्वारा खोपड़ी का सुपरइम्पोजिशन परीक्षण करके की गई थी ।

प्रस्तुत मामले में, चूंकि सुपरइम्पोजिशन रिपोर्ट का समर्थन डीएनए रिपोर्ट या मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट जैसे किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से नहीं हुआ था इसलिए सुपरइम्पोजिशन परीक्षण के माध्यम से विपदग्रस्त के शव की शनाख्त पर विश्वास करते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना बहुत ही जोखिम-भरा होगा । यह सही है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में यदि संपूर्ण श्रृंखला सटीक साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से साबित की जाती है तो भले ही शव न पाया गया हो, तो भी दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है, किंतु जब अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार विपदग्रस्त का शव अभियुक्तों द्वारा दिखाए गए स्थान से बरामद किया गया था, तब अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करना आवश्यक था कि अभियुक्तों के बताने पर पाया गया शव या कंकाल विपदग्रस्त का ही था न कि किसी और का । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियों से अपीलार्थी-अभियुक्तों की निर्दोषिता की कल्पना को नकारने के लिए श्रृंखला पूर्ण नहीं है । अभियोजन पक्ष घटना की श्रृंखला को विश्वसनीय, स्पष्ट, सटीक और संगत साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में असफल रहा है जिसके आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध किया जा सके, इसलिए इस न्यायालय की राय में निचले न्यायालयों ने अभियोजन के पक्षकथन को स्वीकार करके और अभियुक्तों को अभिकथित अपराध के लिए दोषसिद्ध करके गलती की थी । (पैरा 13 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2022]	2022 की दांडिक अपील सं. 285 : (25 फरवरी, 2022) **नंदू सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	14
[2019]	(2019) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 354 : **पट्टु राजन** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	13

[2007] (2007) 3 एस. सी. सी. 755 :
गोवा राज्य बनाम **संजय ठकरान** ; 11

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
(1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद बिरधीचंद सारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 160 (इसके साथ 2017 की दांडिक अपील सं. 410).

2014 की दांडिक अपील सं. 482 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2016 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती एन. एस. नप्पीनई, सर्वश्री असाईथांबी, वी. बालाजी, अतुल शर्मा, सी. कन्नन, निजामुद्दीन, राकेश के. शर्मा, सी. बी. गुरुराज, अनिमेश दुबे, सलीम गुल और डा. नंद किशोर

प्रत्यर्थी की ओर से डा. जोसफ अरिस्टोटल एस., सुश्री नूपुर शर्मा, श्री शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार माहरा और सुश्री वैदेही रस्तोगी ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने दिया ।

न्या. त्रिवेदी – 2017 की दांडिक अपील सं. 160 और 2017 की दांडिक अपील सं. 110 दोनों 2014 की दांडिक अपील सं. 436, 482, 490, 2015 की दांडिक अपील सं. 175 और 176 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2016 को पारित किए गए उस सामान्य निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को खारिज करते हुए 2008 के सेशन मामला सं. 187 में सेशन न्यायाधीश, कोयम्बटूर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विचारण न्यायालय" कहा गया है) द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2014 को पारित किए गए निर्णय और आदेश की पुष्टि की है । विचारण

न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थियों अर्थात् एस. कलीस्वर्ण (मूल अभियुक्त सं. 5), जॉन एंथनीसामी **उर्फ** जॉन (मूल अभियुक्त सं. 1) को अन्य तीन अभियुक्तों अर्थात् राजेश कुमार **उर्फ** राजेश (मूल अभियुक्त सं. 4), आर. गणेशकुमार **उर्फ** गणेश (मूल अभियुक्त सं. 3) और मुथु मणिक्कम **उर्फ** मुथु (मूल अभियुक्त सं. 2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख), 147, 364 और धारा 120(ख)/149 के साथ पठित धारा 302, 201 और धारा 396 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया था और उन्हें नीचे दिए गए अनुसार दंडादिष्ट किया था :

क्र. सं.	अभियुक्त	विधि की धारा	दंडादेश
1.	अभियुक्त 1 से 5	भा. द. सं. की धारा 120(ख)	प्रत्येक को छह माह का कठोर कारावास
2.	अभियुक्त 1 से 5	भा. द. सं. की धारा 147	प्रत्येक को दो वर्ष का कठोर कारावास
3.	अभियुक्त 1 से 5	भा. द. सं. की धारा 364	प्रत्येक को दस वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक को 2,000/- रुपए का संदाय करने और व्यतिक्रम करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतने ।
4.	अभियुक्त 1 से 5	भा. द. सं. की धारा 302	प्रत्येक को आजीवन कारावास और 2,000/- रुपए का संदाय करने और व्यतिक्रम करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतने ।
5.	अभियुक्त 1 से 5	भा. द. सं. की धारा 120(ख)/149	प्रत्येक को आजीवन कारावास और 2,000/- रुपए का संदाय करने और व्यतिक्रम करने

		के साथ पठित धारा 302	पर छह माह का साधारण कारावास भुगतने ।
6.	अभियुक्त 1 से 5	भा. द. सं. की धारा 201	प्रत्येक को सात वर्ष का कठोर कारावास
7.	अभियुक्त 1 से 5	भा. द. सं. की धारा 396	प्रत्येक को आजीवन कारावास और 2,000/- रुपए का संदाय करने और व्यतिक्रम करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतने ।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए व्यथित अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 1) जॉन एंथनीसामी **उर्फ** जॉन ने 2017 की दांडिक अपील सं. 410 फाइल की और अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 5) एस. कलीस्वर्ण ने 2017 की दांडिक अपील सं. 160 फाइल की । अन्य तीन अभियुक्तों ने कोई अपील फाइल नहीं की ।

2. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, अभियुक्त सं. 1 जॉन एंथनीसामी एक टैक्सी ड्राइवर था, अभियुक्त सं. 2 मुथुमणिक्कम अभियुक्त सं. 1 का मित्र था और अभियुक्त सं. 3, 4 और 5 अभियुक्त सं. 2 के मित्र थे । तारीख 18 जुलाई, 2007 को लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. 2 के साथ षड्यंत्र रचा और एक एम्बेसडर कार जिसका पंजीकरण सं. टीएन-41-पी-4980 था, की डकैती करने और उक्त कार के ड्राइवर जॉन थॉमस की हत्या करने की योजना बनाई । उक्त योजना को अग्रसर करते हुए अभियुक्त ने उक्त जॉन थॉमस को पोल्लाची में फायर सर्विस कार स्टैंड पर आने के लिए कहा । जब जॉन थॉमस एम्बेसडर कार में उक्त स्थान पर पहुंचा, तो अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. 4 को उक्त एम्बेसडर कार को दो घंटे के लिए भाड़े पर लेने के लिए कहा और जॉन थॉमस को 12.30 बजे अपराह्न तक आने के लिए अनुरोध किया । तद्नुसार जॉन थॉमस अपनी एम्बेसडर कार के साथ अभियुक्त सं. 1 द्वारा अनुरोध किए गए स्थान अर्थात् शक्ति होटल, पोल्लाची पर पहुंचा । उसके पश्चात्

अभियुक्त सं. 1 कार में बैठा और उडुमलपेट की ओर रवाना हुआ । तारीख 18 जुलाई, 2007 को लगभग 1.30 बजे अपराह्न में अभियुक्त सं. 1 और ड्राइवर जॉन थॉमस उडुमलपेट बस अड्डे पर पहुंचें जहां अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 से 5 के साथ प्रतीक्षा कर रहा था । उसके पश्चात् सभी अभियुक्त उक्त एम्बेसडर कार में बैठे और अम्मापट्टी की ओर रवाना हुए और लगभग 2.45 बजे अपराह्न में सभी पांचों अभियुक्तों ने ड्राइवर जॉन थॉमस को वाडाबुथनम और अम्मापट्टी रोड के बीच सड़क पर एकांत स्थान के निकट कार रोकने के लिए कहा । सभी अभियुक्तों ने उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र को अग्रसर करते हुए टैक्सी ड्राइवर जॉन थॉमस की हत्या कर दी । उसके पश्चात् अभियुक्तों ने साक्ष्य छिपाने के आशय से जॉन थॉमस के शव को एक गड्ढे में दफन कर दिया । उसके पश्चात् उनके द्वारा एम्बेसडर कार को थिरुवरूर के राजेन्द्रन नामक व्यक्ति को बेच दिया और उन्होंने कार के विक्रय आगम को बांट लिया । जॉन थॉमस के एक सप्ताह तक गुम रहने के पश्चात् जॉन थॉमस की पत्नी अभि. सा. 1 द्वारा तारीख 25 जुलाई, 2007 को एक शिकायत दी गई, जिसे पोल्लाची (पश्चिम) पुलिस थाने में गुमशुदा व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रीकृत की गई ।

3. अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् सभी पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय द्वारा सभी पांचों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख), 147, 164, 201, 396 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित किया गया । अभियुक्त सं. 3, 4 और 5 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए और अभियुक्त सं. 1 और 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अतिरिक्त रूप से आरोपित किया गया ।

4. सभी अभियुक्तों ने अपनी दोषिता से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने उनकी दोषिता को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 28 साक्षियों की परीक्षा की और 43 दस्तावेज प्रस्तुत किए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए उनके आगे के कथनों में उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में

मिथ्या रूप से फसाया गया है ।

5. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष का संपूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है जिससे अभियुक्तों की दोषिता का अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता हो । उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 द्वारा अभिकथित रूप से की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का ठीक ही अवलंब नहीं लिया था, इसे अभियोजन पक्ष द्वारा सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया था और यदि उक्त साक्ष्य को त्यक्त कर दिया जाए, तो अन्य साक्ष्य की विश्वसनीयता विशिष्ट रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए साक्षियों अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है । मृतक के शव की शनाख्त को भी सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया था । अभियुक्त सं. 2 से 5 से की गई अभिकथित बरामदगियां सार्वजनिक स्थान से की गई थीं जिनको अपराध से संबद्ध करने के लिए कोई कड़ी नहीं है । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित अंतिम बार देखे जाने की कहानी का भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अवलंब नहीं लिया जा सकता था कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7, जिन्होंने अभिकथित रूप से मृतक को अभियुक्त सं. 1 के साथ देखा था, के कथन मृतक के गुम हो जाने की अभिकथित घटना से लगभग छह माह पश्चात् अभिलिखित किए गए थे । तथापि, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता डा. जोसफ अरिस्टोटल एस. ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् अभिलिखित किए गए तथ्य संबंधी समवर्ती निष्कर्षों को इस न्यायालय द्वारा उलटा न जाए । उनके अनुसार, यद्यपि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब नहीं लिया था, तो भी अभिकथित अपराध से सभी अभियुक्तों को संबद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है ।

मृतक के शव की शनाख्त, अपराध में आलिप्त करने वाली बरामदगियों और अभियुक्तों के बताने पर पता चली वस्तुओं को सम्यक् रूप से साबित किया गया है, परिस्थितियों की संपूर्ण श्रृंखला को सम्यक् रूप से साबित किया गया है जिससे सभी अभियुक्तों की दोषिता के बारे में अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है ।

6. प्रारंभ में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष का संपूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । जब अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करता हो, तो साक्ष्य के मूल्यांकन के विषय में विधि भली-भांति सुस्थिर है । **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित पांच स्वर्णिम सिद्धांतों को, जिनका अनेक विनिश्चियों में अनुसरण किया गया है, उद्धृत करना उपयोगी है :–

> "153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म-विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के प्रतिकूल मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं :
>
> क. वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ।
>
> यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी' या 'की जानी चाहिएं न कि की जा सकती हैं' । 'साबित की जा सकती हैं' और 'साबित करनी होंगी या की जानी चाहिएं' में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबड़े और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य {[1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793} वाले मामले में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–
>
> 'निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी 'होना चाहिए' न कि केवल 'दोषी हो सकता है' तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है, अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।'

ख. इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं,

ग. परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं,

घ. उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए, और

ङ. साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।"

7. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम यह परीक्षा करेंगे कि क्या अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की संपूर्ण श्रृंखला को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया था जिससे अभियुक्त के लिए विधि के शिकंजे से बचने के लिए कोई कड़ी गायब न रहे ।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त सं. 1 द्वारा अभि. सा. 19 कार्तिकेयन, अभियुक्त सं. 1 के पूर्व नियोजक को संबोधित एक अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से, जिसे उसने तारीख 29 दिसंबर, 2007 को प्राप्त किया था, की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का जोरदार अवलंब लिया गया था । यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त सं. 1 की उक्त अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति वह प्रेरक बिंदु था जिसने अन्वेषण अधिकारी का अभिकथित घटना, जो तारीख 18 जुलाई, 2007 को घटी थी, के लगभग

5 माह पश्चात् अन्वेषण को आगे अग्रसर करने के लिए मार्ग-दर्शन किया था । इस तथ्य के अतिरिक्त कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक बहुत ही कमजोर साक्ष्य है, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में इस आधार पर इसका अवलंब लेने से इनकार कर दिया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा न तो हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा की गई थी और न ही विशेषज्ञ की किसी राय को साबित किया गया था । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब न्यायिकेतर संस्वीकृति को सम्यक् रूप से साबित नहीं किया जाता है या विश्वास प्रेरित नहीं होता है या किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं की जाती है, तो केवल ऐसे कमजोर साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित रूप से अभि. सा. 19 को संबोधित अंतर्देशीय पत्र में अंतर्विष्ट अभियुक्त सं. 1 के हस्तलेख को साबित करने के लिए हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं किए जाने, न ही विशेषज्ञ की कोई राय अभिप्राप्त किए जाने के कारण, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 द्वारा की गई अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में उक्त साक्ष्य को ठीक ही त्यक्त किया था ।

9. अगली परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष ने जोरदार अवलंब लिया था, वह अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" की कहानी के विषय में थी । यह उल्लेखनीय है कि दोनों साक्षी टैक्सी ड्राइवर थे और उसी टैक्सी स्टैंड से टैक्सियों का संचालन कर रहे थे जहां से मृतक अपनी टैक्सी का संचालन कर रहा था, तथापि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनके कथन अभिकथित घटना के लगभग छह माह पश्चात् अभिलिखित किए गए थे । अभि. सा. 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिसाक्ष्य दिया था कि तारीख 18 जुलाई, 2007 को वह पोल्लाची में दुरई सिनेमा थिएटर के निकट अपने मित्र से मिलने के लिए खड़ा था और लगभग 12.45 बजे अपराह्न में अभियुक्त सं. 1 को शक्ति होटल के निकट खड़े हुए देखा था, जो उस स्थान के निकट स्थित है जहां वह (अभि. सा. 6) खड़ा था । उसने यह भी कथन किया कि थोड़ी ही देर में जॉन थॉमस (मृतक) अपनी टैक्सी, जिसका पंजीकरण सं. टीएन-41-पी-4980 था, चलाते हुए उस स्थान पर आया । उसने

(अभि. सा. 6) देखा कि अभियुक्त सं. 1 ने थोड़ी देर मृतक के साथ बात की और उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 कार की अगली सीट पर बैठ गया और फिर दोनों कार में चले गए । इस साक्षी के अनुसार उसने उसके पश्चात् मृतक जॉन थॉमस को नहीं देखा । अभि. सा. 7 भी एक टैक्सी ड्राइवर था । उसने न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा कि तारीख 18 जुलाई, 2007 को जब वह पलानी से उडुमलपेट बस अड्डे से होकर वापस आ रहा था, तब उसने जॉन थॉमस द्वारा चलाई जा रही टैक्सी को देखा । इसलिए उसने अपनी टैक्सी को धीमा कर लिया और देखा कि वह (जॉन थॉमस) ड्राइवर सीट पर था और अभियुक्त सं. 1 जिसे वह जानता था, आगे की सीट पर बैठा था । उसके अनुसार, उसने उस समय चार अन्य व्यक्तियों को भी कार में बैठे देखा था किंतु वह उन्हें नहीं जानता था ।

10. अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस तथ्य के अतिरिक्त कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनके कथन अभिकथित घटना के छह माह पश्चात् अभिलिखित किए गए थे, न्यायालय के समक्ष दिए गए उनके साक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है । अभि. सा. 6 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि उसे मृतक के गुम हो जाने के बारे में उसके द्वारा मृतक को अभियुक्त सं. 1 के साथ देखे जाने के एक सप्ताह के भीतर पता चला था । मृतक को अंतिम बार अभियुक्त सं. 1 के साथ देखे जाने के बारे में उसके द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी को छह माह तक न तो अपने साथी टैक्सी ड्राइवरों को और न ही पुलिस को प्रकट न करने के उसके व्यवहार को समझना कठिन है । जहां तक अभि. सा. 7 का संबंध है, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसे मृतक के गुम हो जाने के बारे में केवल तब पता चला था जब पुलिस तारीख 1 जनवरी, 2008 को जांच-पड़ताल करने के लिए आई थी । हमारी राय में, जब अन्वेषण अधिकारी मृतक के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बार-बार उस टैक्सी स्टैंड पर आ रहा था जहां अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 सहित सभी टैक्सी ड्राइवर खड़े होते थे और जब मृतक के गुम हो जाने के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो पर व्यापक

प्रचार किया गया था तो यह विश्वसनीय नहीं है कि अभि. सा. 7 को मृतक के गुम हो जाने के बारे में केवल तब पता चला था जब पुलिस प्रश्नगत घटना के छह माह पश्चात् जांच करने के लिए उसके पास आई थी । अभि. सा. 7 ने यह भी स्वीकार किया था कि वह उन अन्य चार अभियुक्तों को नहीं जानता था जो घटना की अभिकथित तारीख को अभियुक्त सं. 1 और मृतक के साथ थे । जब घटना की तारीख और अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षियों के कथन अभिलिखित करने की तारीख के बीच लगभग छह माह से अधिक का इतना ज्यादा समय अंतराल था, तो शनाख्त परेड से अभि. सा. 7 द्वारा देखे गए अभियुक्तों की शनाख्त करने में पुलिस को सहायता मिल सकती थी, तथापि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई ऐसी शनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी । इसलिए साक्षियों की प्रेरणा पर अभियुक्त सं. 2 से 5 की शनाख्त भी संदेहास्पद हो जाती है ।

11. यह सुस्थिर है कि यदि व्यक्तियों को एक-साथ देखे जाने और अपराध के निकटवर्ती समय के बीच समय का अत्यधिक अंतराल है, तो अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति, भले ही साबित की गई है, को निश्चित रूप से अभियुक्त की दोषिता के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकता है । (**गोवा राज्य** बनाम **संजय ठकरान**[1] वाला मामला देखें) ।

12. पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिसमें "अंतिम बार एक-साथ देखे जाने की कहानी" सम्मिलित हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा यह स्पष्ट करने में असफलता कि किन परिस्थितियों के अधीन विपदग्रस्त की मृत्यु हुई थी, यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकालने का भी आधार नहीं होगा कि अभियुक्त अभिकथित अपराध के कारित करने में अंतर्ग्रस्त थे । प्रस्तुत मामले में, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित "अंतिम बार एक-साथ देखे जाने" की कहानी को स्वीकार किया जाए तब भी यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अभियुक्त केवल इस कारण अपराध के दोषी हैं क्योंकि वे यह स्पष्ट करने में असफल रहे थे कि किन परिस्थितियों में विपदग्रस्त की मृत्यु हुई थी ।

---

[1] (2007) 3 एस. सी. सी. 755.

13. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई अगली परिस्थिति शव की शनाख्त के बारे में है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि जब शव पाया गया था वह अत्यंत सड़ी हुई हालत में था । कंकाल के अवशेष मृतक के गुम हो जाने की घटना की तारीख से लगभग पांच माह पश्चात् पाए गए थे । इसलिए शनाख्त न्यायालयिक विशेषज्ञ, अभि. सा. 16 द्वारा खोपड़ी का सुपरइम्पोजिशन परीक्षण करके की गई थी । **पट्टु राजन** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यद्यपि सुपरइम्पोजिशन परीक्षण के माध्यम से मृतक की शनाख्त एक स्वीकार्य राय साक्ष्य है, तथापि, न्यायालय साधारणतया राय साक्ष्य का इसकी भ्रमशीलता पर विचार करते हुए एकमात्र अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति के रूप में अवलंब नहीं लेते हैं और सुपरइम्पोजिशन तकनीक को अचूक नहीं समझा जा सकता । प्रस्तुत मामले में, चूंकि सुपरइम्पोजिशन रिपोर्ट का समर्थन डी. एन. ए. रिपोर्ट या मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट जैसे किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से नहीं हुआ था इसलिए सुपरइम्पोजिशन परीक्षण के माध्यम से विपदग्रस्त के शव की शनाख्त पर विश्वास करते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना बहुत ही जोखिम-भरा होगा । यह सही है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में यदि संपूर्ण श्रृंखला सटीक साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से साबित की जाती है तो भले ही शव न पाया गया हो, तो भी दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है, किंतु जब अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार विपदग्रस्त का शव अभियुक्तों द्वारा दिखाए गए स्थान से बरामद किया गया था, तब अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करना आवश्यक था कि अभियुक्तों के बताने पर पाया गया शव या कंकाल विपदग्रस्त का ही था न कि किसी और का ।

14. इस न्यायालय ने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील में भी सार पाया है कि अभियोजन पक्ष अभिकथित अपराध को कारित करने के लिए अभियुक्तों के हेतु को साबित करने में भी असफल रहा था । जैसा कि **नंदू सिंह** बनाम **मध्य**

---

[1] (2019) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 354.

प्रदेश राज्य[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में हेतु सुसंगत नहीं होगा किंतु पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में हेतु परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है । प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 8 श्री राजेन्द्रन, जिसे अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से मृतक की एम्बेसडर कार बेची गई थी, पक्षद्रोही हो गया था और अभियोजन के इस पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था कि अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 8 को कार बेचकर धन प्राप्त किया गया था ।

15. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियों से अपीलार्थी-अभियुक्तों की निर्दोषिता की कल्पना को नकारने के लिए श्रृंखला पूर्ण नहीं है । अभियोजन पक्ष घटना की श्रृंखला को विश्वसनीय, स्पष्ट, सटीक और संगत साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में असफल रहा है जिसके आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध किया जा सके, इसलिए हमारी राय में निचले न्यायालयों ने अभियोजन के पक्षकथन को स्वीकार करके और उन्हें अभिकथित अपराध के लिए दोषसिद्ध करके गलती की थी ।

16. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं । दोनों अपीलार्थी-अभियुक्तों, और अन्य तीन अभियुक्तों, जिन्होंने कोई अपील फाइल नहीं की है को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत स्वतंत्र किए जाने का निदेश दिया जाता है ।

17. तद्नुसार, ये अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

---

[1] 2022 की दांडिक अपील सं. 285 (25 फरवरी, 2022).

[2022] 4 उम. नि. प. 256

राहुल

बनाम

दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय और एक अन्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 611]

तथा

रवि कुमार

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली राज्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 612-613]

तथा

विनोद उर्फ **छोटू**

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली राज्य का गृह मंत्रालय

[2022 की दांडिक अपील सं. 614-615]

7 नवंबर, 2022

मुख्य न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 365, 367, 376(2)(छ), 302, 201 और 34 – व्यपहरण, बलात्संग और हत्या – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से एक लड़की का व्यपहरण, उसके साथ बलात्संग और बाद में उसकी हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध और मृत्यु दंडादेश दिया जाना – उच्च न्यायालय

द्वारा पुष्टि किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – साक्षियों में से किसी साक्षी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त न करने, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान अभियुक्तों की शनाख्त के लिए कोई शनाख्त परेड आयोजित नहीं किए जाने, जिन परिस्थितियों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अपराध करने में प्रयुक्त कार अभिगृहीत की गई उससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी में गंभीर संदेह उत्पन्न होने, पुलिस के समक्ष अभियुक्तों द्वारा की गई संस्वीकृतियों को अभियुक्तों के संपूर्ण प्रकटन कथनों के रूप में साक्ष्य में ग्रहण करने, केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं का अभियुक्तों के साथ उनका संबंध स्थापित करते हुए कोई निश्चायक राय न दिए जाने, अभियुक्तों के कॉल रिकार्ड को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के निबंधनों के अनुसार साबित न किए जाने, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए 49 साक्षियों में से 10 तात्विक साक्षियों की प्रतिपरीक्षा तक न कराए जाने और प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण साक्षियों की पर्याप्त रूप से प्रतिपरीक्षा न करने के कारण अभियुक्तों को उनके ऋजु विचारण के अधिकार से वंचित करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित किया हो, इसलिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेशों को अपास्त करना उचित होगा ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 27, 45 और 65ख – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि करने के लिए परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि यह निष्कर्ष निकलता हो कि सभी मानवीय संभाव्यता में अपराध केवल अभियुक्तों द्वारा किया गया था न कि किसी और के द्वारा और जहां अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी शनाख्त, अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं के पता चलने, बरामदगियों, वस्तुओं को मुहरबंद करने, नमूने एकत्रित करने, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य तथा डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट के विषय में साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा निश्चायक, विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित न किया गया हो

जिससे अचूक अभियुक्तों की दोषिता इंगित होती हो, वहां पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 9 फरवरी, 2012 को 9.18 बजे अपराह्न में पुलिस थाना छावला को पुलिस नियंत्रण कक्ष से एक सूचना प्राप्त हुई कि हनुमान चौक, कुतुब विहार, छावला के निकट से लाल रंग की टाटा इंडिका कार में एक लड़की का व्यपहरण किया गया है और कार श्याम विहार की ओर गई है । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां वे एक लड़की से मिले । उसका इस आशय का कथन अभिलिखित किया गया कि तारीख 9 फरवरी, 2022 को लगभग 8.45 बजे अपराह्न में जब वह डी. एल. एफ. गुड़गांव में अपनी नौकरी से अपनी मित्र पूजा, संगीता और विपदग्रस्त अनामिका (नाम को परिवर्तित किया गया है) के साथ वापस आ रही थी और जब वे हनुमान चौक के निकट चल रहे थे, पीछे से एक लाल रंग की इंडिका कार आई ; ड्राइवर ने उनके निकट पहुंचने पर अचानक ब्रेक लगाए ; एक लड़के ने कार का दरवाजा खोला और अनामिका को बलपूर्वक कार के अंदर धकेल दिया ; अन्य तीन या चार लड़के इंडिका कार में बैठे हुए थे । शिकायतकर्ता के उक्त कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मामले का अन्वेषण आरंभ किया गया । फिर मामले का अन्वेषण विशेष स्टाफ दक्षिण-पश्चिमी नई दिल्ली को अंतरित किया गया और उप निरीक्षक अशोक कुमार को सौंपा गया । तारीख 13 फरवरी, 2012 को मामले का और आगे अन्वेषण का कार्य निरीक्षक संदीप गुप्ता को सौंपा गया । उसी दिन सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने अभियुक्त राहुल और एक लाल रंग की इंडिका कार, जिसका पंजीकरण सं. डीएल 3 सीएएफ 4348 था, को निरीक्षक संदीप गुप्ता के समक्ष यह कहते हुए पेश किया कि अभियुक्त राहुल को घबराहट में पाया गया था और मेट्रो स्टेशन सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली के निकट उक्त कार में घूम रहा था । निरीक्षक संदीप गुप्ता द्वारा अभियुक्त राहुल से परिप्रश्न करने के दौरान राहुल ने संस्वीकृति की कि उसने अपने भाई रवि और विनोद **उर्फ** छोटू के साथ कुतुब विहार से एक लड़की का व्यपहरण किया था ; उसके साथ बलात्संग किया था,

उसकी हत्या की थी और उसके शव को झज्जर के आगे खेतों में फेंक दिया था । इसलिए उक्त अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात् अभियुक्त रवि और अभियुक्त विनोद भी गिरफ्तार किए गए । अन्य दो अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथनों को भी अभिलिखित किया गया जिनमें उन्होंने विपदग्रस्त का व्यपहरण करने, सामूहिक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की । अभियोजन के और आगे पक्षकथन के अनुसार, जब पूर्वोक्त टाटा इंडिका कार अभिगृहीत की गई थी तब अभियुक्त राहुल और अभियुक्त रवि की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर मोबाइल फोन बरामद किए गए थे और उन्हें भी अभिगृहीत किया गया था । उसके पश्चात् निरीक्षक संदीप गुप्ता अपने कर्मचारिवृंद और दो अभियुक्तों रवि और विनोद के साथ विपदग्रस्त के शव की तलाश के लिए गया और दोनों अभियुक्तों के बताने पर शव को करावड़ा मोड़ गांव रोड़ाई के निकट सरसों के खेत में पड़ा पाया । मृतका के शव से कुछ बालों की लट तथा शव के पास से प्लास्टिक के दो गिलास, स्नेक्स का एक खाली पाउच, मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, लाल रंग के प्लास्टिक बम्पर का एक टूटा हुआ टुकड़ा और एक बटुआ उठाया । शव के पास से उठाई गई सभी वस्तुओं को परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । टाटा इंडिका कार को भी परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । अन्वेषण अधिकारी ने मृतका के मोबाइल संख्या 9540594640, अभियुक्त राहुल के मोबाइल संख्या 9968988533 और अभियुक्त रवि के मोबाइल संख्या 8802090923 के कॉल का ब्यौरा भी अभिप्राप्त किया । अभिगृहीत की गई वस्तुओं की डी. एन. ए. रिपोर्ट भी अभिप्राप्त की गई और केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली भेजी गईं । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । सेशन न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी के उपरांत तारीख 26 मई, 2012 को सभी तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 365/34, 367/34, 376(2)(6), 377/34, 302 और 201/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए । विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् उन्हें दोषसिद्ध किया और मृत्यु दंडादेश के साथ-साथ अन्य दंडादेश भी अधिरोपित किए, जिसकी पुष्टि

उच्च न्यायालय द्वारा की गई । अभियुक्तों द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई सर्वप्रथम परिस्थिति विपदग्रस्त को तारीख 9 फरवरी, 2012 को लगभग 8.45 बजे अपराह्न में एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार में व्यपहृत किए जाने के विषय में थी । इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 पूजा रावत, अभि. सा. 2 विकास सिंह रावत, अभि. सा. 4 विकास, अभि. सा. 29 सरस्वती और अभि. सा. 42 संगीता के साक्ष्य का अवलंब लिया है । यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त कहानी का एक सीमा तक संबंधित साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 पूजा रावत, अभि. सा. 4 विकास, अभि. सा. 29 सरस्वती और अभि. सा. 42 संगीता द्वारा समर्थन किया गया है, किंतु उक्त साक्षियों में से किसी ने भी अपना-अपना अभिसाक्ष्य देने के दौरान न्यायालय में बैठे अभियुक्तों की शनाख्त नहीं की थी । यहां तक कि अभि. सा. 4 विकास, जिसकी विपदग्रस्त का व्यपहरण करने का प्रयत्न कर रहे लड़कों के साथ कुछ हाथापाई हुई थी, भी अपना अभिसाक्ष्य देने के दौरान न्यायालय में बैठे हुए अभियुक्तों में से किसी की शनाख्त नहीं कर सका था और उसने कहा कि अभियुक्त वे लड़के हैं जिनके साथ उसकी हाथापाई हुई थी क्योंकि वे विपदग्रस्त का व्यपहरण कर रहे थे । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 पूजा रावत ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी-अभियुक्तों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, जबकि अभि. सा. 29 सरस्वती और अभि. सा. 4 विकास ने यह कथन किया था कि अंधेरा होने के कारण अभियुक्तों के चेहरों की शनाख्त नहीं की जा सकी थी । अभि. सा. 2 विकास सिंह रावत जो अभि. सा. 1 पूजा रावत का भाई है और जिसका मकान हनुमान चौक के निकट स्थित था, तुरंत घर से बाहर आया था और उसने लाल रंग की इंडिका कार को ताजपुर की ओर जाते हुए देखे जाने के बारे में कथन किया था । इसलिए उक्त साक्षी भी उन व्यक्तियों की शनाख्त नहीं कर सका था जिन्होंने विपदग्रस्त का व्यपहरण किया था ।

अभि. सा. 8 कुंवर सिंह नेगी, मृतका के पिता ने यह कथन किया था कि उसकी पुत्री का तारीख 9 फरवरी, 2012 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस समय व्यपहरण किया गया था जब वह अपने मित्रों के साथ गुड़गांव से वापस आ रही थी, तथापि, उसने घटना नहीं देखी थी और अभियुक्तों की शनाख्त भी नहीं कर सकता है । किसी भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने-अपने अन्वेषणों के दौरान कोई शनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी । संबंधित साक्षियों के उक्त साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त के लिए अन्वेषण के दौरान न तो कोई शनाख्त परेड आयोजित की गई थी, न ही साक्षियों में से किसी ने न्यायालय के समक्ष अपने-अपने अभिसाक्ष्यों के दौरान अभियुक्तों की शनाख्त की थी । अत: अपीलार्थी-अभियुक्तों की शनाख्त ही सम्यक् रूप से सिद्ध नहीं की गई है इसलिए अपीलार्थी-अभियुक्तों के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य की बात तो दूर किसी साक्ष्य द्वारा पहली परिस्थिति को ही सम्यक् रूप से सिद्ध नहीं किए जाने के कारण अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन धराशायी हो जाता है । अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई अगली महत्वपूर्ण परिस्थिति तारीख 13 फरवरी, 2012 को लाल रंग की इंडिका कार के साथ अभियुक्त राहुल की गिरफ्तारी के बारे में थी । पुन:, अभियोजन के पक्षकथन को देखने पर यह प्रतीत होता है कि व्यपहरण की अभिकथित घटना के पश्चात् पुलिस थाना छावला, नई दिल्ली को तारीख 9 फरवरी, 2012 को 9.18 बजे अपराह्न में इस आशय की कॉल द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की का हनुमान चौक, कुतुब विहार, छावला के निकट एक लाल रंग की इंडिका कार में व्यपहरण किया गया है । उक्त सूचना को उक्त पुलिस थाने में डीडी संख्या 27क के रूप में अभिलिखित किया गया । उक्त सूचना प्राप्त होने पर उप निरीक्षक प्रकाश चंद (अभि. सा. 45) जो पुलिस थाना छावला में तैनात था, कांस्टेबल राकेश के साथ हनुमान चौक पर घटनास्थल पर गया, जहां वे शिकायतकर्ता सरस्वती से मिले । उसने अभिकथित घटना के विषय में अपना कथन किया और उसके कथन के आधार पर उप निरीक्षक प्रकाश चंद द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । उसके पश्चात् तारीख 13 फरवरी, 2012 को जब अन्वेषण का

कार्य थाना अधिकारी, पुलिस थाना छावला, निरीक्षक संदीप गुप्ता (अभि. सा. 48) को सौंपा गया था तब पुलिस थाना, सेक्टर 23, द्वारका के सहायक उप निरीक्षक राजिन्द्र सिंह (अभि. सा. 12) ने अभियुक्त राहुल और एक लाल रंग की इंडिका कार जिसका पंजीकरण संख्यांक डीएल 3 सीएएफ 4348 था, यह कहते हुए पेश किया कि अभियुक्त राहुल को मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली के निकट उक्त कार में घूमते हुए पाया था । जहां तक अभियुक्त राहुल की गिरफ्तारी का संबंध है, अभि. सा. 12 सहायक उप निरीक्षक राजिन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया था कि अभियुक्त राहुल को लाल इंडिका कार को चलाते हुए देखा गया था और वह घबराया हुआ दिखाई दे रहा था ; जब उसने उक्त यान के दस्तावेज मांगे तो अभियुक्त राहुल उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका और इसलिए उसने (अभि. सा. 12) राहुल को पकड़ लिया और पुलिस थाना, छावला में थाना अधिकारी को उसकी अभिरक्षा सौंप दी । अभि. सा. 12 सहायक उप निरीक्षक राजिन्द्र ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि नियंत्रण कक्ष से एक संदेश आया था कि एक लाल रंग की इंडिका कार में एक लड़की का व्यपहरण किया गया है और पुलिस को उक्त यान को पकड़ना था और संबंधित थाना अधिकारी को सूचना देनी थी और इसलिए उसने राहुल को गिरफ्तार किया था । इस प्रकार, अभियुक्त राहुल को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह एक लाल रंग की इंडिका कार चला रहा था । महत्वपूर्ण रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए साक्षियों में से किसी ने भी इंडिका कार की शनाख्त नहीं की थी जो अभिकथित रूप से तारीख 13 फरवरी, 2012 को राहुल द्वारा चलाई जा रही थी । अभि. सा. 29, शिकायतकर्ता सरस्वती ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि वह निश्चितता के साथ नहीं कह सकती कि यह वही कार थी जिसमें विपदग्रस्त का व्यपहरण किया गया था । साक्षियों में से किसी ने भी उस कार का पंजीकरण संख्यांक तक नहीं देखा था जिसमें विपदग्रस्त का व्यपहरण किया गया था । अब, अभियोजन पक्ष के आगे पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त राहुल ने निरीक्षक संदीप गुप्ता के समक्ष एक प्रकटन कथन (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 39/बी) किया था जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों विनोद और रवि को गश्ती कांस्टेबलों द्वारा पुलिस थाने लाया

गया था, और उन्हें भी क्रमश: 2.45 बजे अपराह्न और 3.00 बजे अपराह्न में गिरफ्तार किया गया था । उन्होंने भी पुलिस निरीक्षक संदीप गुप्ता के समक्ष अपने-अपने प्रकटन कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 39/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 39/सी) किए थे । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त गश्ती कांस्टेबलों की परीक्षा नहीं कराई गई थी । उक्त गश्ती कांस्टेबलों की परीक्षा न कराने से अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कहानी से संदेह पैदा होता है क्योंकि अभियुक्त राहुल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने आगे के कथन में यह कहा था कि रवि को उसके मकान से उठाया गया था और जब वह (अर्थात् राहुल) सायंकाल में रवि के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कार को अभिगृहीत कर लिया गया । अभियुक्त विनोद और रवि ने भी यह कथन किया था कि उन्हें उनके घर से उठाया गया था । इस प्रकार, जिन परिस्थितियों में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे और कार को अभिगृहीत किया गया था, उससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी में गंभीर संदेह पैदा होता है । (पैरा 19, 20, 21, 22 और 23)

विचित्र रूप से, जहां विपदग्रस्त का शव पड़ा हुआ था, उस घटनास्थल पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, उस समय के संबंध में भी साक्ष्य स्पष्ट नहीं है । अभि. सा. 46 सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह, पुलिस थाना रोड़ाई, हरियाणा ने कथन किया था कि तारीख 13 फरवरी, 2012 को डीडी सं. 24 प्राप्त होने पर वह हेड कांस्टेबल विनोद और हेड कांस्टेबल अमन कुमार के साथ करावड़ा रेलवे फाटक, रेवाड़ी के निकट खेतों में गया था जहां उसने पाया कि थाना अधिकारी, पुलिस थाना छावला, संदीप गुप्ता (अभि. सा. 48) और अन्य स्टाफ के सदस्य पहले से वहां थे । अभि. सा. 46 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसे डीडी सं. 24 लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न या 12.00 बजे दोपहर में प्राप्त हुई थी और वह घटनास्थल पर लगभग 4.30 बजे अपराह्न में पहुंचा था । अभि. सा. 48 पुलिस निरीक्षक संदीप गुप्ता ने कथन किया कि तारीख 13 फरवरी, 2012 को सभी तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात् और उस स्थान पर जाने के पश्चात् जहां अभिकथित व्यपहरण हुआ था, वह अपने दल और दो अभियुक्तों रवि

और विनोद के साथ, राहुल को पुलिस थाने में छोड़कर, पुलिस थाना रोड़ाई, जिला रेवाड़ी, हरियाणा गया था । उसने यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् अभियुक्त रवि और विनोद के उपदर्शित करने पर वे सभी घटनास्थल अर्थात् खेत में पहुंचें जहां विपदग्रस्त का शव पड़ा हुआ था । चूंकि वहां पुलिस थाना रोड़ाई की एक पीसीआर वैन खड़ी थी, इसलिए पीसीआर के पदधारियों के माध्यम से पुलिस थाना रोड़ाई को एक सूचना भेजी गई और उसके पश्चात् सहायक उप निरीक्षक बलवंत सिंह अपने कर्मचारिवृंद के साथ घटनास्थल पर पहुंचा । इस प्रकार, अभि. सा. 46 और अभि. सा. 48 के अपने-अपने अभिसाक्ष्यों में इस बारे में विरोधाभास हैं कि वे कैसे और कब घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां विपदग्रस्त का शव पड़ा हुआ था । यद्यपि उक्त डीडी सं. 24 एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य था, तो भी उक्त दस्तावेज को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया था । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों के संपूर्ण प्रकटन कथनों को इन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 39/बी, पी. डब्ल्यू. 41/बी और पी. डब्ल्यू. 41/सी के रूप में प्रदर्शित करते हुए साक्ष्य में ग्रहण किया जाना अनुज्ञात किया था । उक्त कथन अभि. सा. 48 संदीप गुप्ता द्वारा तब अभिलिखित किए गए थे जब वे पुलिस अभिरक्षा में थे । उक्त कथन पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृतियों के रूप में होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अतिक्रमण में थे । इस संबंध में विधि सुस्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा जब वह पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति को न्यायिकेतर संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता । यदि अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष कोई संस्वीकृति की जाती है और ऐसी संस्वीकृति के किसी भाग के परिणामस्वरूप अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री की बरामदगी की जाती है, तो केवल ऐसा भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य होगा न कि संपूर्ण संस्वीकृति कथन । अत: प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 48 पुलिस निरीक्षक संदीप गुप्ता द्वारा अभिलिखित किए गए अभियुक्तों के संपूर्ण प्रकटन कथनों को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने के लिए प्रदर्शित करके गंभीर गलती कारित की थी । यद्यपि अन्वेषण अधिकारी को दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप यदि घटनास्थल का पता चलता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के

साथ पठित धारा 27 में उपदर्शित सीमा तक ग्राह्य होगी न कि पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति के रूप में संपूर्ण प्रकथन । यह बात इस न्यायालय को तारीख 13 फरवरी, 2021 को अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं अर्थात् बम्पर का टूटा हुआ टुकड़ा, बटुआ जिसमें दस्तावेज थे, का अभियुक्त राहुल को अपराध से संबद्ध करने के लिए अभिकथित रूप से पता चलने की ओर ले जाती है । इस संबंध में, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का साक्ष्य सुसंगत होगा । यद्यपि पुलिस थाना, छावला के हेड कांस्टेबल ओंकार सिंह, अभि. सा. 32 और दक्षिण-पश्चिमी जिला, नई दिल्ली के अपराध शाखा के भारसाधक सहायक उप निरीक्षक अतर सिंह, अभि. सा. 36 ने उक्त अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं के बारे में कथन किया था, किंतु अभि. सा. 37, अभि. सा. 38, अभि. सा. 39 और अभि. सा. 41 ने, जो घटनास्थल पर थे, उक्त वस्तुओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था । पुनः, पुलिस थाना रोड़ाई की प्रेरणा पर बुलाए गए फोटोग्राफर अभि. सा. 31 ने भी उक्त वस्तुओं के बारे में उल्लेख नहीं किया था । अन्य गैर-शासकीय साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3, अभि. सा. 7, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 14 ने भी ऐसी पता चली वस्तुओं या बरामदगियों के बारे में कुछ नहीं कहा था । अभियोजन पक्ष ने सटीक साक्ष्य द्वारा यह भी साबित नहीं किया था कि विपदग्रस्त के शव के निकट पड़ा बम्पर का टूटा हुआ टुकड़ा अभियुक्त राहुल से अभिगृहीत की गई लाल रंग की इंडिका कार का ही था । इसके अतिरिक्त, बटुए (प्रदर्श 34/ए) के अभिग्रहण ज्ञापन में केवल यह उल्लेख किया गया है कि एक लाल रंग का बटुआ अभिगृहीत किया गया था जिसमें 365/- रुपए थे और वस्तुओं की एक सूची थी । अभिग्रहण ज्ञापन में किसी दस्तावेज के बारे में कोई उल्लेख नहीं था जो अभियुक्त राहुल को संबद्ध कर सके । यदि उक्त बटुए से अभियुक्त राहुल को संबद्ध करते हुए एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां और पेन कार्ड पाए गए थे तो कोई अन्वेषण अधिकारी अभिग्रहण ज्ञापन में उनका वर्णन न करने की इतनी बड़ी गलती नहीं करता । अभियुक्त राहुल ने धारा 313 के अधीन अपने आगे के कथन में यह कहा था कि उससे उक्त वस्तुएं पुलिस थाने में ली गई थीं । सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह द्वारा अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श 34/ए) के अनुसार मृतका के शव से पाए गए बालों की लट की

बरामदगी भी अत्यंत संदेहास्पद है क्योंकि इसे अभिकथित रूप से मृतका के शव से पाया गया था जो लगभग तीन दिन और तीन रात तक खुले खेत में पड़ा हुआ था । मृतका के पिता अभि. सा. 8 और मृतका के पड़ोसियों अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7, जिन्होंने विपदग्रस्त के शव की शनाख्त की थी, ने शव के निकट पड़ी वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं कहा था । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय का ध्यान हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के साक्ष्य के साथ-साथ औपचारिक साक्षियों के परिसाक्ष्यों में भी प्रकट होने वाली अनेक विसंगतियों और विरोधाभासों की ओर आकर्षित किया जिससे पता चली वस्तुओं और बरामदगी के साथ-साथ अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं के अभिग्रहण के विषय में संपूर्ण साक्ष्य अत्यंत अविश्वसनीय हो जाता है । अभियुक्तों के बताने पर तारीख 14 फरवरी, 2012 को राख, मृतका के जांघिए इत्यादि जैसी वस्तुओं के अभिग्रहण को भी अभियोजन पक्ष द्वारा सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया था । उक्त वस्तुओं को परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था, तथापि, केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा उनकी अभियुक्तों के साथ संबद्धता को सिद्ध करने के लिए कोई निश्चायक राय नहीं दी गई थी । (पैरा 24, 25, 26 और 27)

अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई अगली परिस्थिति अभियुक्त राहुल के बताने पर कमल सिनेमा के निकट राजेन्द्र ढाबा के पीछे के रोड डिवाइडर पर झाड़ियों से मृतका के फोन की अभिकथित बरामदगी की थी । यद्यपि अभि. सा. 8 कुंवर सिंह नेगी, मृतका के पिता ने यह कथन किया था कि मोबाइल फोन संख्या 9540594640 उसके नाम से था और उसकी पुत्री द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, तो भी फोन को शनाख्त के प्रयोजनार्थ उसे नहीं दिखाया गया था । उक्त फोन के कॉल ब्यौरे को भी इलेक्ट्रानिक अभिलेख होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के निबंधनों के अनुसार साबित नहीं किया गया था । अत: साक्ष्य का यह भाग भी अभियोजन के पक्षकथन को अग्रसर नहीं करता है । यह सही है कि अभि. सा. 23 डा. बी. के. महापात्रा, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान), केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली साक्षी कठघरे में आए थे और डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में

उसकी रिपोर्ट को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 23/ए के रूप में प्रदर्शित किया गया था, तथापि, किसी दस्तावेज को मात्र प्रदर्शित करने से इसकी अंतर्वस्तुएं साबित नहीं हो जाती हैं । अभिलेख से दर्शित होता है कि अभियुक्तों से संबंधित और मृतका से संबंधित सभी नमूने अन्वेषण अधिकारी द्वारा तारीख 14 फरवरी, 2012 और 16 फरवरी, 2012 को अभिगृहीत किए गए थे और उन्हें परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला में तारीख 27 फरवरी, 2012 को भेजा गया था । इस अवधि के दौरान वे पुलिस थाने के मालखाना में रहे थे । इन परिस्थितियों में, एकत्रित किए गए इन नमूनों के साथ छेड़-छाड़ करने की संभाव्यता से भी इनकार नहीं किया जा सकता । न तो विचारण न्यायालय ने और न ही उच्च न्यायालय ने डी. एन. ए. रिपोर्टों में दिए गए निष्कर्षों के अंतर्निहित आधार की परीक्षा की थी और न ही उन्होंने इस तथ्य की परीक्षा की थी कि क्या विशेषज्ञ द्वारा क्रिया-विधियों को विश्वसनीय रूप से लागू किया गया था या नहीं । अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य के अभाव में, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के विषय में सभी रिपोर्ट अत्यधिक संवेदनशील बन जाती हैं, विशिष्ट रूप से जब परीक्षण के लिए भेजे गए नमूने एकत्रित और मुहरबंद करने की बात भी संदेह से मुक्त नहीं थी । इस प्रकार, संपूर्ण परिस्थितियों और अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित किया है । स्थिर विधिक स्थिति के अनुसार, दोषसिद्धि करने के लिए परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करते हुए इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि केवल यह निष्कर्ष निकलता हो कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यता में अपराध केवल अभियुक्तों द्वारा किया गया था किसी और के द्वारा नहीं । पारिस्थितिक साक्ष्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना का पोषक नहीं होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के संगत होना चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए । जैसा कि पहले प्रदर्शित किया गया है, अपीलार्थी-अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी शनाख्त, अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं का पता चलने और बरामदगियों, इंडिका कार की शनाख्त, वस्तुओं के अभिग्रहण और

मुहरबंद और नमूनों को एकत्रित करने, चिकित्सीय और वैज्ञानिक साक्ष्य, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट के विषय में साक्ष्य को और सीडीआर इत्यादि के विषय में साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा सटीक, विश्वसनीय और स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित नहीं किया गया था, अभियुक्तों की दोषिता को अचूक इंगित करने वाले साक्ष्य की बात तो दूर । अभियोजन पक्ष को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करना चाहिए था, जिसे अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मामले में सिद्ध करने में असफल रहा है । परिणामत:, इस न्यायालय के पास अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है, यद्यपि वे एक अति जघन्य अपराध में अंतर्ग्रस्त थे । यह सही हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में अंतर्ग्रस्त अभियुक्त अदंडित छूट जाते हैं या दोषमुक्त किए जाते हैं तो साधारणत: समाज को और विशिष्टत: विपदग्रस्त के परिवार को घोर व्यथा और कुंठा हो सकती है, तथापि, विधि न्यायालयों को नैतिक आधार पर या केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दंडित करने के लिए अनुज्ञात नहीं करती है । कोई दोषसिद्धि मात्र अभ्यारोपण की आशंका या किए गए विनिश्चय की निंदा के आधार पर नहीं की जानी चाहिए । न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले का विनिश्चय किसी प्रकार के बाह्य नैतिक दबाव या अन्यथा से प्रभावित हुए बिना पूरी तरह से गुणागुण के आधार पर और विधि के अनुसार किया जाना चाहिए । ऊपर उल्लिखित कारणों से विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी-अभियुक्तों को उन्हें संदेह का फायदा देते हुए उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उन्हें तुरंत स्वतंत्र किए जाने का निदेश दिया जाता है । (पैरा 28, 33 और 36)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2022]	2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 677 :	
	मनोज और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	31

[2018] (2018) 16 एस. सी. सी. 161 :
नवनीतकृष्णन बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक** ; 18

[1997] (1997) 6 एस. सी. सी. 162 :
राजस्थान राज्य बनाम **अनि** उर्फ **हनीफ़ और अन्य** ; 34

[1989] (1989) 2 (सप्ली.) एस. सी. सी. 706 :
पाडला वीरा रेड्डी बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य** ; 17

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
(1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद बिरधीचंद सारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 16

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 611 (इसके साथ 2022 की दांडिक अपील सं. 612-613 और 614-615).

2014 की दांडिक अपील सं. 563 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2014 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सुश्री सोनिया माथुर, ज्येष्ठ अधिवक्ता (न्याय-मित्र), शिवानी मिश्रा, श्रेया रस्तोगी, सर्वश्री निखिल चंद्र जायसवाल, सिमरनजीत एस. सलुजा, सुश्री प्रतीक्षा मिश्रा, रोनिका टटेर, दिविक माथुर और सुश्री रूपाक्षी सोनी

प्रत्यर्थियों की ओर से सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अपर महा सालिसिटर, रुचि कोहली, सेलेस्टे अग्रवाल, बीएलएन शिवानी, सर्वश्री रूस्तम सिंह चौहान, अमन शर्मा, मानवेन्द्र सिंह,

गुरमीत सिंह मक्कड़, सुश्री चारु वली खन्ना और डा. (श्रीमती) विपिन गुप्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने दिया ।

न्या. त्रिवेदी – सभी अपीलें 2014 की दांडिक अपील सं. 563, 2014 की दांडिक अपील सं. 726 और 2014 की दांडिक अपील सं. 1036 के साथ 2014 के मृत्यु दंडादेश निर्देश सं. 01 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2014 को पारित किए गए उस सामान्य निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष त्वरित न्यायालय, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विचारण न्यायालय" कहा गया है) द्वारा 2013 के सेशन मामला सं. 91 में अपीलार्थी-अभियुक्तों पर अधिरोपित मृत्यु दंडादेश और अन्य दंडादेशों की अभिपुष्टि करते हुए अपीलार्थी-अभियुक्तों द्वारा फाइल की गई दांडिक अपीलों को खारिज कर दिया था । विचारण न्यायालय ने तारीख 19 फरवरी, 2014 के आदेश द्वारा सभी तीनों अपीलार्थी-अभियुक्तों अर्थात् अभियुक्त सं. 1 रवि कुमार, अभियुक्त सं. 2 विनोद **उर्फ** छोटू और अभियुक्त सं. 3 राहुल को भारतीय दंड संहिता की धारा 365/34, 367/34, 376(2)(छ), 302/34 और 201/34 के अधीन दंडानीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया था, तथापि सभी तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 377/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था । अभियुक्तों पर अधिरोपित दंडादेश का आदेश निम्न प्रकार से है :–

"1. भारतीय दंड संहिता की धारा 365/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 25,000/- रुपए के जुर्माने के साथ-साथ पांच वर्ष का कारावास । सिद्धदोष व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे ; और

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 367/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 25,000/- रुपए के जुर्माने के साथ-साथ पांच वर्ष का कारावास । सिद्धदोष व्यक्ति जुर्माने के संदाय में

व्यतिक्रम करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे ; और

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 50,000/- रुपए के जुर्माने सहित कारावास । सिद्धदोष व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे ; और

4. भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 50,000/- रुपए के जुर्माने सहित मृत्यु दंडादेश ; और

5. भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 10,000/- रुपए के जुर्माने सहित तीन वर्ष का कारावास । सिद्धदोष व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे ।"

2. अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि अभिलेख और विचारण न्यायालय की कार्यवाहियों से प्रकट हो रहा है, यह है कि तारीख 9 फरवरी, 2012 को 9.18 बजे अपराह्न में पुलिस थाना छावला को पुलिस नियंत्रण कक्ष से एक सूचना प्राप्त हुई कि हनुमान चौक, कुतुब विहार, छावला के निकट से लाल रंग की टाटा इंडिका कार में एक लड़की का व्यपहरण किया गया है और कार श्याम विहार की ओर गई है । इस सूचना को डीडी सं. 27क के रूप में लेखबद्ध किया गया और उप निरीक्षक प्रकाश चंद को अन्वेषण का कार्य सौंपा गया । उप निरीक्षक प्रकाश चंद कांस्टेबल राकेश के साथ हनुमान चौक, कुतुब विहार के निकट घटनास्थल पर पहुंचा, जहां वे सरस्वती नामक लड़की से मिले । उसका इस आशय का कथन अभिलिखित किया गया कि तारीख 9 फरवरी, 2022 को लगभग 8.45 बजे अपराह्न में जब वह डी. एल. एफ. गुड़गांव में अपनी नौकरी से अपनी मित्र पूजा, संगीता और विपदग्रस्त अनामिका (नाम को परिवर्तित किया गया है) के साथ वापस आ रही थी और जब वे हनुमान चौक के निकट चल रहे थे, पीछे से एक लाल रंग की इंडिका कार आई ; ड्राइवर ने उनके निकट पहुंचने पर अचानक ब्रेक

लगाए ; एक लड़के ने कार का दरवाजा खोला और अनामिका को बलपूर्वक कार के अंदर धकेल दिया ; अन्य तीन या चार लड़के इंडिका कार में बैठे हुए थे । शिकायतकर्ता सरस्वती के उक्त कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । उप निरीक्षक प्रकाश चंद द्वारा अन्वेषण आरंभ किया गया ।

3. तारीख 12 फरवरी, 2012 को मामले का अन्वेषण विशेष स्टाफ दक्षिण-पश्चिम नई दिल्ली को अंतरित किया गया और उप निरीक्षक अशोक कुमार को सौंपा गया । तारीख 13 फरवरी, 2012 को मामले का और आगे अन्वेषण का कार्य निरीक्षक संदीप गुप्ता को सौंपा गया । उसी दिन सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने अभियुक्त राहुल और एक लाल रंग की इंडिका कार, जिसका पंजीकरण सं. डीएल 3 सीएएफ 4348 था, को निरीक्षक संदीप गुप्ता के समक्ष यह कहते हुए पेश किया कि अभियुक्त राहुल को घबराहट में पाया गया था और मेट्रो स्टेशन सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली के निकट उक्त कार में घूम रहा था ।

4. निरीक्षक संदीप गुप्ता द्वारा अभियुक्त राहुल से परिप्रश्न करने के दौरान राहुल ने संस्वीकृति की कि उसने अपने भाई रवि और विनोद **उर्फ** छोटू के साथ कुतुब विहार से एक लड़की का व्यपहरण किया था ; उसके साथ बलात्संग किया था, उसकी हत्या की थी और उसके शव को झज्जर के आगे खेतों में फेंक दिया था । इसलिए उक्त अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात् अभियुक्त रवि और अभियुक्त विनोद भी गिरफ्तार किए गए । अन्य दो अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथनों को भी अभिलिखित किया गया जिनमें उन्होंने विपदग्रस्त का व्यपहरण करने, सामूहिक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की ।

5. अभियोजन के और आगे पक्षकथन के अनुसार, जब पूर्वोक्त टाटा इंडिका कार अभिगृहीत की गई थी तब अभियुक्त राहुल और अभियुक्त रवि की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर मोबाइल फोन बरामद किए गए थे और उन्हें भी अभिगृहीत किया गया था । उसके पश्चात् निरीक्षक संदीप गुप्ता अपने कर्मचारिवृंद और दो अभियुक्तों रवि और

विनोद के साथ विपदग्रस्त के शव की तलाश के लिए गया और दोनों अभियुक्तों के बताने पर शव को करावड़ा मोड़ गांव रोड़ाई के निकट सरसों के खेत में पड़ा पाया । इसके बारे में पुलिस थाना रोड़ाई को सूचना दी गई । उसके पश्चात् सहायक उप निरीक्षक बलवान भी पुलिस थाना रोड़ाई से अपने अपराध दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा । अपराध दल ने मृतका के शव से कुछ बालों की लट तथा शव के पास से प्लास्टिक के दो गिलास, स्नेक्स का एक खाली पाउच, मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, लाल रंग के प्लास्टिक बम्पर का एक टूटा हुआ टुकड़ा और एक बटुआ उठाया । उसके पश्चात् सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह ने शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए सिविल अस्पताल, रेवाड़ी भेजा । दोनों अभियुक्त दिल्ली लाए गए और चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । और आगे परिप्रश्न करने के दौरान अभियुक्त राहुल ने मृतका का मोबाइल फोन बरामद कराया । अभियुक्त ने मृतका की पैंटी जो उसने घटना के समय पहनी हुई थी और स्टील की परात जिसमें उन्होंने मृतका की वस्तुओं को जलाया था, भी बरामद कराए ।

6. तारीख 15 फरवरी, 2012 को मामले का आगे अन्वेषण का कार्य निरीक्षक रंजीत सिंह को सौंपा गया । उसने पूर्वोक्त टाटा इंडिका कार का केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला के दल से निरीक्षण कराया । कार के अंदर तथा इसकी सीट के कवर पर पाए गए बालों की लट भी अभिगृहीत की गईं । उसने जैक और पाना, जो इंडिका कार में पाए गए थे, के संबंध में शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर से राय अभिप्राप्त की और डाक्टर द्वारा यह राय दी गई कि मृतका के शव पर पाई गई बाह्य क्षतियां उक्त जैक और पाना से कारित करना संभव था । मृतका के बालों की लट, जो शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा परिरक्षित रखी गई थीं, परीक्षण के लिए सफ़दरजंग अस्पताल भेजी गई । शव के पास से उठाई गई सभी वस्तुओं को परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । टाटा इंडिका कार को भी परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । अन्वेषण अधिकारी ने मृतका के मोबाइल संख्या 9540594640, अभियुक्त राहुल के मोबाइल संख्या 9968988533 और अभियुक्त रवि के मोबाइल संख्या 8802090923 के

कॉल का ब्यौरा भी अभिप्राप्त किया । अभिगृहीत की गई वस्तुओं की डी. एन. ए. रिपोर्ट भी अभिप्राप्त की गई और केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली भेजी गईं ।

7. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । सेशन न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी के उपरांत तारीख 26 मई, 2012 को सभी तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 365/34, 367/34, 376(2)(6), 377/34, 302 और 201/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए । चूंकि अभियुक्तों ने उक्त आरोपों का दोषी न होने का अभिवाक् किया इसलिए विचारण किया गया ।

8. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए 49 साक्षियों की परीक्षा की । तारीख 27 नवंबर, 2013 को अभियुक्तों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई जिसमें उन सभी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपराध में आलिप्त करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों से इनकार किया और मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया । अभियुक्त राहुल और रवि की ओर से उनकी प्रतिरक्षा में एक साक्षी की परीक्षा की गई । वह 'नवभारत टाइम्स' का विधि सहायक था और तारीख 15 फरवरी, 2012 के दैनिक समाचारपत्र 'नवभारत टाइम्स' का अंक प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/ए लाया था ।

9. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् उन्हें इसमें ऊपर उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा की गई है ।

10. अभियुक्तों द्वारा वर्तमान अपीलें उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से फाइल की गई थीं । अभिलेख पर के तथ्यों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने तारीख 5 दिसंबर, 2019 के आदेश द्वारा विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल सुश्री सोनिया माथुर को न्याय-मित्र के रूप में हाजिर होने का अनुरोध किया । तद्नुसार, विद्वान् न्याय-मित्र सुश्री माथुर और अपीलार्थी-अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने

वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री ए. सिराजुद्दीन और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् अपर महासालिसिटर सुश्री ऐश्वर्या भाटी को विस्तारपूर्वक सुना ।

11. विद्वान् न्याय-मित्र सुश्री सोनिया माथुर और अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सिराजुद्दीन ने मोटे तौर पर निम्नलिखित दलीलें दीं :–

(i) विपदग्रस्त के अभिकथित अपहरण में अपीलार्थी-अभियुक्तों में से किसी की शनाख्त को सिद्ध नहीं किया गया था ।

(ii) परिस्थितियां जिनमें अपीलार्थी राहुल से लाल रंग की टाटा इंडिका कार का कब्जा बरामद किया गया था और परिस्थितियां जिनमें सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, साबित नहीं की गई थीं ।

(iii) अभिकथित रूप से अपीलार्थियों के बताने पर तारीख 13 फरवरी, 2021 को घटनास्थल से की गई बरामदगियों को भी साबित नहीं किया गया था ।

(iv) वस्तुओं जैसे बंपर का टूटा हुआ टुकड़ा, बटुआ और बालों की लट की बरामदगियां, जो अभिकथित रूप से उस स्थान से बरामद की गई थीं जहां मृतका का शव पाया गया था, अत्यंत संदेहास्पद थीं क्योंकि मुख्य साक्षियों द्वारा अपने-अपने अभिसाक्ष्यों के दौरान उनके बारे में नहीं किया गया था ।

(v) दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा की गई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के विषय में और भुजा की स्थिति, जींस के अस्तर और मृतका की जींस पर कीचड़ तथा फोटोग्राफों में दिखाई दे रहे एक बटुए की मौजूदगी के विषय में विसंगतियां थीं जिनसे अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए अन्वेषण की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है ।

(vi) खुले स्थानों से, जो आसानी से आम जनता की पहुंच में थे, तारीख 14 फरवरी, 2012 को की गई वस्तुओं की बरामदगियों

का किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थन नहीं किया गया था ।

(vii) जिस हालत में शव बरामद किया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में विपदग्रस्त की मृत्यु होने के समय को साबित नहीं किया गया था ।

(viii) अन्वेषण के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध एकत्रित न्यायालयिक साक्ष्य को वैज्ञानिक रूप से और विधिक रूप से साबित नहीं किया गया था और इसलिए उसे अपीलार्थियों के विरुद्ध एक परिस्थिति के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था ।

(ix) अभियुक्त राहुल और रवि के कॉल ब्यौरे के अभिलेख को अपराध में आलिप्त करने वाला साबित नहीं किया गया था ।

(x) ऋजु विचारण के अभियुक्तों के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया था क्योंकि विचारण के दौरान प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा दस तात्विक साक्षियों की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी और बहुत से अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों की पर्याप्त रूप से परीक्षा नहीं की गई थी ।

12. विद्वान् अपर महासालिसिटर सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने निम्नलिखित दलीलें दीं :–

(i) विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर के साक्ष्य का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के पश्चात् अभिलिखित तथ्य संबंधी समवर्ती निष्कर्ष और दोषसिद्धियां होने के कारण यह न्यायालय अपीलार्थियों पर आरोपित अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए इनमें हस्तक्षेप न करे ।

(ii) अभियोजन पक्ष द्वारा राहुल के विरुद्ध मामले को सभी तात्विक साक्षियों की परीक्षा करके साबित किया गया था, जिनमें सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह भी सम्मिलित था जिसने उसे उस समय गिरफ्तार किया था जब वह प्रश्नगत लाल रंग की टाटा इंडिका कार चला रहा था । उक्त टाटा

इंडिका कार में एक जैक और पाना तथा बालों की लट पाए गए थे और जैक रक्त-रंजित पाया गया था ।

(iii) कार में पाए गए जैक और बालों से सृजित डी. एन. ए. प्रोफाइल और अनामिका की यौनिक फुरेरी से अभिप्राप्त स्त्री प्रभाजन डी. एन. ए. एक-दूसरे के अनुरूप थे ।

(iv) विपदग्रस्त अनामिका के शरीर पर पाई गई क्षतियां कार में पाए गए जैक और पाना द्वारा कारित किया जाना संभव था ।

(v) अनामिका के शव के निकट पाया गया बंपर का टूटा हुआ टुकड़ा राहुल द्वारा चलाई जा रही लाल रंग की इंडिका कार के बंपर का टुकड़ा होने की राय व्यक्त की गई थी ।

(vi) अभि. सा. 10 हरि ओम के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध हुआ था कि तारीख 9 जनवरी, 2012 को 7.45 बजे पूर्वाह्न से 10 फरवरी, 2012 को लगभग 10 बजे अपराह्न तक उस समय के दौरान जब अभिकथित रूप से अपराध कारित किया गया था, कार राहुल के पास थी ।

(vii) इंडिका कार के सीट कवर पर राहुल का वीर्य पाया गया था ।

(viii) एक बटुआ जिसमें दो एटीएम कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां और पैन कार्ड था, उस स्थान के निकट पाया गया था जहां से अनामिका का शव बरामद किया गया था और यह साबित किया गया था कि यह बटुआ अभियुक्त राहुल का था ।

(ix) अनामिका के शव से बरामद बालों के लट अभियुक्त रवि के रक्त के नमूने से निष्कर्षित डी. एन. ए. से मेल खाते थे ।

(x) अभियुक्त रवि को जब गिरफ्तार किया गया था उसके पास एक मोबाइल फोन था जिसका संख्यांक 8802090923 था और कॉल के ब्यौरे के अभिलेख से दर्शित हुआ था कि जिस दौरान दिल्ली से अनामिका को उठाया गया था और गांव रोड़ाई में उसके शव को फेंका गया था, उक्त फोन गांव रोड़ाई

के क्षेत्र के आस-पास होना पाया गया था ।

(xi) जहां तक अभियुक्त विनोद का संबंध है, अनामिका की यौनिक फुरेरी से निष्कर्षित वीर्य का डी. एन. ए. प्रोफाइल विनोद के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाता था और राहुल द्वारा चलाई जा रही टाटा इंडिका कार के सीट कवर पर भी उसका वीर्य पाया गया था ।

13. दोषसिद्धि के प्रश्न पर दलीलें समाप्त होने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी-राज्य को अपीलार्थियों के संबंध में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, जेल में अपीलार्थियों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के बारे में जेल प्रशासन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कतिपय निदेश दिए गए थे । निदेशक, विमहंस को अपीलार्थियों की मनोविकृति-संबंधी मूल्यांकन करने और अभिलेख पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उपयुक्त दल का गठन करने का भी निदेश दिया गया । तद्नुसार, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अभिलेख पर सभी रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं । विपदग्रस्त के पिता कुंवर सिंह नेगी ने प्रत्यर्थी पक्षकार बनाने की ईप्सा करते हुए 2015 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 5559 फाइल किया जिससे वह कार्यवाहियों में भाग लेने में समर्थ हो सके । एक अन्य आवेदन योगिता भयाना द्वारा भी उसे इस आधार पर प्रत्यर्थी पक्षकार बनाने के लिए फाइल किया गया कि वह मृतका-विपदग्रस्त के परिवार की सहायता करने वाली और दिल्ली तथा अन्य राज्यों में लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार किए गए बालकों को काउंसलिंग और सहायता उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कार्यरत सक्रियतावादी (एक्टिविस्ट) है ।

14. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और विपदग्रस्त के साथ बलात्संग किया गया था तथा नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई थी । विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों का "साबित" होने के रूप में अवलंब लेते हुए अपीलार्थी-अभियुक्तों को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया था :–

"(1) मृतका का एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार में व्यपहरण किया गया था ।

(2) अभि. सा. 10 की लाल रंग की टाटा इंडिका कार जिसका पंजीकरण संख्यांक डीएल 3सी एएफ 4348 था, तारीख 9 फरवरी, 2012 को 7.45 बजे पूर्वाह्न से 10 फरवरी, 2012 को 9.00 बजे पूर्वाह्न तक और 11 फरवरी, 2012 से 13 फरवरी, 2012 तक अभियुक्त राहुल की अभिरक्षा में थी ।

(3) पूर्वोक्त टाटा इंडिका कार की पिछली सीट पर स्त्री के बालों की लट पाई गईं थीं और इससे जनित डी. एन. ए. मृतका के डी. एन. ए. के समरूप पाया गया था जिससे यह विवक्षित है कि यह मृतका का बाल था ।

(4) पूर्वोक्त टाटा इंडिका कार के सीट कवर पर पाए गए वीर्य के धब्बों से जनित डी. एन. ए. अभियुक्त राहुल के वीर्य के समरूप था ।

(5) मृतका का शव अभियुक्त रवि और विनोद के बताने पर तारीख 13 फरवरी, 2012 को गांव रोड़ाई के खेतों से बरामद किया गया था ।

(6) मृतका के शव के निकट एक लाल रंग का बटुआ पाया गया था जिसमें कुछ नकदी, एटीएम कार्ड तथा पैन कार्ड और राहुल के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस था ।

(7) तीनों अभियुक्तों ने वह स्थान बताया था, जहां पर उन्होंने मृतका को मारने के लिए एक 'मटके' से उसके सिर को चकनाचूर किया था ।

(8) पूर्वोक्त टाटा इंडिका कार, जिसका पंजीकरण संख्यांक डीएल 3सी एएफ 4348 था, की डिक्की से एक जैक और पाना बरामद किया गया था जिन पर रक्त के धब्बे थे और रक्त के धब्बों से जनित डी. एन. ए. मृतका के डी. एन. ए. के समरूप पाया गया था जिससे यह विवक्षित है कि उक्त जैक और पाना से

मृतका पर प्रहार किया गया था ।

(9) शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर (अभि. सा. 26) ने यह राय व्यक्त की थी कि अनामिका के शव पर पाई गईं क्षतियां पूर्वोक्त जैक और पाना से कारित करना संभव था ।

(10) गांव रोड़ाई के खेतों में मृतका के शव के निकट से पूर्वोक्त टाटा इंडिका कार, जिसका पंजीकरण संख्यांक डीएल 3सी एएफ 4348 था, के बम्पर का टूटा हुआ टुकड़ा भी बरामद किया गया था ।

(11) अभियुक्त विनोद द्वारा मृतका की पैंटी अभि. सा. 11 के मकान सं. आरजैड-54, पालम विहार, सेक्टर 6, द्वारका, जहां तीनों अभियुक्त किराएदार के रूप में रह रहे थे, से सटे खाली भूखंड से बरामद कराई गई थी ।

(12) अभियुक्त राहुल ने मृतका के तोड़े हुए मोबाइल फोन को करनाल सिनेमा हाल के निकट राजेन्द्र ढाबा, दिल्ली के निकट सड़क के सामने झाड़ियों में से बरामद कराया था ।

(13) मृतका की यौनिक फुरेरी में पुरुष डी. एन. ए. प्रोफाइल मिला हुआ पाया गया था जो अभियुक्त विनोद तथा अभियुक्त रवि के डी. एन. ए. के समरूप था ।

(14) जब मृतका का व्यपहरण, बलात्संग किया गया था और उसकी हत्या की गई थी तब तारीख 9 फरवरी, 2012 और 10 फरवरी, 2012 की मध्यवर्ती रात्रि में अभियुक्त राहुल, अभियुक्त रवि और मृतका के मोबाइल फोन का अवस्थान (लोकेशन) झज्जर, हरियाणा के आसपास पाई गई थी ।"

15. उच्च न्यायालय ने भी इन परिस्थितियों पर "साबित" होने के रूप में विश्वास करते हुए यह भी पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा अनामिका के शव से बरामद बालों की लट के डी. एन. ए. का रवि के डी. एन. ए. से मेल खाने वाली और विनोद के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाते हुए इंडिका कार की सीट कवर से पाए गए वीर्य के धब्बों से

जनित डी. एन. ए. संबंधी दो अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थितियों की अनदेखी की गई थी ।

16. पारिस्थितिक साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित विधि को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चयों में भलीभांति स्थिर किया गया है । **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् पांच सिद्धांत निकाले थे :–

> "152. उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब लिए गए मामलों पर चर्चा करने से पूर्व हम एकमात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी दांडिक मामले की प्रकृति, स्वरूप और अपेक्षित आवश्यक सबूत पर कुछेक विनिश्चयों को उद्धृत करना चाहेंगे । इस न्यायालय का सबसे मौलिक और मूलभूत विनिश्चय हनुमंत **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 = 1952 एस. सी. आर. 1091 = 1953 क्रिमिनल ला जर्नल 129] वाला मामला है । इस न्यायालय द्वारा आज तक अनेक विनिश्चयों में इस मामले का बराबर अनुसरण और उपयोग किया गया है । उदाहरण के लिए, तुफेल **उर्फ** सिम्मी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1969) 3 एस. सी. सी. 198 = 1970 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 55] और रामगोपाल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एस. सी. सी. 625 = ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656 वाले मामले] । हनुमंत वाले मामले [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 = 1952 एस. सी. आर. 1091 = 1953 क्रिमिनल एल. जे. 129] में न्यायमूर्ति महाजन ने जो कुछ अधिकथित किया है, उसे उद्धृत करना उपयोगी होगा :–
>
> > 'यह ध्यान रखना होगा कि जिन मामलों में साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य होता है, उनमें वे परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से सिद्ध की जानी चाहिएं और इस प्रकार सिद्ध सभी तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

चाहिएं । साथ ही वे परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं तथा वे ऐसी होनी चाहिएं कि प्रत्येक कल्पना अपवर्जित हो जाए और वही शेष रहे जो साबित की जानी है । दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की श्रृंखला अवश्य इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप किसी निष्कर्ष के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार शेष न बचे और वह ऐसी होनी चाहिएं जिससे यह दर्शित होता हो कि समस्त मानवीय अधिसंभाव्यताओं में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।'

153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म-विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के प्रतिकूल मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं :–

(1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी' या 'की जानी चाहिएं न कि की जा सकती हैं' । 'साबित की जा सकती हैं' और 'साबित करनी होंगी या की जानी चाहिएं' में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य {[1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793} वाले मामले में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –

'निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी 'होना चाहिए' न कि केवल 'दोषी हो सकता है' तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है, अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।'

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता के कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं,

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए, और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

154. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत हैं, यदि हम ऐसा कह सकते हैं । ये पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी पक्षकथन के सबूत के पंचशील सिद्धांत हैं ।"

17. **पाडला वीरा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :–

"10. ..... (1) जिन परिस्थितियों से दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें तर्कपूर्ण और सुदृढ़ रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए ;

(2) वे परिस्थितियां निश्चायक प्रवृत्ति की होनी चाहिएं जो अचूक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हों ;

(3) परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यता में यह निष्कर्ष निकलता हो कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था न कि किसी और के द्वारा ; और

[1] (1989) 2 सप्ली. एस. सी. सी. 706.

(4) दोषसिद्धि करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना की पोषक नहीं होनी चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के संगत होना चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए । (गंभीर **बनाम** महाराष्ट्र राज्य वाला मामला देखें) ।"

18. **नवनीतकृष्णन** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक**[1] वाले मामले में भी उक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है । पूर्वोल्लिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह परीक्षा करते हैं कि क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियों से अपीलार्थी-अभियुक्तों की दोषिता को सटीक और प्रबल रूप से सिद्ध किया गया है या नहीं ।

19. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई सर्वप्रथम परिस्थिति विपदग्रस्त को तारीख 9 फरवरी, 2012 को लगभग 8.45 बजे अपराह्न में एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार में व्यपहृत किए जाने के विषय में थी । इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 पूजा रावत, अभि. सा. 2 विकास सिंह रावत, अभि. सा. 4 विकास, अभि. सा. 29 सरस्वती और अभि. सा. 42 संगीता के साक्ष्य का अवलंब लिया है । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, विपदग्रस्त अभि. सा. 1 पूजा रावत, अभि. सा. 29 सरस्वती और अभि. सा. 42 संगीता के साथ घर लौट रही थी और जब वह और उसके मित्र हनुमान चौक से होकर जा रहे थे तब एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार पीछे से आई और अचानक उनके निकट रुकी । उसके पश्चात् एक लड़का कार से बाहर आया और विपदग्रस्त को कार में धकेल दिया । उक्त कार में अन्य तीन-चार व्यक्ति बैठे हुए थे । उस समय अभि. सा. 4 विकास ने बीच-बचाव करने की कोशिश की किंतु कार में बैठे उक्त लड़के उसके साथ झगड़ा करने लगे और उसके पश्चात् कार को विपदग्रस्त सहित भगाकर ले गए । यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त कहानी का एक सीमा तक संबंधित साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 पूजा रावत, अभि. सा. 4 विकास, अभि. सा. 29

[1] (2018) 16 एस. सी. सी. 161.

सरस्वती और अभि. सा. 42 संगीता द्वारा समर्थन किया गया है, किंतु उक्त साक्षियों में से किसी ने भी अपना-अपना अभिसाक्ष्य देने के दौरान न्यायालय में बैठे अभियुक्तों की शनाख्त नहीं की थी । यहां तक कि अभि. सा. 4 विकास, जिसकी विपदग्रस्त का व्यपहरण करने का प्रयत्न कर रहे लड़कों के साथ कुछ हाथापाई हुई थी, भी अपना अभिसाक्ष्य देने के दौरान न्यायालय में बैठे हुए अभियुक्तों में से किसी की शनाख्त नहीं कर सका था और उसने कहा कि अभियुक्त ही वे लड़के हैं जिनके साथ उसकी हाथापाई हुई थी क्योंकि वे विपदग्रस्त का व्यपहरण कर रहे थे । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 पूजा रावत ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी-अभियुक्तों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, जबकि अभि. सा. 29 सरस्वती और अभि. सा. 4 विकास ने यह कथन किया था कि अंधेरा होने के कारण अभियुक्तों के चेहरों की शनाख्त नहीं की जा सकी थी । अभि. सा. 2 विकास सिंह रावत जो अभि. सा. 1 पूजा रावत का भाई है और जिसका मकान हनुमान चौक के निकट स्थित था, तुरंत घर से बाहर आया था और उसने लाल रंग की इंडिका कार को ताजपुर की ओर जाते हुए देखे जाने के बारे में कथन किया था । इसलिए उक्त साक्षी भी उन व्यक्तियों की शनाख्त नहीं कर सका था जिन्होंने विपदग्रस्त का व्यपहरण किया था । अभि. सा. 8 कुंवर सिंह नेगी, मृतका के पिता ने यह कथन किया था कि उसकी पुत्री का तारीख 9 फरवरी, 2012 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस समय व्यपहरण किया गया था जब वह अपने मित्रों के साथ गुड़गांव से वापस आ रही थी, तथापि, उसने घटना नहीं देखी थी और अभियुक्तों की शनाख्त भी नहीं कर सकता है । किसी भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने-अपने अन्वेषणों के दौरान कोई शनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी ।

20. संबंधित साक्षियों के उक्त साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त के लिए अन्वेषण के दौरान न तो कोई शनाख्त परेड आयोजित की गई थी, न ही साक्षियों में से किसी ने न्यायालय के समक्ष अपने-अपने अभिसाक्ष्यों के दौरान अभियुक्तों की शनाख्त की थी । अत: अपीलार्थी-अभियुक्तों की शनाख्त ही सम्यक् रूप से सिद्ध नहीं की गई है इसलिए अपीलार्थी-अभियुक्तों के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य की बात तो दूर किसी साक्ष्य

द्वारा पहली परिस्थिति को ही सम्यक् रूप से सिद्ध नहीं किए जाने के कारण अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन धराशायी हो जाता है ।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई अगली महत्वपूर्ण परिस्थिति तारीख 13 फरवरी, 2012 को लाल रंग की इंडिका कार के साथ अभियुक्त राहुल की गिरफ्तारी के बारे में थी । पुन:, अभियोजन के पक्षकथन को देखने पर यह प्रतीत होता है कि व्यपहरण की अभिकथित घटना के पश्चात् पुलिस थाना छावला, नई दिल्ली को तारीख 9 फरवरी, 2012 को 9.18 बजे अपराह्न में इस आशय की कॉल द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की का हनुमान चौक, कुतुब विहार, छावला के निकट एक लाल रंग की इंडिका कार में व्यपहरण किया गया है । उक्त सूचना को उक्त पुलिस थाने में डीडी संख्या 27क के रूप में अभिलिखित किया गया । उक्त सूचना प्राप्त होने पर उप निरीक्षक प्रकाश चंद (अभि. सा. 45) जो पुलिस थाना छावला में तैनात था, कांस्टेबल राकेश के साथ हनुमान चौक पर घटनास्थल पर गया, जहां वे शिकायतकर्ता-सरस्वती से मिले । उसने अभिकथित घटना के विषय में अपना कथन किया और उसके कथन के आधार पर उप निरीक्षक प्रकाश चंद द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । उसके पश्चात् तारीख 13 फरवरी, 2012 को जब अन्वेषण का कार्य थाना अधिकारी, पुलिस थाना छावला, निरीक्षक संदीप गुप्ता (अभि. सा. 48) को सौंपा गया था तब पुलिस थाना, सेक्टर 23, द्वारका के सहायक उप निरीक्षक राजिन्द्र सिंह (अभि. सा. 12) ने अभियुक्त राहुल और एक लाल रंग की इंडिका कार जिसका पंजीकरण संख्यांक डीएल 3सी एएफ 4348 था, यह कहते हुए पेश किया कि अभियुक्त राहुल को मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली के निकट उक्त कार में घूमते हुए पाया था ।

22. जहां तक अभियुक्त राहुल की गिरफ्तारी का संबंध है, अभि. सा. 12 सहायक उप निरीक्षक राजिन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया था कि अभियुक्त राहुल को लाल इंडिका कार को चलाते हुए देखा गया था और वह घबराया हुआ दिखाई दे रहा था ; जब उसने उक्त यान के दस्तावेज मांगे तो अभियुक्त राहुल उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका

और इसलिए उसने (अभि. सा. 12) राहुल को पकड़ लिया और पुलिस थाना, छावला में थाना अधिकारी को उसकी अभिरक्षा सौंप दी । अभि. सा. 12 सहायक उप निरीक्षक राजिन्द्र ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि नियंत्रण कक्ष से एक संदेश आया था कि एक लाल रंग की इंडिका कार में एक लड़की का व्यपहरण किया गया है और पुलिस को उक्त यान को पकड़ना था और संबंधित थाना अधिकारी को सूचना देनी थी और इसलिए उसने राहुल को गिरफ्तार किया था । इस प्रकार, अभियुक्त राहुल को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह एक लाल रंग की इंडिका कार चला रहा था । महत्वपूर्ण रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए साक्षियों में से किसी ने भी इंडिका कार की शनाख्त नहीं की थी जो अभिकथित रूप से तारीख 13 फरवरी, 2012 को राहुल द्वारा चलाई जा रही थी । अभि. सा. 29, शिकायतकर्ता सरस्वती ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि वह निश्चितता के साथ नहीं कह सकती कि यह वही कार थी जिसमें विपदग्रस्त का व्यपहरण किया गया था । साक्षियों में से किसी ने भी उस कार का पंजीकरण संख्यांक तक नहीं देखा था जिसमें विपदग्रस्त का व्यपहरण किया गया था ।

23. अब, अभियोजन पक्ष के आगे पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त राहुल ने निरीक्षक संदीप गुप्ता के समक्ष एक प्रकटन कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.39/बी) किया था जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों विनोद और रवि को गश्ती कांस्टेबलों द्वारा पुलिस थाने लाया गया था, और उन्हें भी क्रमश: 2.45 बजे अपराह्न और 3.00 बजे अपराह्न में गिरफ्तार किया गया था । उन्होंने भी पुलिस निरीक्षक संदीप गुप्ता के समक्ष अपने-अपने प्रकटन कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.39/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.39/सी) किए थे । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त गश्ती कांस्टेबलों की परीक्षा नहीं कराई गई थी । उक्त गश्ती कांस्टेबलों की परीक्षा न कराने से अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कहानी से संदेह पैदा होता है क्योंकि अभियुक्त राहुल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने आगे के कथन में यह कहा था कि रवि को उसके मकान से उठाया गया था और जब वह (अर्थात् राहुल)

सायंकाल में रवि के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कार को अभिगृहीत कर लिया गया । अभियुक्त विनोद और रवि ने भी यह कथन किया था कि उन्हें उनके घर से उठाया गया था । इस प्रकार, जिन परिस्थितियों में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे और कार को अभिगृहीत किया गया था, उससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी में गंभीर संदेह पैदा होता है ।

24. विचित्र रूप से, जहां विपदग्रस्त का शव पड़ा हुआ था, उस घटनास्थल पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, उस समय के संबंध में भी साक्ष्य स्पष्ट नहीं है । अभि. सा. 46 सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह, पुलिस थाना रोड़ाई, हरियाणा ने कथन किया था कि तारीख 13 फरवरी, 2012 को डीडी सं. 24 प्राप्त होने पर वह हैड कांस्टेबल विनोद और हैड कांस्टेबल अमन कुमार के साथ करावड़ा रेलवे फाटक, रेवाड़ी के निकट खेतों में गया था जहां उसने पाया कि थाना अधिकारी, पुलिस थाना छावला, संदीप गुप्ता (अभि. सा. 48) और अन्य स्टाफ के सदस्य पहले से वहां थे । अभि. सा. 46 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसे डीडी सं. 24 लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न या 12.00 बजे दोपहर में प्राप्त हुई थी और वह घटनास्थल पर लगभग 4.30 बजे अपराह्न में पहुंचा था । अभि. सा. 48 पुलिस निरीक्षक संदीप गुप्ता ने कथन किया कि तारीख 13 फरवरी, 2012 को सभी तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात् और उस स्थान पर जाने के पश्चात् जहां अभिकथित व्यपहरण हुआ था, वह अपने दल और दो अभियुक्तों रवि और विनोद के साथ, राहुल को पुलिस थाने में छोड़कर, पुलिस थाना रोड़ाई, जिला रेवाड़ी, हरियाणा गया था । उसने यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् अभियुक्त रवि और विनोद के उपदर्शित करने पर वे सभी घटनास्थल अर्थात् खेत में पहुंचें जहां विपदग्रस्त का शव पड़ा हुआ था । चूंकि वहां पुलिस थाना रोड़ाई की एक पीसीआर वैन खड़ी थी, इसलिए पीसीआर के पदधारियों के माध्यम से पुलिस थाना रोड़ाई को एक सूचना भेजी गई और उसके पश्चात् सहायक उप निरीक्षक बलवंत सिंह अपने कर्मचारिवृंद के साथ घटनास्थल पर पहुंचा । इस प्रकार, अभि. सा. 46 और अभि. सा. 48 के अपने-अपने अभिसाक्ष्यों में इस बारे में विरोधाभास

हैं कि वे कैसे और कब घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां विपदग्रस्त का शव पड़ा हुआ था । यद्यपि उक्त डी. डी. सं. 24 एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य था, तो भी उक्त दस्तावेज को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया था ।

25. इस प्रक्रम पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों के संपूर्ण प्रकटन कथनों को इन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू.39/बी, पी. डब्ल्यू.41/बी और पी. डब्ल्यू.41/सी के रूप में प्रदर्शित करते हुए साक्ष्य में ग्रहण किया जाना अनुज्ञात किया था । उक्त कथन अभि. सा. 48 संदीप गुप्ता द्वारा तब अभिलिखित किए गए थे जब वे पुलिस अभिरक्षा में थे । उक्त कथन पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृतियों के रूप में होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अतिक्रमण में थे । इस संबंध में विधि सुस्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा जब वह पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति को न्यायिकेतर संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता । यदि अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष कोई संस्वीकृति की जाती है और ऐसी संस्वीकृति के किसी भाग के परिणामस्वरूप अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री की बरामदगी की जाती है, तो केवल ऐसा भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य होगा न कि संपूर्ण संस्वीकृति कथन । अत: प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 48 पुलिस निरीक्षक संदीप गुप्ता द्वारा अभिलिखित किए गए अभियुक्तों के संपूर्ण प्रकटन कथनों को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने के लिए प्रदर्शित करके गंभीर गलती कारित की थी । यद्यपि अन्वेषण अधिकारी को दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप यदि घटनास्थल का पता चलता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 27 में उपदर्शित सीमा तक ग्राह्य होगी न कि पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति के रूप में संपूर्ण प्रकथन ।

26. यह बात हमें तारीख 13 फरवरी, 2021 को अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं अर्थात् बम्पर का टूटा हुआ टुकड़ा, बटुआ जिसमें दस्तावेज थे, का अभियुक्त राहुल को अपराध से संबद्ध करने के लिए अभिकथित रूप से पता चलने की ओर ले जाती है । इस संबंध में,

दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का साक्ष्य सुसंगत होगा । यद्यपि पुलिस थाना, छावला के हैड कांस्टेबल ओंकार सिंह, अभि. सा. 32 और दक्षिण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली के अपराध शाखा के भारसाधक सहायक उप निरीक्षक अतर सिंह, अभि. सा. 36 ने उक्त अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं के बारे में कथन किया था, किंतु अभि. सा. 37, अभि. सा. 38, अभि. सा. 39 और अभि. सा. 41 ने, जो घटनास्थल पर थे, उक्त वस्तुओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था । पुनः, पुलिस थाना रोड़ाई की प्रेरणा पर बुलाए गए फोटोग्राफर अभि. सा. 31 ने भी उक्त वस्तुओं के बारे में उल्लेख नहीं किया था । अन्य गैर-शासकीय साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3, अभि. सा. 7, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 14 ने भी ऐसी पता चली वस्तुओं या बरामदगियों के बारे में कुछ नहीं कहा था । अभियोजन पक्ष ने सटीक साक्ष्य द्वारा यह भी साबित नहीं किया था कि विपदग्रस्त के शव के निकट पड़ा बम्पर का टूटा हुआ टुकड़ा अभियुक्त राहुल से अभिगृहीत की गई लाल रंग की इंडिका कार का ही था । इसके अतिरिक्त, बटुए (प्रदर्श-34/ए) के अभिग्रहण ज्ञापन में केवल यह उल्लेख किया गया है कि एक लाल रंग का बटुआ अभिगृहीत किया गया था जिसमें 365/- रुपए थे और वस्तुओं की एक सूची थी । अभिग्रहण ज्ञापन में किसी दस्तावेज के बारे में कोई उल्लेख नहीं था जो अभियुक्त राहुल को संबद्ध कर सके । यदि उक्त बटुए से अभियुक्त राहुल को संबद्ध करते हुए एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां और पेन कार्ड पाए गए थे तो कोई अन्वेषण अधिकारी अभिग्रहण ज्ञापन में उनका वर्णन न करने की इतनी बड़ी गलती नहीं करता । अभियुक्त राहुल ने धारा 313 के अधीन अपने आगे के कथन में यह कहा था कि उससे उक्त वस्तुएं पुलिस थाने में ली गई थीं ।

27. सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह द्वारा अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श 34/ए) के अनुसार मृतका के शव से पाए गए बालों की लट की बरामदगी भी अत्यंत संदेहास्पद है क्योंकि इसे अभिकथित रूप से मृतका के शव से पाया गया था जो लगभग तीन दिन और तीन रात तक खुले खेत में पड़ा हुआ था । मृतका के पिता अभि. सा. 8 और मृतका के

पड़ोसियों अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7, जिन्होंने विपदग्रस्त के शव की शनाख्त की थी, ने शव के निकट पड़ी वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं कहा था । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय का ध्यान हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के साक्ष्य के साथ-साथ औपचारिक साक्षियों के परिसाक्ष्यों में भी प्रकट होने वाली अनेक विसंगतियों और विरोधाभासों की ओर आकर्षित किया जिससे पता चली वस्तुओं और बरामदगी के साथ-साथ अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं के अभिग्रहण के विषय में संपूर्ण साक्ष्य अत्यंत अविश्वसनीय हो जाता है । अभियुक्तों के बताने पर तारीख 14 फरवरी, 2012 को राख, मृतका के जांघिए इत्यादि जैसी वस्तुओं के अभिग्रहण को भी अभियोजन पक्ष द्वारा सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया था । उक्त वस्तुओं को परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था, तथापि, केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा उनकी अभियुक्तों के साथ संबद्धता को सिद्ध करने के लिए कोई निश्चायक राय नहीं दी गई थी ।

28. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई अगली परिस्थिति अभियुक्त राहुल के बताने पर कमल सिनेमा के निकट राजेन्द्र ढाबा के पीछे के रोड डिवाइडर पर झाड़ियों से मृतका के फोन की अभिकथित बरामदगी की थी । यद्यपि अभि. सा. 8 कुंवर सिंह नेगी, मृतका के पिता ने यह कथन किया था कि मोबाइल फोन संख्या 9540594640 उसके नाम से था और उसकी पुत्री द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, तो भी फोन को शनाख्त के प्रयोजनार्थ उसे नहीं दिखाया गया था । उक्त फोन के कॉल ब्यौरे को भी इलैक्ट्रानिक अभिलेख होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के निबंधनों के अनुसार साबित नहीं किया गया था । अत: साक्ष्य का यह भाग भी अभियोजन के पक्षकथन को अग्रसर नहीं करता है ।

29. प्रस्तुत मामले में, व्यपहरण की अभिकथित घटना तारीख 9 फरवरी, 2012 को घटी थी और विपदग्रस्त का शव तारीख 13 फरवरी, 2012 को पाया गया था । इसलिए मृत्यु का समय भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, तथापि, जिस हालत में शव पाया गया था उसे ध्यान में रखते हुए मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श-26/ए में उस समय

के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृत्यु कब हुई थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु का समय 72 से 96 घंटे अर्थात् तारीख 10 फरवरी, 2012 से 11 फरवरी, 2012 के बीच का बताया गया है क्योंकि मरणोत्तर परीक्षा तारीख 14 फरवरी, 2012 को की गई थी । तथापि, अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार मृत्यु तारीख 9 फरवरी, 2012 से 10 फरवरी, 2012 की मध्यवर्ती रात्रि में हुई होगी । मृतका के शव से भी सड़न का कोई चिह्न दर्शित नहीं हो रहा था । यह अत्यधिक असंभाव्य है कि शव तीन दिनों तक खेत में पड़ा रहा होगा और किसी व्यक्ति ने देखा नहीं होगा ।

30. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ताओं ने ठीक ही इस न्यायालय का ध्यान उस समय और रीति के बारे में जिसमें मृतका की मरणोत्तर परीक्षा के दौरान नमूने एकत्र किए गए थे, यह दलील देने के लिए आकर्षित किया है कि अभि. सा. 48 पुलिस निरीक्षक संदीप कुमार उस समय अस्पताल में मौजूद था जब तारीख 14 फरवरी, 2012 को मरणोत्तर परीक्षा की गई थी और इसलिए तारीख 16 फरवरी, 2012 को मृतका के शव से नमूने एकत्रित करने का कोई कारण नहीं था । अभियुक्तों की एमएलसी जो तारीख 14 फरवरी, 2012 को आरटीएमआर अस्पताल, जाफ्फरपुर में की गई थी, के दौरान नमूनों को एकत्रित और मुहरबंद करने की बात से भी विश्वास प्रेरित नहीं होता है । तारीख 13 फरवरी, 2012 को अभिगृहीत की गई इंडिका कार के सीट कवर पर रक्त के धब्बे और वीर्य पाए जाने और परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे जाने की कहानी भी अत्यंत अनधिसंभाव्य और अविश्वसनीय प्रतीत होती है । इस बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि उक्त कार इसके अभिग्रहण से लेकर परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे जाने तक किसकी अभिरक्षा में थी और क्या उक्त अवधि के दौरान कार को मुहरबंद किया गया था ।

31. विद्वान् न्याय-मित्र ने न्यायालयिक साक्ष्य अर्थात् तारीख 18 अप्रैल, 2012 की डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श पी-23/ए) को भी प्रश्नगत किया है जिसमें अपराध में आलिप्त करने वाले निष्कर्ष दिए गए हैं । उन्होंने जोरदार रूप से यह दलील दी कि इस

तथ्य के अतिरिक्त कि परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों को एकत्रित किए जाने की बात स्वयमेव अत्यधिक संदेहास्पद है, उक्त न्यायालयिक साक्ष्य को न तो वैज्ञानिक रूप से और न ही विधिक रूप से साबित किया गया था और अपीलार्थी-अभियुक्तों के विरुद्ध एक परिस्थिति के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था । यह न्यायालय न्याय-मित्र द्वारा दी गई उक्त दलीलों में सार पाता है । जैसा कि धारा 45 के अधीन परिकल्पित है, डी. एन. ए. साक्ष्य राय साक्ष्य की प्रकृति का है और किसी अन्य राय साक्ष्य की भांति इसका साक्ष्यिक महत्व हर मामले में भिन्न-भिन्न होता है । इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा **मनोज और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में की गई अति महत्वपूर्ण मताभिव्यक्तियां उल्लेखनीय हैं । इस न्यायालय ने डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग क्रिया-विधि और सांख्यिकीय विश्लेषण के साथ-साथ डी. एन. ए. साक्ष्य को एकत्रित करने और परिरक्षित रखने के मुद्दे पर भी विस्तार से विचार किया था । सुसंगत पैरा निम्नलिखित हैं :–

> "138. सुनवाई के दौरान, केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, कोलकाता द्वारा प्रकाशित एक लेख का अवलंब लिया गया । इस लेख के सुसंगत उद्धरणों को नीचे उद्धृत किया जाता है –
>
> > 'डीआक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डी. एन. ए.) जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद आनुवंशिक सामग्री है । एक औसत मानवीय शरीर की रचना लगभग 100 अरब कोशिकाओं से होती है । डी. एन. ए., कोशिका के केंद्रक में द्विकुंडलिनी, अतिकुंडलित के रूप में अंतर्संबंधित प्रोटीन के साथ-साथ गुणसूत्र का गठन करने के लिए मौजूद है । प्रत्येक केंद्रक कोशिकाओं में गुणसूत्र के तेइस युग्म मौजूद हैं और व्यक्ति क्रमश: अंडाणु और शुक्राणु के माध्यम से संचारित 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है । प्रत्येक कोशिका के विभाजन के समय गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति होती है और एक समूह प्रत्येक अनुजात कोशिका में जाता है । आंतरिक संरचना, शारीरिक

[1] (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 677.

विशेषताओं और शरीर के भौतिक कार्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी डी. एन. ए. अणुओं में चार केंद्रकों या आधारों के अक्षरों की भाषा (क्रम): एडेनिन (ए), ग्वानिन (जी), थायनिन (टी) और साइटोसिन (सी) के साथ-साथ शर्करा-फास्फेट आधार के रूप में कूटकृत होती है । मानव अगुणित कोशिका में लगभग 3 अरब आधार अंतर्विष्ट हैं । शरीर की सभी कोशिकाओं का हू-ब-हू एक-समान डी. एन. ए. है किंतु यह केंद्रक के क्रम में हर व्यक्ति का भिन्न-भिन्न होता है । मिटोकोनड्रिया में प्रतिकृति की बड़ी संख्या में पाया जाने वाला मिटोकोनड्रायल डी. एन. ए. (एमटीडी. एन. ए.) वृत्ताकार, दोहरी लड़ी के रूप में, लंबाई में 16,569 आधार युग्म में है और मातृ वंशावली को दर्शाता है । यह मातृ वंशक्रम के माध्यम से संबंधित लोगों के अध्ययन में विशिष्ट रूप से उपयोगी है । न्यूक्लियर डी. एन. ए. की अपेक्षा प्रतिकृतियों की बड़ी संख्या होने के कारण इसे विकृत नमूनों के विश्लेषण में प्रयुक्त किया जा सकता है । इसी प्रकार, वाई गुणसूत्र पितृत्व वंशानुक्रम दर्शाते हैं और पुरुष वंशावली का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है और लैंगिक हमले के मिश्रणों में पुरुषों से डी. एन. ए. को विभाजित किया जाता है ।

केवल 0.1 प्रतिशत डी. एन. ए. (लगभग 3 अरब आधार) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का भिन्न होता है । न्यायालयिक डी. एन. ए. वैज्ञानिक किसी व्यक्ति का डी. एन. ए. प्रोफाइल उत्पन्न करने के लिए जैविक संकेत संबंधी सामग्री या नियंत्रित नमूनों के साथ तुलना करने के लिए केवल कुछ परिवर्तनशील क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं ।'

.....।

डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग क्रियाविधि

डी. एन. ए. प्रोफाइल शरीर के द्रव्यों, धब्बों और साक्ष्य से बरामद अन्य जैविक नमूनों से उत्पन्न किया जाता है और इसके परिणामों की तुलना निर्देश किए गए नमूनों से

अभिप्राप्त परिणामों से की जाती है । इस प्रकार, विपदग्रस्त (विपदग्रस्तों) और/या संदिग्ध (संदिग्धों) के मध्य एक-दूसरे से या अपराध-स्थल से संबंध को सिद्ध किया जाता है । डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग डी. एन. ए. के कुछ अत्यंत परिवर्तनशील क्षेत्रों में विश्लेषण की एक जटिल प्रक्रिया है । डी. एन. ए. के परिवर्तनशील क्षेत्रों को आनुवंशिक चिह्नक (जेनेटिक मार्कर्स) कहा जाता है । वर्तमान में न्यायालयिक प्रयोजनों के लिए पसंदीदा आनुवंशिक चिह्नक लघु अग्रानुक्रम पुनरावृत्ति (एसटीआर) हैं । स्वचालित डी. एन. ए. अनुक्रमक का प्रयोग करते हुए 15 एसटीआर के एक सैट का विश्लेषण एक डी. एन. ए. प्रोफाइल देता है जो एक व्यक्ति का अद्‌वितीय (मोनोजायगोटिक युग्म के सिवाय) होता है । इसी प्रकार, वाई गुणसूत्र (वाई-एसटीआर) पर मौजूद एसटीआर लैंगिक हमलों के मामले में या पितृत्व वंशावली का अवधारण करने के लिए भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं । लैंगिक हमलों के मामले में, वाई-एसटीआर पुरुष प्रोफाइल का पता लगाने में यहां तक कि स्त्री अंश की अत्यधिक मात्रा की मौजूदगी में या शुक्राणुहीन या नशबंदी पुरुषों में भी मददगार होते हैं । जिन मामलों में डी. एन. ए. पर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ा हो या जैव-रासायनिक क्षरण हुआ है, वहां न्यूनतम आईएसटीआर का लघु एम्पलीकान आधार होने के कारण नैमित्तिक रूप से प्रयुक्त होने वाले एसटीआर के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं ।

डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है और कोई प्रोफाइल उत्पन्न करने में प्रत्येक आनुक्रमिक उपाय प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न हो सकता है । तथापि, विश्लेषण के सिद्धांत एक-समान रहते हैं, जिनमें सम्मिलित हैं :

1. डी. एन. ए. का वियोजन, शुद्धिकरण और परिणामीकरण

2. चयनित आनुवंशिक चिह्नक का प्रवर्धन

3. खंडों और जीनोटाइपिंग को देखना

4. सांख्यिकीय विश्लेषण और निर्वचन

एमटीडी. एन. ए. विश्लेषण में, अति परिवर्तनशील क्षेत्र (हाइपरवेरिएबल रीजन) I और II (एचवीआर I और II) में अनुक्रमण और नियंत्रित नमूनों के साथ तुलना करके रूपांतरण का पता लगाया जा सकता है .....।

सांख्यिकीय विश्लेषण

डी. एन. ए. के किसी विशिष्ट मामले में साक्ष्य के नमूनों जैसे किसी बलात्संग से वीर्य के नमूनों और ज्ञात या निर्देशित नमूनों जैसे किसी संदिग्ध के रक्त के नमूने की तुलना अंतर्वलित होती है । साधारणतया, इनके प्रोफाइल की तुलना के तीन संभाव्य परिणाम हैं :

(1) मिलान : यदि दो नमूनों से अभिप्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल अप्रभेदनीय हैं तो यह कहा जाता है कि उनका मिलान हुआ है ।

(2) अपवर्जन : यदि प्रोफाइलों की तुलना करने पर विभिन्नता दर्शित होती है, तो इसे केवल भिन्न स्रोतों से उत्पन्न किए गए दो नमूनों से स्पष्ट किया जा सकता है ।

(3) अनिश्चायक : आंकड़ों से तीन संभाव्य परिणामों के निष्कर्ष का समर्थन नहीं होता है, तो नमूनों के बीच 'मिलान' का केवल सांख्यिकी परिकलन द्वारा समर्थन किए जाने की आवश्यकता है । सांख्यिकी इस मिलान का अर्थ उपलब्ध करने का प्रयत्न करेगी । सांख्यिकी की तुलना से आंकड़े प्रायिक रूप से निरुदेश्य मिलान अधिसंभाव्यता (आरएमपी) या दूसरे शब्दों में, किसी जनसंख्या में विशिष्ट डी. एन. ए. प्रोफाइल की बारंबारता के प्राक्कलन के रूप में उपलब्ध किए जाते हैं ।

पितृत्व/मातृत्व परीक्षण की दशा में, दो अवस्थान से

अधिक पर अपवर्जन को अपवर्जन समझा जाता है । किसी मिलान की रिपोर्ट करते समय एक या दो अवस्थान के संभाव्य उत्परिवर्तन की अनुज्ञा को ध्यान में रखा जाना चाहिए । पितृत्व या मातृत्व अभिसूचकों और संभावित अनुपातों की मिलान का समर्थन करने के लिए और आगे संगणना की जाती है ।

साक्ष्य का संग्रह और परिरक्षण

यदि डी. एन. ए. साक्ष्य को उचित रूप से प्रलेखित, एकत्रित, संवेष्टित और परिरक्षित नहीं किया जाता है, तो यह न्यायालय में ग्राह्यता के लिए विधिक और वैज्ञानिक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेगा । क्योंकि डी. एन. ए. के अत्यंत लघु नमूनों को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसलिए संदुषण संबंधी समस्याओं के प्रति अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । डी. एन. ए. साक्ष्य इसका पता लगाने, एकत्रित करने और परिरक्षित करने के समय संदूषित हो सकता है जब डी. एन. ए. मामले के लिए सुसंगत किसी अन्य डी. एन. ए. के स्रोत से मिश्रित हो जाता है । ऐसा तब हो सकता है जब कोई साक्ष्य के ऊपर छींक देता है या खांस देता है या अपने मुंह, नाक या चेहरे के अन्य भाग को स्पर्श करता है/करती है और फिर स्पर्श किए गए भाग जिसमें डी. एन. ए. हो सकता है, परीक्षण किया जाए । ऐसे प्रदर्शों को, जिनमें जैविक नमूने हैं जिनसे मामले को सुलझाने के लिए विपदग्रस्त (विपदग्रस्तों), संदिग्ध (संदिग्धों) के मध्य संबंध, अपराध-स्थल को सिद्ध किया जा सकता है, शनाख्त, परिरक्षित, परिवेष्टित किया जाना चाहिए और डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए ।

139. आर. **बनाम** डोहोने एंड एडम्स वाले एक पूर्ववर्ती निर्णय में यू. के. अपील न्यायालय ने विचारणों में डी. एन. ए. साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए : (1) वैज्ञानिकों को डी. एन. ए. की

तुलनाओं के साक्ष्य को निरुद्देश्य निकाले गए अनुपात की अपनी संगणनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ; (2) जब कभी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना है, तो क्राउन (अभियोजन पक्ष) द्वारा प्रतिरक्षा पक्ष को वे ब्यौरे तामील करने चाहिएं कि संगणना कैसे की गई थी और जो प्रतिरक्षा पक्ष के लिए संगणनाओं के आधार की संवीक्षा करने के लिए पर्याप्त हों ; (3) न्यायालयिक सेवा को प्रतिरक्षा पक्ष के विशेषज्ञ को वह डेटाबेस उपलब्ध कराना चाहिए, यदि अनुरोध किया जाता है, जिसके आधार पर संगणनाएं की गई हैं ।

140. भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –

> 'डी. एन. ए. साक्ष्य में उस आनुवंशिक सामग्री, जो उस व्यक्ति से आती है जिसकी शनाख्त विवाद्य है और किसी ज्ञात व्यक्ति से लिए गए आनुवंशिक सामग्री के नमूने के बीच तुलना करना अंतर्वलित होता है । यदि नमूने 'मेल' नहीं खाते हैं तब ज्ञात व्यक्ति और जिस व्यक्ति से अज्ञात नमूना उत्पन्न किया गया था, के बीच एकात्मकता का अभाव होना सिद्ध होगा । यदि नमूने मेल खाते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि शनाख्त निश्चायक रूप से साबित होती है । बल्कि विशेषज्ञ डी. एन. ए. नमूनों के डेटाबेस से एक अनुमानित संख्या यह प्रदर्शित करते हुए व्युत्पन्न करने में समर्थ होगा कि कैसे प्राय: एक समान डी. एन. ए. 'प्रोफाइल' या 'अंगुली की छाप' को पाया जाता है । उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि हर एक लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का सुसंगत प्रोफाइल पाया जाता है : इसे 'रैंडम आकरेंश रेश्यो' (फिफसन 1999) के रूप में वर्णित किया जाता है ।
>
> इस प्रकार, डी. एन. ए. अन्वेषण के प्रयोजनार्थ अधिक उपयोगी हो सकता है किंतु न्यायालय में शनाख्त की कोई उपधारणा करने के लिए नहीं ।'

141. धर्म देव यादव **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में इस न्यायालय ने किसी दांडिक विचारण में डी. एन. ए. साक्ष्य की विश्वसनीयता की चर्चा की थी और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया –

> 'डी. एन. ए. का अर्थ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो प्रत्येक जीव का जैविक खाका है । डी. एन. ए. एक दोहरी मानव अवसंरचना से बनता है जिसमें डीऑक्सीरिबोस शर्करा और फास्फेट बैकबॉन समाविष्ट होती है जो दो प्रकार के न्यूक्लिक लवणों से तीर्यक रूप से जुड़े होते हैं जिन्हें एडानिल और ग्वानिल, क्यूरीनेस और थाईमिन तथा सिटोसिन पायरिमिडिंस कहा जाता है .....। डी. एन. ए. प्रायिक रूप से किसी जैविक सामग्री जैसे रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा, अस्थियों इत्यादि से अभिप्राप्त किया जा सकता है । यह प्रश्न कि क्या डी. एन. ए. परीक्षण वास्तव में अचूक हैं, एक विवादास्पद प्रश्न है किंतु वास्तविकता यह है कि ऐसा परीक्षण विद्यमान रहा है और अपराधों के अन्वेषण में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है और न्यायालय प्राय: विशेषज्ञों की राय को स्वीकार करता है, विशेष रूप से जब मामले पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करते हों । अर्द्ध शताब्दी से अधिक समय से दांडिक न्याय व्यवस्था में मानव डी. एन. ए. नमूनों का प्रयोग किया जाना आरंभ हुआ था । निस्संदेह, उन रक्षोपायों पर बहस चलती रहती है जो नमूनों के परीक्षण और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित होने चाहिएं । तथापि, डी. एन. ए. प्रोफाइल को सतत् रूप से विधिमान्य और विश्वसनीय अभिनिर्धारित किया गया है किंतु निस्संदेह यह प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है ।'

142. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज ऑफिस फॉर दी थर्ड ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट **बनाम** ऑस्बॉर्न वाले मामले में उस सिद्धदोष व्यक्ति की प्रेरणा पर दोषसिद्धि के पश्चात् साक्ष्य मिलने

के दावे पर विचार किया था जो नई डी. एन. ए. तकनीकों के माध्यम से अपनी निर्दोषिता साबित करना चाहता था । तथ्यों के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया गया था कि –

> 'आधुनिक डी. एन. ए. परीक्षण नया सशक्त साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है जो पहले से ज्ञात नहीं था । वर्ष 1980 के मध्य में दांडिक अन्वेषणों में इसके पहली बार उपयोग से लेकर डी. एन. ए. प्रौद्योगिकी में कई बड़ी प्रगति हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप एसटीआर टेक्नोलॉजी विकसित हुई है । अब प्राय: यह अवधारण करना संभव है कि क्या कोई जैविक ऊतक किसी संदिग्ध के साथ निकट निश्चितता के साथ मेल खाता है या नहीं । जबकि निस्संदेह बहुत सारे दांडिक विचारण कतई किसी न्यायालयिक और वैज्ञानिक परीक्षण के बिना अग्रसर होते हैं, ऊतकों का मिलान करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण की तुलना में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जब ऐसा साक्ष्य विवाद्य हो । डी. एन. ए. परीक्षण ने गलत रूप से दोषसिद्ध लोगों को दोषमुक्त किया है और बहुत से अन्य व्यक्तियों की दोषसिद्धियों की पुष्टि की है ।'

143. इस न्यायालय के कई विनिश्चयों – पंतांजी बालाराम वेंकट गणेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तमिलनाडु बनाम जॉन डेविड, कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, सुरेन्द्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, संदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राजकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और मुकेश बनाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली राज्य में डी. एन. ए. साक्ष्य के बढ़ते हुए महत्व पर विचार किया गया था । इस न्यायालय ने अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले मामले में नमूनों के बारे में तथा परीक्षण के लिए तकनीक के बारे में गुणवत्ता को नियंत्रण करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था –

> '7. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक या डी. एन. ए. एक अणु है जो सभी जीवों में आनुवंशिक जानकारी को कूटकृत करता है ।

> डी. एन. ए. जिनोटाइप किसी जैविक सामग्री जैसे अस्थि, रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा आदि से अभिप्राप्त किया जा सकता है । अब, कई वर्षों से डी. एन. ए. प्रोफाइल का न्यायालयिक अन्वेषण पर भी भारी असर देखने को मिला है । साधारणतया, जब अपराध स्थल पर पाए गए किसी नमूने का डी. एन. ए. प्रोफाइल संदिग्ध के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाता है तो साधारण तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की एकसमान जैविक उत्पत्ति है । डी. एन. ए. प्रोफाइल विधिमान्य और विश्वसनीय है किंतु किसी विशिष्ट परिणाम में फेर-फार प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रक्रिया पर निर्भर करता है ।'"

32. यह सही है कि अभि. सा. 23 डा. बी. के. महापात्रा, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान), केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली साक्षी कठघरे में आए थे और डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में उसकी रिपोर्ट को प्रदर्श पी. डब्ल्यू.23/ए के रूप में प्रदर्शित किया गया था, तथापि, किसी दस्तावेज को मात्र प्रदर्शित करने से इसकी अंतर्वस्तुएं साबित नहीं हो जाती हैं । अभिलेख से दर्शित होता है कि अभियुक्तों से संबंधित और मृतका से संबंधित सभी नमूने अन्वेषण अधिकारी द्वारा तारीख 14 फरवरी, 2012 और 16 फरवरी, 2012 को अभिगृहीत किए गए थे और उन्हें परीक्षण के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला में तारीख 27 फरवरी, 2012 को भेजा गया था । इस अवधि के दौरान वे पुलिस थाने के मालखाना में रहे थे । इन परिस्थितियों में, एकत्रित किए गए इन नमूनों के साथ छेड़-छाड़ करने की संभाव्यता से भी इनकार नहीं किया जा सकता । न तो विचारण न्यायालय ने और न ही उच्च न्यायालय ने डी. एन. ए. रिपोर्टों में दिए गए निष्कर्षों के अंतर्निहित आधार की परीक्षा की थी और न ही उन्होंने इस तथ्य की परीक्षा की थी कि क्या विशेषज्ञ द्वारा क्रिया-विधियों को विश्वसनीय रूप से लागू किया गया था या नहीं । अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य के अभाव में, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के विषय में सभी रिपोर्ट अत्यधिक संवेदनशील बन जाती हैं, विशिष्ट रूप से जब परीक्षण के लिए भेजे गए नमूने एकत्रित और मुहरबंद करने की बात भी संदेह से मुक्त नहीं थी ।

33. इस प्रकार, संपूर्ण परिस्थितियों और अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित किया है । स्थिर विधिक स्थिति के अनुसार, दोषसिद्धि करने के लिए परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करते हुए इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि केवल यह निष्कर्ष निकलता हो कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यता में अपराध केवल अभियुक्तों द्वारा किया गया था किसी और के द्वारा नहीं । पारिस्थितिक साक्ष्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना का पोषक नहीं होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के संगत होना चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए । जैसा कि पहले प्रदर्शित किया गया है, अपीलार्थी-अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी शनाख्त, अपराध में आलिप्त करने वाली वस्तुओं का पता चलने और बरामदगियों, इंडिका कार की शनाख्त, वस्तुओं के अभिग्रहण और मुहरबंद और नमूनों को एकत्रित करने, चिकित्सीय और वैज्ञानिक साक्ष्य, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट के विषय में साक्ष्य को और सीडीआर इत्यादि के विषय में साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा सटीक, विश्वसनीय और स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित नहीं किया गया था, अभियुक्तों की दोषिता को अचूक इंगित करने वाले साक्ष्य की बात तो दूर । अभियोजन पक्ष को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करना चाहिए था, जिसे अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मामले में सिद्ध करने में असफल रहा है । परिणामत:, इस न्यायालय के पास अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है, यद्यपि वे एक अति जघन्य अपराध में अंतर्ग्रस्त थे । यह सही हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में अंतर्ग्रस्त अभियुक्त अदंडित छूट जाते हैं या दोषमुक्त किए जाते हैं तो साधारणत: समाज को और विशिष्टत: विपदग्रस्त के परिवार को घोर व्यथा और कुंठा हो सकती है, तथापि, विधि न्यायालयों को नैतिक आधार पर या केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दंडित करने के लिए अनुज्ञात नहीं करती है । कोई दोषसिद्धि मात्र अभ्यारोपण की आशंका या किए गए विनिश्चय की निंदा के आधार पर नहीं की जानी चाहिए ।

न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले का विनिश्चय किसी प्रकार के बाह्य नैतिक दबाव या अन्यथा से प्रभावित हुए बिना पूरी तरह से गुणागुण के आधार पर और विधि के अनुसार किया जाना चाहिए ।

34. यह न्यायालय ये मताभिव्यक्तियां करने के लिए इसलिए आनत हैं क्योंकि इस न्यायालय ने विचारण के दौरान की गई बहुत सारी स्पष्ट चूक देखी हैं । अभिलेख से यह दिखाई पड़ता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए 49 साक्षियों में से 10 तात्विक साक्षियों की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी और प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा बहुत से अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों की पर्याप्त रूप से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी । यह स्मरणीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 विचारण न्यायालयों को सच्चाई को बाहर लाने के लिए साक्षियों से किसी भी प्रक्रम पर कोई प्रश्न पूछने की अनियंत्रित शक्ति प्रदत्त करती है । जैसा कि कई विनिश्चयों में मत व्यक्त किया गया है, न्यायाधीश से एक निष्क्रिय निर्णायक होने की प्रत्याशा नहीं की जाती है अपितु उसे विचारण में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्षियों से प्रश्न पूछने चाहिएं । इस न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार न करते हुए कि साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान न्यायालय के लिए बीच में टोकना अनुचित था, **राजस्थान राज्य** बनाम **अनि** उर्फ **हनीफ़ और अन्य**[1] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया था :–

> "11. हम उपरोक्त आलोचना का समर्थन करने में असमर्थ हैं । साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में विचारण न्यायालय को सुसंगत तथ्य का पता लगाने के लिए किसी साक्षी, या पक्षकारों से 'कोई भी प्रश्न जो वह चाहे, किसी भी रूप में किसी भी समय किसी तथ्य के संबंध में जो सुसंगत हो अथवा असंगत', पूछने की व्यापक और अनिर्बंधित शक्तियां प्रदत्त की गई हैं । उक्त धारा को इसमें 'कोई' शब्द रखकर विरचित किया गया था जो केवल सच्चाई

[1] (1997) 6 एस. सी. सी. 162.

का पता लगाने के लिए विचारण न्यायालय को अनियंत्रित शक्ति प्रदत्त करने के विधायी आशय द्वारा प्रेरित थी । यदि कोई ऐसा प्रश्न असंगत ही हो तो भी वह न्यायालय की शक्तियों की रूपरेखा से परे नहीं होगा । यह बात धारा 165 में 'सुसंगत या असंगत' शब्दों से स्पष्ट है । किसी भी पक्षकार को किसी ऐसे प्रश्न पर अभ्यापत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है ।

12. बहुत सी परिस्थितियों में मौन रहना उचित हो सकता है किंतु कोई न्यायाधीश विचारण के दौरान मूक बना रहे, यह एक आदर्श स्थिति नहीं है । एक अल्पभाषी न्यायाधीश जनमानस में आदर्श हो सकता है किंतु विचारण के दौरान उसका सक्रिय और क्रियाशील बनना गलत नहीं है जिससे दांडिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके । दांडिक विचारण दो विरोधी पक्षों के बीच एक पारी या लड़ाई नहीं बन जानी चाहिए और न्यायाधीश एक ऐसा मूकदर्शक या यहां तक कि अम्पायर की भूमिका निभाए कि अंतत: दौड़ किसने जीती है । न्यायाधीश से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह विचारण में सक्रिय रूप से भाग ले, उचित संदर्भ में साक्षियों से आवश्यक सामग्री प्रकट करे जो वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक महसूस करता है । ऐसी कोई बात नहीं है जो सच्चाई का पता लगाने के लिए साक्षियों से या तो मुख्य परीक्षा के दौरान या प्रतिपरीक्षा के दौरान या यहां तक कि पुन:परीक्षा के दौरान भी प्रश्न पूछने की उसकी शक्ति को रोकती हो । इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि यदि कोई न्यायाधीश महसूस करता है कि किसी साक्षी ने कोई गलती या चूक की है तो न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह अभिनिश्चित करे कि क्या ऐसा था क्योंकि मानव गलती का पुतला है और प्रतिपरीक्षा के दौरान घबराहट में गलती करने की संभावना बढ़ जाती है । दांडिक न्याय को साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान साक्षियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर आधारित नहीं किया जाना चाहिए । विचारण न्यायाधीश के लिए सक्रिय बना रहना एक उपयोगी कवायद है जिससे कि

गलतियों को कम किया जा सके ।

13. इस संदर्भ में रामचंद्र **बनाम** हरियाणा राज्य [(1981) 3 एस. सी. सी. 191 = 1981 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 683 = ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1036] वाले मामले में न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों को उद्धृत करना उपयुक्त होगा –

> 'विचारण की विरोधात्मक पद्धति चाहे जो भी हो, किसी विचारण में पीठासीन न्यायाधीश द्वारा एक रेफरी अथवा अम्पायर का आचरण अपनाना तथा अभियोजन और प्रतिरक्षा के बीच विचारण को एक लड़ाई में परिवर्तित होने देना, एक खेदपूर्ण प्रवृत्ति है जिससे विचारण की प्रक्रिया में झगड़ालू तथा प्रतियोगी तत्वों के प्रवेश करने से विनाशकारी परिणाम निकलना अवश्यंभावी है । यदि किसी दंड न्यायालय को न्याय करने में एक प्रभावी स्रोत बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को एक दस्तक तथा मात्र अभिलिखित करने की मशीन होने को त्यागना पड़ेगा । उसे विचारण में प्रमाणकारी बुद्धिमतापूर्ण और क्रियाशील अभिरुचि लेकर सत्य को अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से साक्षियों से प्रश्न पूछकर भाग लेने वाला बनना चाहिए ।'"

35. प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए तात्विक साक्षियों की या तो प्रतिपरीक्षा और या पर्याप्त रूप से परीक्षा न कराए जाने और विचारण न्यायालय द्वारा भी एक निष्क्रिय निर्णायक के रूप में कार्य किए जाने के कारण हमारा यह निष्कर्ष है कि इस तथ्य के अतिरिक्त कि विचारण न्यायालय द्वारा सच्चाई को भी बाहर नहीं निकाला जा सका था, अपीलार्थी-अभियुक्तों को ऋजु विचारण के उनके अधिकारों से वंचित किया गया था । हम इसे विचारण न्यायालयों की प्रज्ञा और विवेक पर छोड़ते हैं कि वे अपने समक्ष मामलों में, चाहे वे कितने भी जघन्य या अन्यथा हों, सच्चाई का पता लगाने के लिए

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करें ।

36. यह कहते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी-अभियुक्तों को उन्हें संदेह का फायदा देते हुए उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उन्हें तुरंत स्वतंत्र किए जाने का निदेश दिया जाता है । तद्नुसार, ये अपीलें मंजूर किए जाने योग्य हैं ।

37. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(क) को ध्यान में रखते हुए मृतका-विपदग्रस्त के परिवार के सदस्य प्रतिकर के हकदार होंगे, भले ही अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया है । अत: इन अपीलों को मंजूर करते हुए और अपीलार्थी-अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए हम निदेश देते हैं कि विपदग्रस्त के माता-पिता प्रतिकर, जैसा कि विधि के अनुसार अनुज्ञेय हो, के हकदार होंगे यदि दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अभी तक अधिनिर्णीत नहीं किया गया है ।

38. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, यह अपीलें मंजूर की जाती हैं । सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा हो जाता है ।

39. विलग होने से पूर्व, हम न्याय-मित्र सुश्री सोनिया माथुर और पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ताओं और उनके सहायकों द्वारा की गई मूल्यवान सहायता को अभिलिखित करते हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

[2022] 4 उम. नि. प. 307

भूरी बाई

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 1972]

11 नवंबर, 2022

न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया

दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 439(2) – जमानत के रद्दकरण के बारे में उच्च न्यायालय की शक्ति – अपीलार्थी को सेशन न्यायालय द्वारा पहले ही प्रदान की गई जमानत को उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्त के जमानत आवेदन पर विचार करते हुए स्वप्रेरणा से रद्द किया जाना – संधार्यता – न्यायालय द्वारा जमानत को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए और जमानत प्रदान करने से पूर्व अभियुक्त की ओर से की गई मात्र अनुभूत अनुशासनहीनता के आधार पर रद्दकरण का आदेश नहीं किया जाना चाहिए तथा जब तक किसी अकस्मात् घटना पर आधारित प्रबल मामला सिद्ध न किया जाए, जमानत प्रदान करने वाले आदेश में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और जहां अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन न हो कि अभियुक्त द्वारा स्वतंत्रता का दुरूपयोग किया गया है या उस पर अधिरोपित शर्तों का किसी रीति में अतिक्रमण किया गया है, वहां जमानत प्रदान करने वाले आदेश को अपास्त करना उचित नहीं कहा जा सकता ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304ख, 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अधीन अपराधों के लिए 2020 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 96 से उद्भूत मामले में अभियुक्तों में से एक अभियुक्त है । यह अभियोग लगाए गए थे कि मृतका को, जिसका विवाह अपीलार्थी के पुत्र के साथ हुआ था, के साथ विवाह के पश्चात्

दहेज की मांग के लिए शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही थी और अंततोगत्वा वह तारीख 11 सितंबर, 2020 को अप्रायिक परिस्थितियों में फांसी लगाकर मर गई और मृतका के हस्तलेख में एक आत्महत्या टिप्पण वर्तमान अपीलार्थी-सास सहित अपने पति और ससुराल वालों को आलिप्त करते हुए पाया गया था । गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने के लिए अपीलार्थी के निवेदन को सेशन न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया था । तथापि, उसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने मृतका की जेठानी को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान की और फिर विचारण न्यायालय ने मृतका के जेठ को भी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान की । अंततोगत्वा, अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । उस समय तक अपीलार्थी गिरफ्तार नहीं की गई थी और आरोप पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि वह फरार है । इस मामले के संबंध में, अपीलार्थी के पति को भी गिरफ्तार किया गया था और उसे नियमित जमानत प्रदान की गई थी । तथापि, अपीलार्थी ने बाद में अभ्यर्पण किया और एक अनुपूरक आरोप पत्र फाइल किया गया । उसके पश्चात्, अपीलार्थी की ओर से दिए गए नियमित जमानत के आवेदन पर प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा आवश्यक रूप से दो सह-अभियुक्तों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने और अन्य सह-अभियुक्त-अपीलार्थी के पति को नियमित जमानत प्रदान करने से संबंधित तथ्यों के प्रतिनिर्देश करते हुए विचार किया गया और इसे मंजूर किया गया । अपीलार्थी सहित सह-अभियुक्तों को जमानत मंजूर करने का ऐसा अभिलेख होने पर अपीलार्थी के पुत्र (मृतका के पति) ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए द्वितीय आवेदन प्रस्तुत किया । उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर विचार किया गया और अभियोगों की प्रकृति के प्रतिनिर्देश करते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (मृतका के पति) के पुत्र के जमानत के आवेदन को नामंजूर कर दिया किंतु साथ ही साथ वर्तमान अपीलार्थी को यह सूचना जारी करते हुए कि कारण बताया जाए कि क्यों न तारीख 5 अगस्त, 2021 के जमानत आदेश को वापस ले लिया जाए, एक पृथक् मामला रजिस्ट्रीकृत किए जाने का आदेश दिया और अंततोगत्वा अपीलार्थी की जमानत को यह उल्लेख करते हुए रद्द कर दिया कि अपीलार्थी को मृतका की मृत्यु के लगभग दस माह पश्चात्

और सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल करने के सात माह पश्चात् गिरफ्तार किया गया था और वास्तव में उसने अपने पति को जमानत मिलने के पश्चात् ही अभ्यर्पण किया था । अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले की असाधारण परिस्थितियों में, विशिष्ट रूप से इस तथ्य के कारण कि मृतका एक अप्राप्तव्य बालक को छोड़ गई थी और अपीलार्थी के सिवाय बालक की देखरेख करने के लिए परिवार में कोई उपलब्ध नहीं था, यह कहना समान रूप से कठिन है कि अपीलार्थी फरार रही थी या भगौड़ा हो गई थी और वह साशय विधि की प्रक्रिया से भाग रही थी । सुसंगत समय पर कोविड-19 महामारी द्वारा दी गई चुनौती भी एक कारक हो जाता है जिसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी एक 55 वर्ष की आयु की महिला है, विशिष्ट रूप से जब नियमित जमानत प्रदान करने के प्रश्न की परीक्षा की जाए, तो इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती । विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा तारीख 5 अगस्त, 2021 को पारित किया गया आदेश यद्यपि सभी परिवेशी कारकों पर सुस्पष्ट नहीं था किंतु वास्तव में इन तथ्यों को ध्यान में रखा गया था कि दो सह-अभियुक्तों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान कर दी गई थी जबकि अन्य सह-अभियुक्त, अपीलार्थी के पति को नियमित जमानत प्रदान की गई थी । इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि विचारण न्यायालय का यह समाधान हो गया था कि अपीलार्थी पर विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें लगाते हुए वह जमानत की रियायत की हकदार है, तो इस प्रकार पारित किए गए आदेश में न तो कोई मूलभूत गलती थी और न ही ऐसा कोई अन्य तात्विक कारक था जिसके लिए अपीलार्थी को प्रदान की गई जमानत को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए था । इस न्यायालय के मत में, यदि उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जमानत प्रदान करते हुए पारित किए गए आदेश में कोई विशेष अधिकार था, विशिष्ट रूप से जब अपीलार्थी की लंबे समय से अनुपस्थित रहने की बात का उल्लेख नहीं किया गया था,

तो उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि प्रयुक्त की जा रही शक्ति नियमित अपील या पुनरीक्षण की नहीं थी अपितु यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन जमानत के रद्दकरण के संबंध में थी । यह अति सामान्य बात है कि प्रसामान्यत:, पहले ही प्रदान की गई जमानत को रद्द करने के लिए अत्यंत अकाट्य और जबरदस्त परिस्थितियां या आधार होना चाहिए । सामान्यत:, जब तक किसी अकस्मात् घटना के आधार पर प्रबल मामला होना सिद्ध नहीं किया जाता है, जमानत प्रदान करने के आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं था कि अपीलार्थी ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या उस पर अधिरोपित शर्तों का किसी रूप में अतिक्रमण किया था । हम यह मत व्यक्त करने के लिए प्रेरित हैं कि जमानत रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कतापूर्वक करना चाहिए और ऐसे रद्दकरण का आदेश मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि जमानत मंजूर करने से पूर्व अभियुक्त द्वारा कोई अनुभूत अनुशासनहीनता की गई थी । दूसरे शब्दों में, जमानत रद्द करने की शक्ति का अवलंब इस प्रकार नहीं लिया जा सकता मानो ये अभियुक्त के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां हों और वास्तव में ऐसे मामले में जहां जमानत पहले ही प्रदान की जा चुकी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन इसे समाप्त करना केवल ऐसे मामलों में अनुज्ञात किया गया है जहां अभियुक्त की स्वतंत्रता से दांडिक मामले के उचित विचारण की अपेक्षाएं प्रभावहीन हो रही हों । प्रस्तुत प्रकृति के मामले में, हमारे मत में इस मुद्दे को इतना बढ़ाना केवल इस एक कारण से आवश्यक नहीं था कि विचारण न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने वाले अपने आदेश में किसी विशिष्ट बात का उल्लेख नहीं किया था । संपूर्ण परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी को प्रदान की गई जमानत को अपास्त करते हुए आक्षेपित आदेश का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20 और 21)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 1972.

2021 के एमसीआरसी सं. 46653 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,

ग्वालियर द्वारा तारीख 10 फरवरी, 2022 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री शिशिर कुमार सक्सेना और प्रवीण स्वरूप

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री यशराज सिंह बुंदेला, राजेश के. सिंह, गोपाल झा और उमेश कुमार यादव

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी ने दिया ।

न्या. महेश्वरी – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील 2021 के उस वैवाहिक दांडिक मामला सं. 46653 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर न्यायपीठ द्वारा तारीख 10 फरवरी, 2022 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जो उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के वैवाहिक दांडिक मामला सं. 41406 में तारीख 7 सितंबर, 2021 को पारित अपने आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439(2) के अधीन स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

3. उच्च न्यायालय आक्षेपित आदेश द्वारा 2021 के जमानत आवेदन सं. 357 में प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा तारीख 5 अगस्त, 2021 के आदेश में प्रदान की गई जामनत को रद्द करने के लिए अग्रसर हुआ था ।

4. संक्षेप में, मामले की पृष्ठभूमि के सुसंगत पहलू निम्नलिखित हैं :–

> अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भारतीय दंड संहिता') की धारा 34 के साथ पठित धारा 304ख, 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अधीन अपराधों के लिए 2020 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 96 से उद्भूत मामले में अभियुक्तों में से एक अभियुक्त है । यह अभियोग लगाए गए थे कि मृतका को, जिसका विवाह अपीलार्थी के पुत्र के साथ हुआ था,

के साथ विवाह के पश्चात् दहेज की मांग के लिए शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही थी और अंततोगत्वा वह तारीख 11 सितंबर, 2020 को अप्रायिक परिस्थितियों में फांसी लगाकर मर गई और मृतका के हस्तलेख में एक आत्महत्या टिप्पण वर्तमान अपीलार्थी-सास सहित अपने पति और ससुराल वालों को आलिप्त करते हुए पाया गया था ।

5. गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने के लिए अपीलार्थी के निवेदन को सेशन न्यायालय द्वारा तारीख 18 अक्तूबर, 2020 को नामंजूर कर दिया गया था । तथापि, उसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने मृतका की जेठानी को तारीख 2 नवंबर, 2020 को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान की और फिर विचारण न्यायालय ने तारीख 18 नवंबर, 2020 को मृतका के जेठ को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान की । यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी की ओर से गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की ईप्सा करने के लिए पुन: दो बार प्रयत्न किया गया था किंतु उस संबंध में दिए गए आवेदनों, एमसीआरसी 48592/2020 और एमसीआरसी सं. 7199/2021, को वापस लेने के कारण क्रमश: तारीख 11 दिसंबर, 2020 और 16 फरवरी, 2021 को खारिज कर दिया गया था । अंततोगत्वा, तारीख 13 दिसंबर, 2020 को आरोप पत्र फाइल किया गया था । उस समय तक अपीलार्थी गिरफ्तार नहीं की गई थी और आरोप पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि वह फरार है ।

6. इस मामले के संबंध में, अपीलार्थी के पति को भी गिरफ्तार किया गया था जिसे तारीख 23 नवंबर, 2020 को नियमित जमानत प्रदान की गई थी । तथापि, अपीलार्थी ने केवल 16 जुलाई, 2021 को अभ्यर्पण किया था और तारीख 2 अगस्त, 2021 को एक अनुपूरक आरोप पत्र भी फाइल किया गया था ।

7. उसके पश्चात्, अपीलार्थी की ओर से दिए गए नियमित जमानत के आवेदन (संख्या 357/2021) पर प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा आवश्यक रूप से दो सह-अभियुक्तों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने और अन्य सह-अभियुक्त-अपीलार्थी के पति को नियमित जमानत प्रदान करने से संबंधित तथ्यों के प्रति निर्देश करते हुए

विचार किया गया था और इसे तारीख 5 अगस्त, 2021 को मंजूर किया गया था ।

8. अपीलार्थी सहित सह-अभियुक्तों को जमानत मंजूर करने का ऐसा अभिलेख होने पर अपीलार्थी के पुत्र (मृतका के पति) ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए एक द्वितीय आवेदन (एमसीआरसी सं. 41406/2021) प्रस्तुत किया । उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर तारीख 7 सितंबर, 2021 को विचार किया गया और उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई एक दलील यह थी कि उक्त अभियुक्त के पूर्ववर्ती जमानत आवेदन को इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि उसकी माता (वर्तमान अपीलार्थी) फरार है । उक्त अपीलार्थी की ओर से यह दलील देने की ईप्सा की गई थी कि उसकी माता ने तारीख 16 जुलाई, 2021 को अभ्यर्पण कर दिया था और तारीख 5 अगस्त, 2021 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा जमानत प्रदान की गई थी ।

9. उच्च न्यायालय ने तारीख 5 अगस्त, 2021 के उक्त आदेश की परीक्षा की और इसके प्रति नाराजगी जाहिर की और इसका कारण यह था कि विचारण न्यायालय ने इस सुसंगत तथ्य पर विचार नहीं किया था कि वर्तमान अपीलार्थी फरार थी और उसे केवल तारीख 16 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था । यद्यपि, अभियोगों की प्रकृति के प्रति निर्देश करते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (मृतका के पति) के पुत्र के जमानत के अभिवाक् को नामंजूर कर दिया किंतु साथ ही साथ वर्तमान अपीलार्थी को यह सूचना जारी करते हुए कि कारण बताया जाए कि क्यों न तारीख 5 अगस्त, 2021 के जमानत आदेश को वापस ले लिया जाए, एक पृथक् मामला रजिस्ट्रीकृत किए जाने का आदेश दिया । इसलिए उक्त स्वप्रेरणा मामला सं. 46653/2021 रजिस्ट्रीकृत किया गया और अंततः तारीख 10 फरवरी, 2022 के आक्षेपित निर्णय द्वारा विनिश्चित किया गया ।

10. उच्च न्यायालय ने तारीख 10 फरवरी, 2022 के आक्षेपित आदेश में इन अभिकथनों और इस तथ्य का उल्लेख किया कि अपीलार्थी को केवल 16 जुलाई, 2021 को अर्थात् मृतका की मृत्यु के लगभग दस माह पश्चात् और सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल करने के

सात माह पश्चात् गिरफ्तार किया गया था और वास्तव में उसने अपने पति को जमानत मिलने के पश्चात् ही अभ्यर्पण किया था । अपीलार्थी की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई थी कि परिवार के सभी सदस्य या तो भाग गए थे या जेल में थे और मृतका के अप्राप्तव्य बालक की देखरेख अपीलार्थी को करनी थी और इसलिए उसने उसके पति को छोड़े जाने के पश्चात् ही अभ्यर्पण किया था और तब वह उसे बालक को सौंप सकी थी । उच्च न्यायालय इस दलील से प्रभावित नहीं हुआ और इसका कारण यह था कि सेशन न्यायालय के समक्ष फाइल जमानत के लिए आवेदन में ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था ।

11. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि सूचना की तामीली को सुनिश्चित करने के लिए उसके निदेशों का पर्याप्त रूप से अनुपालन नहीं किया गया था और फिर अपेक्षित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया था और इसलिए पुलिस महा निदेशक से अपना शपथपत्र प्रस्तुत करके स्पष्टीकरण फाइल करने की अपेक्षा की गई थी । उच्च न्यायालय ने पुलिस महा निदेशक द्वारा मामले में उठाए गए कदमों और प्रशासनिक पक्ष की ओर से किए जा रहे अन्य सुधारात्मक उपायों के संबंध में फाइल किए गए शपथपत्र की सभी अंतर्वस्तुओं को उद्धृत किया ।

12. उच्च न्यायालय ने विद्वान् महाधिवक्ता द्वारा विभाग में इस विषय में सुधारात्मक उपाय करने के लिए दिए गए आश्वासन का उल्लेख करने के पश्चात् प्रस्तुत मामले के तथ्यों का उल्लेख किया और जमानत प्रदान करने के लिए शक्ति का प्रयोग करने हेतु मानदंडों के संबंध में मनोज कुमार खोखर **बनाम** राजस्थान राज्य (2022 की दांडिक अपील सं. 36) को निर्दिष्ट किया । उक्त विनिश्चय से कुछ पैराओं को उद्धृत करने के पश्चात् उच्च न्यायालय ने अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपीलार्थी को प्रदान की गई जमानत पर न्यायिक अनुमोदन की मुहर नहीं लगाई जा सकती । इस प्रकार, उच्च न्यायालय तारीख 5 अगस्त, 2021 के आदेश को अपास्त करने के लिए अग्रसर हुआ और तद्द्वारा

अपीलार्थी को प्रदान की गई जमानत को रद्द कर दिया ।

13. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को दी गई चुनौती में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने मामले में एक अति कठोर दृष्टिकोण तो अपनाया किंतु इस बात पर विचार नहीं किया कि अपीलार्थी के फरार होने या विधि की प्रक्रिया से भागने का कोई प्रश्न नहीं था जिसे इन तथ्यों से देखा जा सकता है कि उसकी ओर से गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की ईप्सा करते हुए एक के पश्चात् दूसरा आवेदन फाइल किया गया था । यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी उन बाध्यकारी परिस्थितियों में पहले अभ्यर्पण नहीं कर सकती थी जब परिवार के अन्य सदस्य या तो अभिरक्षा में थे या भाग गए थे तथा केवल अपीलार्थी ही मृतका द्वारा छोड़कर गए अप्राप्तव्य बालक की देखरेख करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति थी और इसके साथ-साथ कोविड-19 महामारी द्वारा पैदा की गई विपत्ति भी थी । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रस्तुत परिस्थितियों में अपीलार्थी ने उसके पति को जमानत मिलने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया था और परिवार की व्यथित दशा में उसके द्वारा पहले अभ्यर्पण करने में लोप को फरार होने के कृत्य के रूप में नहीं समझा जा सकता था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि मामले की परिस्थितियों में, यहां तक कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराधों से संबंधित अभिकथन भी अकाट्य सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं और किसी भी स्थिति में जब विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को 55 वर्ष की आयु की वृद्ध महिला होने के कारण जमानत प्रदान कर दी थी और जब मृतका के पति को छोड़कर अन्य अभियुक्तों को भी ऐसी रियायत प्रदान कर दी गई थी, तो पहले ही प्रदान की गई जमानत को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था ।

14. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इन दलीलों का सम्यक् रूप से विरोध किया और दलील दी कि सेशन न्यायालय ने अपीलार्थी को जमानत मंजूर करके न्यायोचित नहीं किया था और प्रस्तुत परिस्थितियों में जब अपीलार्थी का तारीख 13 दिसंबर, 2020 को पहला आरोप पत्र फाइल किए जाने तक भी अता-पता नहीं था

तब उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को पूरी तरह से अन्यायोचित नहीं कहा जा सकता जिससे कि इसमें, विशिष्ट रूप से अभियोगों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो । यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अभिलेख पर की सामग्री पर विचार किए बिना एक यांत्रिक रीति में जमानत प्रदान की थी और इसलिए उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश का अननुमोदन करके न्यायोचित किया था ।

15. हमने परस्पर-विरोधी दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है और लागू होने वाली विधि के प्रति निर्देश करके अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री की परीक्षा की है ।

16. इस मामले में, जहां अपीलार्थी की पुत्रवधु की आत्महत्या करने से मृत्यु हो गई थी और अभिलेख पर की सामग्री के प्रति निर्देश से भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख सहित गंभीर अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया था, वहां तारीख 16 जुलाई, 2021 (अभ्यर्पण/गिरफ्तारी की तारीख) तक विधि की सभी प्रक्रियाओं में अपीलार्थी की अनउपलब्धता की सराहना नहीं की जा सकती । तथापि, मामले की असाधारण परिस्थितियों में, विशिष्ट रूप से इस तथ्य के कारण कि मृतका एक अप्राप्तव्य बालक को छोड़ गई थी और अपीलार्थी के सिवाय बालक की देखरेख करने के लिए परिवार में कोई उपलब्ध नहीं था, यह कहना समान रूप से कठिन है कि अपीलार्थी फरार रही थी या भगौड़ा हो गई थी और वह साशय विधि की प्रक्रिया से भाग रही थी । सुसंगत समय पर कोविड-19 महामारी द्वारा दी गई चुनौती भी एक कारक हो जाता है जिसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी एक 55 वर्ष की आयु की महिला है, विशिष्ट रूप से जब नियमित जमानत प्रदान करने के प्रश्न की परीक्षा की जाए, तो इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती ।

17. विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा तारीख 5 अगस्त, 2021 को पारित किया गया आदेश यद्यपि सभी परिवेशी कारकों पर सुस्पष्ट नहीं था किंतु वास्तव में इन तथ्यों को

ध्यान में रखा गया था कि दो सह-अभियुक्तों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान कर दी गई थी जबकि अन्य सह-अभियुक्त, अपीलार्थी के पति को नियमित जमानत प्रदान की गई थी । इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि विचारण न्यायालय का यह समाधान हो गया था कि अपीलार्थी पर विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें लगाते हुए वह जमानत की रियायत की हकदार है, तो इस प्रकार पारित किए गए आदेश में न तो कोई मूलभूत गलती थी और न ही ऐसा कोई अन्य तात्विक कारक था जिसके लिए अपीलार्थी को प्रदान की गई जमानत को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए था ।

18. हमारे मत में, यदि उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जमानत प्रदान करते हुए पारित किए गए आदेश में कोई विशेष अधिकार था, विशिष्ट रूप से जब अपीलार्थी की लंबे समय से अनुपस्थित रहने की बात का उल्लेख नहीं किया गया था, तो उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि प्रयुक्त की जा रही शक्ति नियमित अपील या पुनरीक्षण की नहीं थी अपितु यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन जमानत के रद्दकरण के संबंध में थी ।

19. यह अति सामान्य बात है कि प्रसामान्यत:, पहले ही प्रदान की गई जमानत को रद्द करने के लिए अत्यंत अकाट्य और जबरदस्त परिस्थितियां या आधार होना चाहिए । सामान्यत:, जब तक किसी अकस्मात् घटना के आधार पर प्रबल मामला होना सिद्ध नहीं किया जाता है, जमानत प्रदान करने के आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।

20. अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं था कि अपीलार्थी ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या उस पर अधिरोपित शर्तों का किसी रूप में अतिक्रमण किया था । हम यह मत व्यक्त करने के लिए प्रेरित हैं कि जमानत रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कतापूर्वक करना चाहिए और ऐसे रद्दकरण का आदेश मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि जमानत मंजूर करने से पूर्व अभियुक्त द्वारा कोई अनुभूत अनुशासनहीनता की गई थी । दूसरे शब्दों में,

जमानत रद्द करने की शक्ति का अवलंब इस प्रकार नहीं लिया जा सकता मानो ये अभियुक्त के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां हों और वास्तव में ऐसे मामले में जहां जमानत पहले ही प्रदान की जा चुकी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन इसे समाप्त करना केवल ऐसे मामलों में अनुज्ञात किया गया है जहां अभियुक्त की स्वतंत्रता से दांडिक मामले के उचित विचारण की अपेक्षाएं प्रभावहीन हो रही हों । प्रस्तुत प्रकृति के मामले में, हमारे मत में इस मुद्दे को इतना बढ़ाना केवल इस एक कारण से आवश्यक नहीं था कि विचारण न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने वाले अपने आदेश में किसी विशिष्ट बात का उल्लेख नहीं किया था ।

21. संपूर्ण परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी को प्रदान की गई जमानत को अपास्त करते हुए आक्षेपित आदेश का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं ।

22. तद्नुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अपील सफल होती है और मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10 फरवरी, 2022 को पारित किए गए आदेश को अपास्त किया जाता है और प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा तारीख 5 अगस्त, 2021 को पारित किए गए आदेश को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

23. यह कहना होगा कि इस आदेश का विचारण न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर विचार करने से कोई लेना-देना नहीं होगा ।

24. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

संसद् के अधिनियम

योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 37)

[18 दिसंबर, 2014]

वास्तुकला अध्ययनों में, जिनमें मानव उपनिवेशों की योजना भी है, शिक्षा और अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए येजना और वास्तुकला विद्यालयों को स्थापित करने और उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रति निर्देश है ।

2. कतिपय विद्यालयों की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषणा – अनुसूची में वर्णित विद्यालयों के उद्देश्य इस प्रकार के हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं, अतः यह घोषित किया जाता है कि ऐसा प्रत्येक विद्यालय राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

3. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "बोर्ड" से, किसी विद्यालय के संबंध में, उसका शासक

बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "तत्समान विद्यालय" से, अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित किसी विद्यालय के संबंध में, अनुसूची के स्तंभ (5) में उक्त विद्यालय के सामने यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय अभिप्रेत है ;

(घ) "परिषद्" से धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "निदेशक" से किसी विद्यालय के संबंध में, उसका निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) "विद्यमान विद्यालय" से अनुसूची के स्तंभ (3) के अधीन वर्णित विद्यालय अभिप्रेत है ;

(छ) "सदस्य" से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ज) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तदनुसार उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित अर्थ लगाया जाएगा ;

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ञ) "कुल सचिव" से, किसी विद्यालय के संबंध में, उसका कुल-सचिव अभिप्रेत है ;

(ट) "अनुसूची" से इस अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ठ) "विद्यालय" से अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय और इस अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसे अन्य विद्यालय अभिप्रेत हैं ;

(ड) "सिनेट" से, किसी विद्यालय के संबंध में, उसकी सिनेट अभिप्रेत है ;

(ढ) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या संबंधित राज्य सरकारों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित सोसाइटियों में से कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(ण) "परिनियम" और "अध्यादेश" से, किसी विद्यालय के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उस विद्यालय के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 2

विद्यालय

4. विद्यालयों की स्थापना और निगमन – इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विद्यालय निगमित निकाय होंगे, जिनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन करने, उसे धारण करने तथा उसका व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वे अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित अपने-अपने नामों से वाद लाएंगे या उन पर वाद लाया जाएगा ।

5. विद्यालय के उद्देश्य – प्रत्येक विद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :–

(i) योजना और वास्तुकला विद्यालय की स्थापना और विकास का समर्थन करना ;

(ii) वास्तुकला, योजना और सहबद्ध क्षेत्रों में सार्वभौमिक नेतृत्व प्रदान करना ।

6. विद्यालयों के निगमन का प्रभाव – इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,–

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी विद्यमान विद्यालय के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्समान विद्यालय के प्रति निर्देश है ;

(ख) प्रत्येक विद्यमान विद्यालय की या उससे संबद्ध सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां अनुसूची के स्तंभ (5) के अधीन वर्णित तत्समान विद्यालय में निहित हो जाएंगी ;

(ग) प्रत्येक विद्यमान विद्यालय के सभी अधिकार, ऋण तथा अन्य दायित्व तत्समान विद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व हो जाएंगे ;

(घ) प्रत्येक विद्यमान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा तत्समय विद्यालय में उसी सेवाधृति सहित, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसे कि वह उस दशा में धारण करता यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और तब तक ऐसा पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसी सेवाधृति, पारिश्रमिक तथा निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसके नियोजन को विद्यालय द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया हो तो विद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर उसे प्रतिकर देकर समाप्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में किसी विद्यमान विद्यालय के निदेशक, कुल-सचिव और अन्य अधिकारियों के प्रति, किन्हीं भी शब्द रूपों द्वारा, किए गए किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह तत्समान विद्यालय के निदेशक, कुल-सचिव और अन्य अधिकारियों के प्रति निर्देश है ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक विद्यमान

विद्यालय में कोई शिक्षण या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रारंभ पर तत्समान विद्यालय में, उस विद्यालय से, जिससे ऐसा व्यक्ति स्थानांतरित हुआ है, अध्ययन के उसी स्तर पर स्थानांतरित और रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा ;

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी विद्यमान विद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां तत्समान विद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहेंगी या संस्थित की जाएंगी ।

7. विद्यालय की शक्तियां और कृत्य – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विद्यालय उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा, जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं, अर्थात् :–

(क) वास्तुकला, योजना, डिजाइन और संबद्ध क्रियाकलापों में ऐसी रीति में, जो विद्यालय उचित समझे, जिसमें किसी अन्य विद्यालय, शिक्षा संस्था, अनुसंधान संगठन या निगमित निकाय के साथ सहयोग या सहयोजन भी है, अनुसंधान और नए खोज कार्यों का आयोजन और जिम्मा लेना ;

(ख) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य डिग्रियां प्रदान करना ;

(ग) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां स्थापित करना और पुरस्कार, मानद डिग्रियां या अन्य शैक्षणिक उपाधियां या अभिधान प्रदान करना ;

(घ) फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(ङ) छात्रों के निवास के लिए हालों और छात्रावासों की स्थापना करना, उनका अनुरक्षण और प्रबंध करना ;

(च) विद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके

स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्था करना ;

(छ) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षणिक और अन्य पदों को अधिसूचित करना और उन पदों पर, निदेशक के पद को छोड़कर, नियुक्ति करना ;

(ज) किसी अन्य विद्यालय या शिक्षा संस्था में कार्यरत या विद्यालय के अनुबद्ध, अतिथि या अभ्यागत शिक्षकों के रूप में किसी उद्योग में महत्वपूर्ण अनुसंधान में लगे व्यक्तियों की ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए, जो विद्यालय द्वारा विनिश्चित की जाए, नियुक्ति करना ;

(झ) परिनियम और अध्यादेश बनाना तथा उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करना ;

(ञ) ऐसी अवसंरचना की स्थापना और अनुरक्षण करना जो आवश्यक हो ;

(ट) विद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में विद्यालय से संबद्ध या उसमें निहित किसी संपत्ति के विषय में, ऐसी रीति में, जो विद्यालय उचित समझे, संव्यवहार करना ;

(ठ) विद्यालय की निधि का प्रबंध करना तथा सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त करना तथा, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दाताओं या अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयतें, संदान और अंतरण प्राप्त करना ;

(ड) विश्व के किसी भाग में की ऐसी शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनके पूर्णतः या भागतः वही उद्देश्य हैं जो उस विद्यालय के हैं, शिक्षकों, छात्रों और विद्वानों की अदला-बदली करके और साधारणतया ऐसी रीति में, जो उनके समान उद्देश्यों में सहायक हो, ऐसे निबंधनों पर, जो सिनेट द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, सहयोग करना ;

(ढ) विद्यालय के समान उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए उससे संबंधित क्षेत्रों या शाखाओं से परामर्श लेना ; और

(ण) ऐसी सभी बातें करना जो विद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, विद्यालय केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी स्थावर संपत्ति का किसी भी रीति में व्ययन नहीं करेगा ।

8. विद्यालय का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना – (1) प्रत्येक विद्यालय स्त्री या पुरुष सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग, धर्म, निर्योग्यता, अधिवास, नस्ल, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, खुला रहेगा ।

(2) किसी भी विद्यालय द्वारा किसी संपत्ति की ऐसी कोई वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें परिषद् की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्य के विपरीत शर्तें या बाध्यताएं अन्तर्वलित हैं ।

9. विद्यालय में अध्यापन – प्रत्येक विद्यालय में सभी अध्यापन कार्य इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विद्यालय द्वारा या उसके नाम से किए जाएंगे ।

10. विद्यालय का एक अलाभार्थ सुभिन्न विधिक इकाई होना – प्रत्येक विद्यालय एक अलाभार्थ विधिक इकाई होगा और ऐसे विद्यालय के राजस्व के किसी भी अधिशेष भाग का, यदि कोई हो, अधिनियम के अधीन उसकी संक्रियाओं के संबंध में सभी व्ययों को चुकाने के पश्चात् उस विद्यालय की अभिवृद्धि और विकास या उनमें अनुसंधान करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए विनिधान नहीं किया जाएगा ।

11. कुलाध्यक्ष – (1) भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक विद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष किसी विद्यालय के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसके कार्यकलापों की जांच करने के लिए और उन पर रिपोर्ट देने के लिए, एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसी रीति से नियुक्त कर सकेगा, जैसे कुलाध्यक्ष निदेश दे ।

(3) ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्रवाई और

ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह रिपोर्ट में वर्णित किन्हीं विषयों की बाबत आवश्यक समझे और विद्यालय ऐसे निदेशों का युक्तियुक्त समय के भीतर पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

अध्याय 3

विद्यालय के प्राधिकारी

12. विद्यालय के प्राधिकारी – किसी विद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) शासक बोर्ड ;

(ख) सिनेट ; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए ।

13. शासक बोर्ड – (1) प्रत्येक विद्यालय का शासक बोर्ड उस विद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) प्रत्येक विद्यालय का शासक बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के एक पैनल में से की जाएगी, जो कि एक विख्यात वास्तुविद् या योजनाकार होगा ;

(ख) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का, जिसमें विद्यालय स्थित है, तकनीकी शिक्षा या उच्चतर शिक्षा का प्रधान सचिव या सचिव ;

(ग) नगर योजनाकार संस्थान, भारत से एक प्रतिनिधि, जिसे नगर योजनाकार संस्थान, भारत के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) वास्तुकला परिषद् से एक प्रतिनिधि, जिसे वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से एक प्रतिनिधि,

जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि ;

(छ) वास्तुकला या भू-दृश्य वास्तुकला या नगरीय डिजाइन के व्यवसायों से एक विशेषज्ञ तथा नगरीय और प्रादेशिक योजना से एक विशेषज्ञ, जिसे योजना और वास्तुकला विद्यालय परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ज) सिनेट से दो प्रतिनिधि, योजना विभाग और वास्तुकला विभाग, दोनों से चक्रानुक्रम द्वारा, ज्येष्ठता क्रम में, दो वर्ष की अवधि के लिए एक-एक प्रतिनधि ;

(झ) दो व्यक्ति, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा और वित्त से संबद्ध व्यक्तियों या उनके नामनिर्देशितियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन ;

(ञ) एक व्यक्ति, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ट) विद्यालय का निदेशक, सदस्य, पदेन ;

(ठ) विद्यालय का कुल-सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

14. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनके बीच रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते – इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, –

(क) बोर्ड के अध्यक्ष या किन्हीं अन्य सदस्यों की पदावधि, उसके नामनिर्देशन की तारीख से, पांच वर्ष की होगी ;

(ख) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किए रहता है ;

(ग) धारा 13 के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी

सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष या उसके पद धारण करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की होगी ;

(घ) किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति धारा 13 के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी ;

(ङ) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उस सदस्य के, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, शेष कार्यकाल तक के लिए बनी रहेगी ; और

(च) बोर्ड के सदस्य बोर्ड की या विद्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेने के लिए विद्यालय से ऐसे भत्तों के, यदि कोई हों, हकदार होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, किन्तु धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य इस खंड के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

15. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विद्यालय का बोर्ड, विद्यालय के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और उसे विद्यालय की वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(2) प्रत्येक विद्यालय के बोर्ड को, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(क) विद्यालय के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों का विनिश्चय करना ;

(ख) विभागों, संकायों अथवा अध्ययन विद्यालयों की स्थापना करना तथा विद्यालय में अध्ययन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम आरंभ करना ;

(ग) ऐसे विद्यालय के प्रशासन, प्रबंधन और संक्रियाओं को

शासित करने संबंधी परिनियम बनाना ;

(घ) विद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक अनुभाग में व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(ङ) अध्यादेशों पर विचार करना और उन्हें उपांतरित या रद्द करना ;

(च) विद्यालय की वार्षिक, रिपोर्ट, संपरीक्षित लेखाओं और अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलनों पर विचार करना तथा ऐसे संकल्प पारित करना जो वह उचित समझे और उन्हें अपनी विकास योजनाओं के विवरण के साथ परिषद् को प्रस्तुत करना ;

(छ) ऐसे विद्यालय में अध्यापन और अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए, परिनियमों द्वारा, अर्हताओं, मापदंडों और प्रक्रियाओं का उपबंध करना ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(3) बोर्ड को उतनी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) बोर्ड, निदेशक के कार्यपालन का, विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में उसके नेतृत्व के प्रति विनिर्दिष्ट निर्देश करते हुए, वार्षिक पुनर्विलोकन कराएगा ।

(5) बोर्ड, शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में सिनेट और विद्यालय के, यथास्थिति, विभागों या संकायों को शैक्षणिक मामलों में स्वायतत्ता प्रदान करने का यथासंभव प्रयास करेगा ।

(6) जहां निदेशक या अध्यक्ष की राय में स्थिति इतनी आपातिक है कि विद्यालय के हित में तुरन्त विनिश्चय किए जाने की आवश्यकता है, वहां अध्यक्ष, निदेशक की सिफारिश पर, अपनी राय में उन आधारों को अभिलेखबद्ध करके, ऐसे आदेश जारी कर सकेगा जो आवश्यक हों :

परन्तु ऐसे आदेशों को बोर्ड की अगली बैठक में उसके अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

16. सिनेट – (1) प्रत्येक विद्यालय की सिनेट निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) विद्यालय का निदेशक, सिनेट का अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों या विख्यात वृत्तिकों में से पांच ऐसे व्यक्ति, जो विद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ग) नगर योजनाकार संस्थान, भारत का एक नामनिर्देशिती ;

(घ) वास्तुकला परिषद् का एक नामनिर्देशिती ;

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक नामनिर्देशिती ;

(च) शैक्षणिक अनुसंधान, छात्र क्रियाकलाप, संकाय कल्याण विद्यालय की योजना और विकास का भारसाधक संकायाध्यक्ष ;

(छ) सभी विभागाध्यक्ष ;

(ज) विभागाध्यक्षों से भिन्न सभी आचार्य ;

(झ) विद्यालय के सह-आचार्यों और सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यापन कर्मचारिवृन्द के, चक्रानुक्रम से, दो वर्ष की अवधि के लिए, चार सदस्य :

परन्तु विद्यालय का कोई कर्मचारी खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) सिनेट के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी ।

17. सिनेट के कृत्य – (1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यालय की सिनेट विद्यालय की प्रधान शिक्षण निकाय होगी और विद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और

उसे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सिनेट को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(क) विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए मानदंड और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना ;

(ख) बोर्ड को अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करने की सिफारिश करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियों का अवधारण करना और शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक पदों के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना ;

(ग) बोर्ड को नए अध्ययन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सिफारिश करना ;

(घ) अध्ययन कार्यक्रमों और पाठयक्रमों की शैक्षणिक अन्तर्वस्तु बोर्ड को विनिर्दिष्ट करना और उसमें उपांतरण करना ;

(ङ) शैक्षणिक कैलेंडर विनिर्दिष्ट करना और डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य शैक्षणिक उपाधियां या अभिधान दिए जाने का अनुमोदन करना ;

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों द्वारा या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

18. बोर्ड का अध्यक्ष – (1) अध्यक्ष साधारणतया, बोर्ड की बैठक की और विद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) अध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए ।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

19. निदेशक – (1) विद्यालय का निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर

नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं ।

(2) निदेशक, विद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और बोर्ड तथा सिनेट के विनिश्चयों के क्रियान्वयन तथा विद्यालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं अथवा बोर्ड या सिनेट अथवा अध्यादेशों द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(4) निदेशक बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगा ।

20. कुल-सचिव – (1) प्रत्येक विद्यालय का कुल-सचिव ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह विद्यालय के अभिलेखों, उसकी सामान्य मुद्रा, निधियों और विद्यालय की ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा, जो बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे ।

(2) कुल-सचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों के, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(3) कुल-सचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(4) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

21. अन्य प्राधिकारी और अधिकारी – ऊपर वर्णित प्राधिकारियों और अधिकारियों से भिन्न प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा ।

22. विद्यालय के कार्यपालन का पुनर्विलोकन – (1) प्रत्येक विद्यालय, इस अधिनियम के अधीन विद्यालय की स्थापना और उसके निगमन से सात वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उक्त अवधि में

विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में उसके कार्यपालन का मूल्यांकन और पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति का गठन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति में शैक्षणिक या उद्योग जगत के माने हुए ख्याति प्राप्त सदस्य होंगे जिन्हें ज्ञान के ऐसे क्षेत्रों से लिया जाएगा जिनकी उस विद्यालय में अध्यापन, विद्यार्जन और अनुसंधान से सुसंगति है ।

(3) समिति, विद्यालय के कार्यपालन का निर्धारण करेगी और बोर्ड को परिनियमों में अधिकथित उपबंधों के अनुसार सिफारिशें करेगी ।

23. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान – विद्यालयों को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का ऐसी रीति से, संदाय करेगी, जो वह उचित समझे ।

अध्याय 4

लेखा और संपरीक्षा

24. विद्यालय की निधि – (1) प्रत्येक विद्यालय एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी धन ;

(ख) विद्यालय द्वारा प्राप्त सभी फीसें तथा अन्य प्रभार ;

(ग) विद्यालय द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धन ;

(घ) विद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान से उद्भूत बौद्धिक संपदा के उपयोग से या उसके द्वारा सलाहकारी या परामर्शकारी सेवाओं का उपबंध करने से प्राप्त सभी धन ; और

(ङ) विद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन ।

(2) प्रत्येक विद्यालय की निधि में जमा किए गए सभी धन, ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे, जो विद्यालय वित्त समिति और शासी निकाय के अनुमोदन से विनिश्चित करे ।

(3) किसी विद्यालय की निधि का उपयोग विद्यालय के व्ययों को, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में और कृत्यों के निर्वहन में किए गए व्यय भी हैं, चुकाने के लिए किया जाएगा ।

25. लेखा और संपरीक्षा – (1) प्रत्येक विद्यालय उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप और लेखांकन मानक में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जहां विद्यालय के आय-व्यय का विवरण और तुलनपत्र लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं है, वहां विद्यालय अपने आय-व्यय के विवरण और तुलनपत्र में निम्नलिखित का प्रकटन करेगा, अर्थात् :–

(क) लेखांकन मानकों से विचलन ;

(ख) ऐसे विचलन के कारण ; और

(ग) ऐसे विचलन से उद्भूत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो ।

(3) प्रत्येक विद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षा दल द्वारा उपगत कोई व्यय विद्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और विद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और विद्यालय के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्येक विद्यालय के यथाप्रमाणित लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

26. पेंशन और भविष्य निधि – (1) प्रत्येक विद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि और पेंशन निधि स्थापित कर सकेगा या ऐसी बीमा स्कीम का उपबंध कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां कोई ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि इस प्रकार स्थापित की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो ।

27. नियुक्तियां – प्रत्येक विद्यालय के कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियां, निदेशक की नियुक्ति के सिवाय परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी,–

(क) बोर्ड द्वारा, यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के संबंध में सहायक आचार्य के पद पर की जाती है या यदि नियुक्ति गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के संबंध में ऐसे प्रत्येक काडर में की जाती है, जिसका अधिकतम वेतनमान समूह 'क' अधिकारियों के विद्यमान ग्रेड वेतनमान से अधिक है ;

(ख) किसी अन्य दशा में, निदेशक द्वारा ।

28. परिनियम – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) सम्मानिक डिग्रियां प्रदान किया जाना ;

(ख) शिक्षण विभागों और अनुसंधान केन्द्रों का बनाया जाना ;

(ग) विद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विद्यालय की डिग्री और डिप्लोमा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ङ) विद्यालय के अधिकारियों की पदावधि और नियुक्ति की पद्धति ;

(च) विद्यालय के शिक्षकों की अर्हताएं ;

(छ) विद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द का वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति और सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण ;

(ज) विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना ;

(झ) विद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ;

(ञ) हालों और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण ;

(ट) विद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें और हालों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ;

(ठ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ड) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ; और

(ढ) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में गणपूर्ति और उनके कार्य संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

29. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे – (1) प्रत्येक विद्यालय के प्रथम परिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से

विरचित किए जाएंगे और उनकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(2) बोर्ड, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस धारा में उपबंधित रीति में परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसके लिए अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे बोर्ड को विचारार्थ भेज सकेगा ।

(4) नए परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसे अनुमति नहीं दे दी जाती है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से विद्यालय के लिए परिनियम बना सकेगी या उनमें संशोधन कर सकेगी, यदि ऐसा किया जाना एकरूपता के लिए अपेक्षित हो और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

30. अध्यादेश – इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विद्यालय के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) विद्यालय में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) विद्यालय की सभी डिग्रियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में और विद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति

की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य ;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) विद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ; और

(ज) कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों में उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

31. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे – (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, यथाशीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा उस पर उसकी आगामी बैठक में विचार किया जाएगा ।

(3) बोर्ड को ऐसे किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसे संकल्प की तारीख से ऐसा अध्यादेश, यथास्थिति, तद्नुसार उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

32. माध्यस्थम् अधिकरण – (1) विद्यालय और उसके किन्हीं कर्मचारियों के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद संबद्ध कर्मचारी के अनुरोध पर या विद्यालय की प्रेरणा पर ऐसे किसी माध्यस्थम् अधिकरण को, जिसमें विद्यालय द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक हो, निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसे किसी मामले की बाबत, जिसे उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी ।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी :

परंतु अधिकरण ऐसी प्रक्रिया बनाते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा ।

(5) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 5

परिषद्

33. विद्यालयों के लिए परिषद् की स्थापना – (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सभी विद्यालयों के लिए परिषद् नामक एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी ।

(2) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) तकनीकी शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री, पदेन, अध्यक्ष ;

(ख) भारत की संसद् के दो सदस्य (लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य), पदेन ;

(ग) तकनीकी शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव, भारत सरकार, पदेन, उपाध्यक्ष ;

(घ) प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन ;

(ङ) प्रत्येक विद्यालय का निदेशक, पदेन ;

(च) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पदेन ;

(छ) प्रधान, वास्तुकला परिषद्, नई दिल्ली, पदेन ;

(ज) प्रधान, नगर योजनाकार संस्थान, भारत, पदेन ;

(झ) अध्यक्ष, भारतीय वास्तुविद् संस्थान, पदेन ;

(ञ) प्रधान, भारतीय सर्वेक्षक संस्था, पदेन ;

(ट) शहरी विकास और रक्षा से संबद्ध केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के दो सचिव, पदेन ;

(ठ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, पदेन ;

(ड) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी और एक नगरीय और प्रादेशिक योजना से होगा जिनके पास वास्तुकला या भू-दृश्य वास्तुकला या नगरीय डिजाइन की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, पदेन ;

(ढ) राज्य सरकार के, जहां विद्यालय अवस्थित हैं, तकनीकी शिक्षा से संबद्ध उस सरकार के मंत्रालयों या विभागों में से दो सचिव, पदेन ;

(ण) केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबद्ध विभाग का वित्तीय सलाहकार, पदेन ; और

(त) तकनीकी शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में का एक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन, सदस्य-सचिव ।

(3) परिषद् का एक सचिवालय होगा, जिसमें परिनियमों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदधारी होंगे ।

(4) परिषद्, अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में परिषद् की सहायता करने के लिए योजना और वास्तुकला विद्यालय परिषद् की एक स्थायी समिति का गठन कर सकेगी ।

34. परिषद् के सदस्यों की पदावधि, उनके बीच रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते – (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, परिषद् के किसी पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य की पदावधि, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक

वह उस पद को, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किए रहता है ।

(3) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह उस सदन का, जिसने उसे निर्वाचित किया है, सदस्य नहीं रहता है, समाप्त हो जाएगी ।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए परिषद् के किसी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य के, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, शेष कार्यकाल तक के लिए बनी रहेगी ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् का कोई पदावरोही सदस्य, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

(6) परिषद् के सदस्य, परिषद् या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं ।

35. परिषद् के कृत्य – (1) परिषद् का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह सभी विद्यालयों के क्रियाकलापों का समन्वय करें ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित का पालन करेगी, अर्थात् :–

(क) पाठ्यक्रमों की अवधि, विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों और अन्य शैक्षणिक उपाधियों, प्रवेश के मानकों और अन्य शैक्षणिक विषयों से संबंधित नीतिगत विषयों पर सलाह देना ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को नए योजना और वास्तुकला विद्यालयों की स्थापना किए जाने संबंधी प्रस्तावों की सिफारिश करना ;

(ग) विद्यालयों के सामान्य हित के ऐसे विषयों पर, जो किसी विद्यालय द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं, विचार-विमर्श करना ;

(घ) कर्मचारियों के काडर, उनकी भर्ती की पद्धतियों और सेवा-शर्तों के, छात्रवृत्तियां और नि:शुल्क वृत्तियां संस्थित करने के, फीस के उद्ग्रहण तथा सामान्य हित के अन्य विषयों के संबंध में नीति अधिकथित करना ;

(ङ) प्रत्येक विद्यालय की विकास योजनाओं की परीक्षा करना और उनमें से उनका अनुमोदन करना जो आवश्यक समझी जाएं और ऐसी अनुमोदित योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं को भी मोटे तौर पर उपदर्शित करना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा पालन किए जाने वाले किसी कृत्य की बाबत उसे सलाह, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, देना ; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु इस धारा की कोई बात, किसी विद्यालय के बोर्ड या सिनेट या अन्य प्राधिकारियों में निहित शक्तियों और कृत्यों को अल्पीकृत नहीं करेगी ।

36. परिषद् का अध्यक्ष – (1) परिषद् का अध्यक्ष, सामान्यतया, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा : परन्तु उसकी अनुपस्थिति में, परिषद् का उपाध्यक्ष, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए ।

(3) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

(4) परिषद् का प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिवेशन होगा और अपने अधिवेशनों में वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए ।

37. इस अध्याय के विषयों की बाबत नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन भविष्य निधि और पेंशन निधि या बीमा स्कीम का उपबंध करने की रीति और शर्तें ;

(ख) धारा 34 की उपधारा (6) के अधीन परिषद् या उसकी समितियों के अधिवेशनों में भाग लेने हेतु सदस्यों के लिए यात्रा और अन्य भत्ते ;

(ग) धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् के अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

38. रिक्तियों आदि से कार्रवाइयों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना – इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन स्थापित परिषद् अथवा किसी विद्यालय या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय की कोई कार्रवाई केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,–

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं डालती है ।

39. केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराई जाने वाली विवरणियां और सूचना – प्रत्येक विद्यालय, केन्द्रीय सरकार को, अपनी नीतियों या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना देगा, जिसकी केन्द्रीय सरकार, संसद् में रिपोर्ट करने या नीति बनाने के प्रयोजन के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे ।

40. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

41. विद्यालय का, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन लोक प्राधिकरण होना – प्रत्येक विद्यालय को, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई लोक प्राधिकरण हो ।

42. संक्रमणकालीन उपबंध – इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रत्येक विद्यालय का शासक बोर्ड उसी रूप में तब तक ऐसे कार्य करता रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उस विद्यालय के लिए एक नए

बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर, ऐसे गठन के पूर्व पद धारण करने वाले बोर्ड के सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व प्रत्येक विद्यालय के संबंध में गठित प्रत्येक विद्या परिषद् को तब तक इस अधिनियम के अधीन गठित सिनेट समझा जाएगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उस विद्यालय के लिए सिनेट का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए सिनेट के गठन पर ऐसे गठन के पूर्व पद धारण करने वाले विद्या परिषद् के सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे ;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रत्येक विद्यालय का शासक बोर्ड, वित्त समिति, विद्या परिषद्, कार्यकारी परिषद्, भवन और संकर्म समिति और ऐसी अन्य समितियां उस रूप में तब तक ऐसे कार्य करती रहेंगी जब तक इस अधिनियम के अधीन विद्यालय के लिए नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर ऐसे गठन के पूर्व पद धारण करने वाले शासक बोर्ड, वित्त समिति, विद्या परिषद्, भवन और संकर्म समिति और ऐसी अन्य समितियों के सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे ;

(घ) ऐसे किसी छात्र को, जिसने शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 में या उसके पश्चात् में या उसके पश्चात् विद्यमान विद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश लिया है या शैक्षणिक वर्ष 2011-2012 में या उसके पश्चात् पाठ्यक्रम पूरा किया है, धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए केवल तभी भोपाल और विजयवाड़ा स्थिति विद्यमान विद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने वाला समझा जाएगा यदि ऐसे छात्र को पहले से उसी पाठ्यक्रम के लिए डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं किया गया है ।

अनुसूची

[धारा 3 (ट) और धारा 4 देखिए]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्यमान विद्यालय का नाम	अवस्थिति	इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित विद्यालय का नाम
1.	दिल्ली	योजना और वास्तुकला विद्यालय, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है ।	नई दिल्ली	योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
2.	मध्य प्रदेश	योजना और वास्तुकला विद्यालय, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है ।	भोपाल	योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
3.	आंध्र प्रदेश	योजना और वास्तुकला विद्यालय, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है ।	विजयवाड़ा	योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा

———

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145.00
4.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
5.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
6.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 16288/68

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को ऑन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in